नवाँ भारत बर
नवाँ छत्तीसगढ़
हमारे देश प्रेम की पहचान... हमारा छत्तीसगढ़
छोटा और सुन्दर राज्य छत्तीसगढ़
नये भारत के लिये नया छत्तीसगढ़
शोषण विहिन छत्तीसगढ़
हमारे सपनों का छत्तीसगढ़
आईये हम सब मिलकर अपना सपना साकार करें
छत्तीसगढ़

चल मज़दूर, चल किसान !

चल मज़दूर-चल किसान, देश के हो महान,
तोर संग-संग मा चलही बनिहार।
मिल-जुल के सबो झन शोषण ला टारबो,
छत्तीसगढ़ दाई के हावे रे गोहार - २।

ये छत्तीसगढ़ भुइंया मा हम जनम धर के आये हन,
जनम धर के आये हन, जनम धर के आये हन
धन हमर भाग ये, महतारी सुघर पाये हन,
महतारी सुघर पाये हन, महतारी सुघर पाये हन।
येकर गोदी पा पलेहन करबो दूध के छुटान।
मिल-जुल के सबो झन शोषण ला टारबो - - -।

खाके कसम अत्याचार ला भगाबो,
अत्याचार ला भगाबो, अत्याचार ला भगाबो,
इंकलाब जिंदाबाद के नारा ला लगाबो
नारा ला लगाबो, नारा ला लगाबो,
इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद
मज़दूर-किसान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद
जिंदाबाद-जिंदाबाद जिंदाबाद के,
पूरा छत्तीसगढ़ भुइंया मा होही रे गुंजार।
मिल-जुल के सबो झन शोषण ला टारबो- - -।

छत्तीसगढ़ महतारी के हम सपूत बेटा,
हम सपूत बेटा, हम सपूत बेटा
वीर नारायण सिंह के बगराबो गा संदेश ला,
बगराबो गा संदेश ला,
लाल सूरज उगे रे, होगे गा बिहान।
मिल-जुल के सबो झन शोषण ला टारबो - - -।

एक ही नारायण से हज़ार नारायण बन गेहे,
हज़ार नारायण बन गेहे, हज़ार नारायण बन गेहे
हज़ार से देखो अब लाख नारायण होवत हे,
लाख नारायण होवत हे, लाख नारायण होवत हे,
लाख से करोड़ होही देए बर कुरबान।
मिल-जुल के सबो झन शोषण ला टारबो- - -।

नदिया कस पूरा हमन आघू बढ़त जाबो,
आघू बढ़त जाबो, आघू बढ़त जाबो,
रोक नई सके, कोई तूफान से टकराबो,
तूफान से टकराबो, तूफान से टकराबो,
अत्याचार टारबो, भ्रष्टाचार मिटा देबो,
ये माटी के राख लेबो मान।
मिल-जुल के सबो झन शोषण ला टारबो - - -।

जनकवि- **फागूराम के गीत**

नवां भारत बर नवां छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा
[कार्यालय]
लेबर कैम्प जामुल, भिलाई [म. प्र.]

छत्तीसगढ़ की अस्मिता के अमर सेनानी
शहीद कामरेड नियोगी जी के 7 वें शहादत दिवस पर
सर्वहारा वर्ग के सपनों के छत्तीसगढ़ को
साकार करने की दिशा में

- एक संकलन
- एक प्रस्तावना
- एक संकल्प

28 सितम्बर, 1998

छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा

नवां भारत बर नवां छत्तीसगढ़

(एक संकलन, एक प्रस्तावना, एक संकल्प)

प्रथम प्रकाशन	:	28 सितंबर, 1998 10,000 प्रतियां
प्रकाशक	:	छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा दल्ली-राजहरा, जिला-दुर्ग छत्तीसगढ़ - 491 228
समर्थन मूल्य	:	5/- रूपये
सहयोग राशि	:	20/- रुपये
मुद्रण	:	सागर प्रिंटर्स, अमीनपारा, रायपुर (म.प्र.)

कहां क्या मिलेगा

1. यह किताब क्यों ? 1–2

2. छत्तीसगढ–एक परिचय 3–7

3. " छोटे और सुंदर छत्तीसगढ की ओर ..

दस्तावेज और कविताएं 9–12

4. शहीद नियोगी के सपना और सोच

(अ) लुटेरा राज खत्म करना है 13

(ब) छत्तीसगढ और राष्ट्रीयता का प्रश्न 14–18

(स) वैकल्पिक औद्योगिक नीति 19–22

(द) खदाने, मशीनीकरण एवं लोग 23–29

(य) शिक्षा कैसी हो? 30–31

(र) शिक्षा नीति एवं छात्र वर्ग की भूमिका 32–33

(ल) हमारा पर्यावरण .... 34–[illegible]

(व) शुरुवात की सुबह (एक कविता) .... [illegible]

(प) राष्ट्रीय कृषि नीति के दिशाबोध पर्चे पर प्रतिक्रिया .... [illegible]

(फ) जीवन की मृत्यु पर विजय 47–48

(ब) आजादी का असली मतलब क्या है 49–50

5. वैकल्पिक विकास की दिशा में – कुछ क्रांतिकारी कदम

(अ) स्वास्थ्य के लिये संघर्ष करो आन्दोलन–एक दस्तावेज 51

(ब) दल्ली – राजहरा का जन स्वास्थ्य आन्दोलन 52–54

(स) मजदूर आन्दोलन में महिलाओं की भूमिका 55–56

(द). शराब की लत छुड़ाई संगठन ने 57–59

(य) जन कवि फागूराम यादव के गीतों के कुछ अंश 60

(र) छुममो और चुनाव – एक दस्तावेज 61–62

[illegible] नवा भारत बर नवा छत्तीसगढ

– विजय यात्रा जारी है 63–68

[illegible] वर्ग के सपनों का छत्तीसगढ – एक संकल्प .... [illegible]

यह किताब क्यों?

सवाल न तो ''पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण'' का है और न ही ''छत्तीसगढ़ राज्य पुनर्गठन'' का. असली [illegible] छत्तीसगढ़ की मुक्ति का है. और यह मुक्ति केवल मेहनतकशों के नेतृत्व में ''संघर्ष और निर्माण'' के क्रांतिकारी कदम से ही मिलेगी.

छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के लिए शोषकों की उत्सुकता के पीछे छुपी उनकी ''लूट की राजनीति'' साफ [illegible] है. राजधानी, हाईकोर्ट और रेल्वे ज़ोन कहां होंगे, कौन से अन्य जिलों को छत्तीसगढ़ में शामिल किया जायेगा आदि [illegible] से शोषकों के दलालों का जूझना छत्तीसगढ़ में पूंजीवाद के पुराने पीपे में शोषण और लूट की नई शराब भरना जैसा है.

''छत्तीसगढ़ मोर सोन-चिरैया'' की कहावत की सचाई यहां की अपार खनिज एवं प्राकृतिक संपदा में चरितार्थ होती है. लेकिन दूसरी ओर छत्तीसगढ़ महतारी के बेटा-बेटी भूखमरी, दुकाल, बीमारी, अशिक्षा, बेरोज़गारी, छंटनी और [illegible] के शिकार हैं. इस विरोधाभास का मुख्य कारण औपनिवेशिक ताकतों द्वारा थोपा गया आर्थिक ढांचा, औद्योगिक नीति एवं [illegible] मशीनीकरण, सामंती ग्रामीण अर्थनीति एवं अर्ध-सामंती ठेकेदारी पद्धति, पिछड़ी खेती के कारण भूमि से कम [illegible] है. इसके साथ वर्तमान व्यवस्था में भूमंडलीयकरण की शक्तियों के इशारे पर नई आर्थिक एवं औद्योगिक नीति [illegible] जन विरोधी विकास को और मजबूती दी जा रही है. इसी प्रक्रिया के तहत ''छत्तीसगढ़ राज्य पुनर्गठन'' की [illegible] द्वारा उठायी जा रही है.

लेकिन इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की मेहनतकश जनता द्वारा भी ''हम बनाबो नवां [illegible], राज [illegible] मज़दूर-किसान'' और ''शोषकों की ज़ागीर नहीं, छत्तीसगढ़ मेहनतकशों का है'' के नारे बुलंद कर ''नया भारत [illegible] नया छत्तीसगढ़'' बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाये जा रहे हैं.

छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा ने पिछले २० वर्षों में ''संघर्ष और निर्माण'' के इस क्रांतिकारी रास्ते पर [illegible] और देशप्रेमियों को ''नया भारत के लिए नया छत्तीसगढ़'' बनाने के सपने को साकार करने में एक [illegible] मुक्ति मोर्चा मज़दूर-किसान, महिला-जवान, प्रगतिशील बुद्धिजीवी का एक संगठन है जो शहीदों के [illegible] के अनुभवों की आधारशिला पर गठित किया गया है. छमुमो की नींव धरने वाले कामरेड शंकर गुहा [illegible] ''संघर्ष और निर्माण'' की राह पर चलकर शहादत हासिल की है. आज छत्तीसगढ़ ही नहीं वरन् पूरे भारत में [illegible] देशप्रेमी जनता के लिए शहीद नियोगी अपने विचारों और कामों के आधार पर नये समाज की संरचना में [illegible]

आज उनके सातवें शहादत दिवस पर ''नवां भारत बर नवां छत्तीसगढ़'' के नारे को गुंजाने छत्तीसगढ़ [illegible] कोने-कोने से जन सैलाब उमड़ेगा. मेहनतकशों के इस पावन पर्व पर यह पुस्तक प्रकाशित कर हम [illegible] छत्तीसगढ़ के निर्माण के संकल्प को दृढ़ करना चाहते हैं. वर्तमान में परंपरागत एवं [illegible] उथल-पुथल से अलग हटकर हम जनता की बुनियादी मांगों और आवश्यकताओं पर आधारित एक ऐसे [illegible] परिकल्पना कर रहे हैं जहां सब ला पीये के पानी मिलही, जहां हर खेत में सिंचाई के साधन होही, [illegible] मिलही, जहां किसान ला पैदावार के सही कीमत मिलही, जहां हर गांव में अस्पताल होही, जहां हर [illegible] स्कूल होही, जहां सब ला भुइयां अऊ घर मिलही, जहां गरीबी, शोषण और पूंजीवाद नई होही. और [illegible] बनही? जब मज़दूर-किसान के छत्तीसगढ़ में राज होही.

इस पुस्तक में शहीद नियोगी के सपनों और सोच पर आधारित उनके लेख एवं कविताएं विशेष रूप से [illegible] रही हैं, जिससे ''नया भारत के लिये नये छत्तीसगढ़'' के निर्माण में एक दिशा मिल सके. इसी प्रकार [illegible] छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा और उससे संबंधित जन एवं समाजसेवी संगठनों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में [illegible] दिशा में जो क्रांतिकारी प्रयोग किये गये हैं उनका भी अनुभव इस पुस्तक में सम्मिलित किया गया है. [illegible] ''संघर्ष और निर्माण'' (शहीद शंकर गुहा नियोगी और उनके नये भारत का सपना) नामक पुस्तक से [illegible] सितंबर १९९३ में डा. अनिल सद्गोपाल एवं श्याम बहादुर 'नम्र' द्वारा छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के लिए [illegible]

"नवां भारत बर नवां छत्तीसगढ़" पर एक प्रस्तावना इस पुस्तक के अंत में पेश की जा रही है ताकि भविष्य में इस विषय पर सभी जन संगठनों और आम जनता के बीच परिचर्चा रख कर एक "जन एजेंडा" तैयार किया जा सके. जहां एक ओर शोषक वर्ग छत्तीसगढ़ राज्य के पुनर्गठन के संदर्भ में जन-विरोधी विकास का प्रारुप तैयार कर एक नया जामा पहना रहा है, वहीं दूसरी ओर मेहनतकशों को एकजुट होकर वैकल्पिक-जन-आधारित-विकास का प्रारुप बनाकर शोषकों और लूटेरों के मंसूबों पर पानी फेरना होगा, और सामाजिक न्याय, शांति, असली आज़ादी, खुशहाली और मानव गरिमा पर आधारित "नवां भारत के लिए नवां छत्तीसगढ़" का निर्माण करना होगा. ऐसे ही नये छत्तीसगढ़ के प्रारुप का प्रारंभ यह प्रस्तावना है.

इस पुस्तक के अंत में "सर्वहारा वर्ग के सपनों का छत्तीसगढ़- एक संकल्प" कामरेड नियोगी की शहादत दिवस पर आज दिनांक २८ सितंबर १९९८ को छत्तीसगढ़ की लाखों मेहनतकश जनता द्वारा दोहराया जा रहा है जो छत्तीसगढ़ के शोषकों और लूटेरों के लिए एक चेतावनी है, और साथ ही शोषण-विहीन, शराब-विहीन, खुशहाल एवं शांतिपूर्ण छत्तीसगढ़ के निर्माण में शहीद शंकर गुहा नियोगी के रास्ते को अमल करने का आव्हान है.

शहीदों के सपनों के छत्तीसगढ़ को साकार करने इस संकल्प को दोहराकर हम आज शहीद शंकर गुहा नियोगी को सही श्रद्धांजली अर्पित करने यह पुस्तक विस्तृत चर्चा हेतु प्रकाशित कर रहे हैं.

कामरेड नियोगी का यह शहादत दिवस इस वर्ष पूरे देश की न्यायप्रिय जनता के लिए एक चुनौती के रूप में सामने आया है क्योंकि मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने २६ जून १९९८ को अपने फैसले में शहीद नियोगी के हत्यारों को दोषमुक्त कर दिया है. जहां एक ओर न्याय पाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर पूरे देश की न्यायप्रेमी जनता न केवल मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के इस फैसले की घोर निंदा कर रही है वरन् विद्रोह स्वरुप सड़क पर उतर कर वर्तमान न्याय व्यवस्था पर अपने डगमगाते विश्वास को प्रदर्शित कर रही है. ऐसे समय में स्वतंत्रता संग्राम के महान शहीद राम प्रसाद 'बिस्मिल' की उस कविता को छत्तीसगढ़ में संघर्ष और निर्माण के वीर सेनानी शहीद शंकर गुहा नियोगी को समर्पित करते हुए हम संघर्ष के शंखनाद को आज एक बार फिर फूंक रहे हैं :-

शहीदों की चिताओं पर, लगेंगे हर बरस मेले,
छत्तीसगढ़ पे मिटने वालों का, बाकी यही निशां होगा।

साथियों वो भी दिन देखेंगे, जब अपना राज होगा,
खुद अपनी अदालत होगी, खुद अपना न्याय होगा।

२८ सितंबर १९९८
छत्तीसगढ़

संपादक समूह की ओर से

14. जिलेवार जनसंख्या का घनत्व (व्यक्ति/वर्ग कि.मी.) - रायपुर (145), दुर्ग (221), राजनांदगांव (105), बिलासपुर (148), सरगुजा (73) रायगढ़ (112), बस्तर (47), म.प्र. (118), अखिल भारत (208) ।

15. कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत

रायपुर (82.8), दुर्ग (68.2), राजनांदगांव (87.6), बिलासपुर (86.2), सरगुजा (91.3), रायगढ़ (91.6), बस्तर (96.0), म.प्र. (79.7), अखिल भारत (76.7) ।

16. कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति (हरिजन) व अनुसूचित जनजाति (आदिवासी) का प्रतिशत

जिला	अ.जा. (%)	अ.ज.जा. (%)	कुल (%)
रायपुर	13.8	18.6	32.4
दुर्ग	11.8	12.6	24.4
राजनांदगांव	9.4	25.3	34.7
बिलासपुर	17.3	23.4	40.7
सरगुजा	5.2	54.8	60.0
रायगढ़	10.7	45.5	56.2
बस्तर	5.5	67.7	73.2
म.प्र.	14.1	23.0	37.1
अखिल भारत	15.8	7.8	23.6

17. आबाद ग्रामों में विद्युतिकृत ग्रामों का प्रतिशत (1985-86) -

रायपुर (47.0), दुर्ग (59.8.), राजनांदगांव (46.3), बिलासपुर (47.2), सरगुजा (49.1), रायगढ़ (35.6), बस्तर (7.3), छत्तीसगढ़ (47.0), म.प्र. (57.1) ।

18. प्रति लाख जनसंख्या पर शासकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों में शैयाओं की संख्या -

रायपुर (43.9), दुर्ग (21.9), राजनांदगांव (26.9), बिलासपुर (24.8), सरगुजा (30.0), रायगढ़ (23.2), म.प्र. (41.3), अखिल भारत (51.4)।

19. प्रति व्यक्ति व्यापारिक बैंकों द्वारा ऋण वितरण (रु.) दिसम्बर 1983 तक -

रायपुर (226), दुर्ग (245), राजनांदगांव (109), बिलासपुर(130), सरगुजा (67), रायगढ़ (77), म.प्र. (227), अखिल भारत (592) ।

20. फसलें - धान प्रमुख फसल जो कुल बोये हुए क्षेत्र की 76.9% भूमि पर उगायी जाती है । कोदों, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजार इस क्षेत्र की अन्य फसलें हैं । दालें बोये हुए क्षेत्र की 22% भूमि पर उगायी जाती हैं - तिवड़ा इनमें प्रमुख है बोये हुए क्षेत्र की 8.6% भूमि पर तेलबीज उगाये जाते हैं जिनमें तिल प्रमुख है।

21. सिंचाई - मुख्यतः वर्षा पर आधारित, बोये हुए क्षेत्र की मात्रा 12% भूमि सिंचित ।

22. उद्योग-

	नाम	उत्पाद	वार्षिक उत्पादन क्षमता	
1.	भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई	इस्पात व इस्पात के अन्य उत्पाद	40	लाख टन
2.	भारत अल्युमिनियम क. कोरबा	अल्युमिनियम	2.2	लाख टन
3.	ए.सी.सी. सीमेंट प्लांट, जामुल (भिलाई)	सीमेंट	4	लाख टन
4.	सी.सी. आई. सीमेंट प्लांट, मांढर	सीमेंट	4	लाख टन
5.	सी.सी. आई. सीमेंट प्लांट, अकलतरा	सीमेंट	4	लाख टन
6.	सेन्चुरी सीमेंट प्लांट, बैकुंठ	सीमेंट	8	लाख टन
7.	रेमंड सीमेंटवर्क्स, बिलासपुर	सीमेंट	4	लाख टन
8.	मोदी सीमेंट प्लांट, बलौदा बाजार	सीमेंट	10	लाख टन
9.	बी.एन काटन मिल्स, राजनांदगांव	कपड़ा	30,180	स्पिंडल्स
10.	रायगढ़ जूट मिल्स रायगढ़	जूट	14.000	टन
11.	दक्षिण पूर्व रेलवे वैगन रिपेयर वर्कशाप, रायपुर			
12.	बिलासपुर स्पिनिंग मिल्स, बिलासपुर	धागा	25,000	स्पिंडल्स
13.	डी.एम. केमिकल्स, कुम्हारी, जिला दुर्ग	सुपरफास्फेट	61.000	टन
14.	बी.ई.सी. फर्टिलाइजर्स, बिलासपुर	सुपरफास्फेट	66.000	टन
15.	बुक बाण्ड पेपर मिल्स, चाम्पा	कागज	10,000	टन
16.	भिलाई रिफ्रेक्टरीज, भिलाई	फायरक्ले, सिलिका	11,000	टन
17.	बैलाडीला परियोजना, बस्तर (एन.एम.डी.सी.)	लौह अयस्क		

छत्तीसगढ़ क्षेत्र में 100 से अधिक **इस्पात आधारित औद्योगिक इकाइयां हैं**, जैसे 'मिनी' स्टील प्लांट, कास्टिंग्स, फाउंडरीज, री रोलिंग कारखाने। इनमें से कुछ प्रमुख इकाइयां है - रायपुर एलायज,एंड स्टील्स, रायपुर भिलाई इंजीनियरिंग कार्पो., भिलाई, बीके स्टील कास्टिंग्स, भिलाई, सिम्पलेक्स उद्योग समूह, उरला, टेडेसरा एवं भिलाई, एलाइड स्टील्स, लि., रायपुर, हिम्मत स्टील फाउंडरी, कुम्हारी, भिलाई वर्क्स लि. भिलाई।

शराब बनाने के दो बड़े कारखाने है -केडिया डिस्टिलरीज, भिलाई एवं छत्तीसगढ़ डिस्टिलरीज, कुम्हारी (जिला दुर्ग)।

धान मिल्स यहां के प्रमुख कृषि उद्योग एवं आरा मशीनें प्रमुख वन आधारित उद्योग हैं।

लगभग एक दर्जन **साल्वंट एक्सट्रेक्शन प्लांट** में से प्रमुख हैं - म.प्र. आयल एक्सट्रेक्शन्स, रायपुर, मार्कफेड साल्वंट एक्सट्रेक्शन प्लांट, दुर्ग, बस्तर आयल मिल्स, साल उद्योग, रायपुर

आक्सीजन एवं गैस कारखाने- एशियाटिक आक्सीजन एवं पंकज आक्सीजन, रायपुर, ऋषि गैसेज, बिलासपुर।

मिनी सीमेंट प्लांट - अब बढ़कर [redacted] सीमेंट, काल्कर प्राडक्ट्स, रूद्रा सीमेंट।

कोरबा, जिला बिलासपुर में म.प्र. विद्युत मंडल के 4 पावर हाउस (कुल क्षमता 1,170 मेगावाट) और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम का 630 मेगावाट क्षमता का एक सुपरथर्मल पावर प्लांट स्थापित है। इसके अतिरिक्त राज्य क्षेत्र में दो ऊर्जा परियोजनाएं (कुल क्षमता 330 मेगावाट) और केंद्रीय क्षेत्र में दो परियोजनाएं (कुल क्षमता - 4.200 मेगावाट) निर्माणाधीन हैं। भविष्य में तीन और परियोजनाएं (1,000 मेगावाट क्षमता की) क्रमशः बिलासपुर, रायगढ़ और सरगुजा जिलों में प्रस्तावित हैं।

23. औद्योगिक अभिरचना -

	कृषि-आधारित उद्योग	41%
	वनोपज-आधारित उद्योग	39%
	खनिज-आधारित उद्योग	6%
	विविध	14%

24. प्रस्तावित औद्योगिक पूंजी निवेश - 170 अरब रूपये।

(स्रोत सामग्री -

1. *'तरक्की का सिलसिला', म.प्र. शासन, सितंबर 1985*
2. *'छत्तीसगढ़ क्षेत्र के विकास संकेतक,' छत्तीसगढ़ विकास प्राधिकरण, म.प्र. नवंबर 1986.*
3. *स्मारिका, 'प्राकृतिक संसाधन उपयोग एवं पर्यावरणीय आंकलन' पर अखिल भारतीय परिचर्चा, भू-[illegible] रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर, दिसम्बर1989.*
4. *भारत की जनगणना रपट, 1981 एवं 1991।*

राजस्व संग्रह की स्थिति

जिला	आबकारी 1996-97	आबकारी 1997-98	मनोरंजन कर आय 1996-97	मनोरंजन कर आय 1997-98
सरगुजा	13914296	11824986	416558	474523
बिलासपुर	104386851	123628989	1338638	1378716
रायगढ़	35613763	57153780	708010	780630
राजनांदगांव	48933230	44880294	778299	712014
दुर्ग	92450083	104835803	4566241	5190895
रायपुर	180394340	205720994	5574735	6343212
बस्तर	17665814	18550844	631569	756243
कुल	493358377	566595,690	14014050	1563623

प्रदेश की स्थिति	आबकारी 1996-97	आबकारी 1997-98	मनोरंजन कर आय 1996-97	मनोरंजन कर आय 1997-98
छत्तीसगढ़	493358377	56659569	14014050	15636233
संपूर्ण मध्यप्रदेश	1791526588	2135665490	54614558	56278214
छत्तीसगढ़ का हिस्सा	27.53%	26.53%	25.65%	27.78%

वन सम्पदा से आय 1994-95

संभाग	करोड़ रु.	संभाग	करोड़ रु.
बस्तर	63.30	बिलासपुर	47.38
रायपुर	64.99	छत्तीसगढ़ से कुल राजस्व प्राप्ति	215.67
पूरे म.प्र. से कुल राजस्व प्राप्ति	495.74	छत्तीसगढ़ का हिस्सा	43.50%

छत्तीसगढ़ से खनिज राजस्व

(राशि करोड़ रुपयों में)

वर्ष	रायपुर	दुर्ग	राजनांदगांव	बस्तर	बिलासपुर	रायगढ़	सरगुजा	योग
1992-93	7.49	15.23	0.30	13.81	84.89	0.34	81.07	203.13
1993-94	7.68	14.44	0.33	14.73	88.44	0.42	74.72	201.16
1994-95	15.84	16.71	0.40	14.60	132.55	0.72	80.30	261.12
1995-96	20.20	17.15	0.46	17.25	184.17	1.49	128.95	369.67
1996-97	23.42	22.22	0.53	22.72	212.74	2.41	129.68	413.72

खनिज राजस्व : प्रदेश में छत्तीसगढ़ की भागीदारी

वर्ष	छत्तीसगढ़	मध्यप्रदेश	छत्तीसगढ़ का प्रतिशत
1992-93	203.13	477.25	42.56
1993-94	201.16	476.08	42.25
1994-95	261.12	539.81	43.97
1995-96	369.67	801.78	46.11
1996-97	413.72	847.76	47.80

स्रोत : संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म

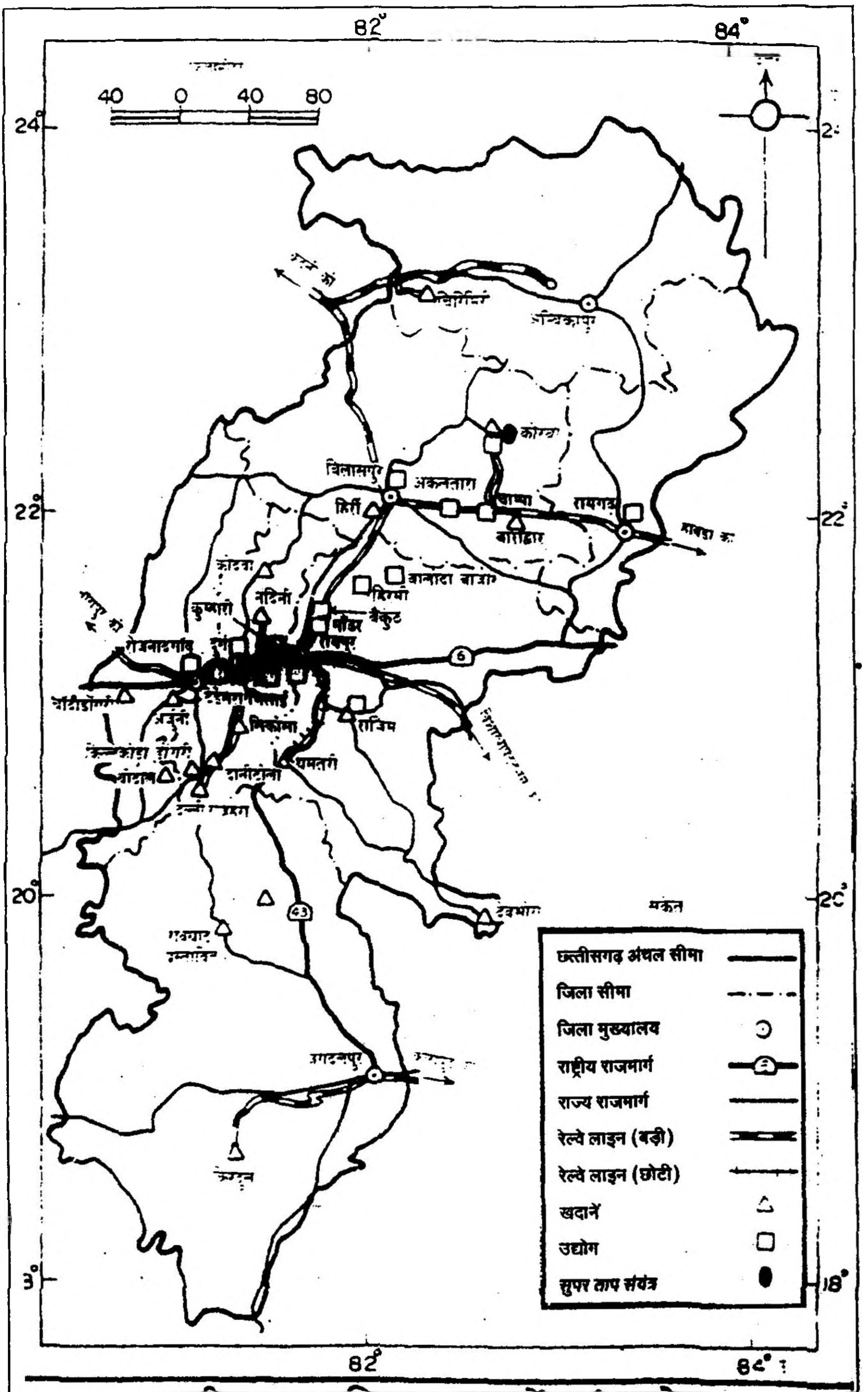

छत्तीसगढ : परिवहन, खदानें एवं उद्योग

'छोटे और सुंदर छत्तीसगढ़' की ओर ..

'नये भारत के लिए नया छत्तीसगढ़' की अवधारणा के अभिन्न अंग के रूप में उभरा है छत्तीसगढ़ के विकास की प्राथमिकताओं और दिशा का सवाल। 'छोटा और सुंदर छत्तीसगढ़' यानी 'हमारे सपनों का छत्तीसगढ़' कैसा होगा? छमुमो ने इस सवाल का उत्तर ढूंढने का एक व्यवस्थित प्रयास सन् 1986-87 से शुरु कर दिया था। इस प्रयास के क्रम में ही शहीद नियोगी ने वैकल्पिक औद्योगिक नीति और कृषि नीति पर अपने प्रारंभिक विचार लिखे थे। इसी तारतम्य में अब हम प्रस्तुत कर रहे हैं छमुमो द्वारा रायपुर में सितम्बर 1989 में आयोजित एक सम्मेलन के बाद प्रसारित प्रेस विज्ञप्ति जिसमें छमुमो से जुड़े 500 प्रतिनिधियों ने विकास के विकल्प की दिशा को परिभाषित करने की एक सामूहिक कोशिश की है। इसको शहीद नियोगी द्वारा लिखे गये संदर्भित पर्चों के साथ जोड़कर देखने से ही 'छोटे और सुंदर छत्तीसगढ़' का एक उभरता हुआ चित्र हम देख सकेंगे।

-स.

छत्तीसगढ़ के विकास के प्रति उदासीन यहाँ के राजनेताओं ने चुनाव की राजनीति को ही अपना लक्ष्य बना रखा है जिसके कारण इस अंचल की जन समस्याओं को कोई भी राजनैतिक दल आज नहीं उठा रहा है। सिद्धांतविहीन लहर राजनीति की कड़ी आलोचना करते हुए छत्तीसगढ़ के विकास की एक वैकल्पिक रुपरेखा तैयार करने की दिशा में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा से सम्बंधित लगभग 30 जन संगठनों के करीब 500 प्रतिनिधियों ने आज रायपुर के सिंधु भवन में 'छत्तीसगढ़ के विकास के लिए विकल्प की तलाश' विषय पर आयोजित विचार गोष्ठी व सम्मेलन में भाग लिया। ...सम्मेलन में इस तथ्य को स्वीकारा गया कि वामपंथी हो या दक्षिणपंथी, किसी भी राजनैतिक दल ने आज तक छत्तीसगढ़ के विकास पर कोई भी ठोस नीति या कार्यक्रम नहीं पेश किया है। 'पृथक छत्तीसगढ़' का नारा बुलंद करने वालों ने भी आज तक विश्लेषण के आधार पर यह नहीं बताया है कि छत्तीसगढ़ का शोषण कैसे हो रहा है, न ही शोषण बंद करने का कोई कार्यक्रम जनता के सामने पेश किया है। इस सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया है कि छत्तीसगढ़ के विकास पर दस्तावेज तैयार किया जायेगा जिसे प्रजातांत्रिक तरीके से जनता के बीच चर्चा का विषय बनाया जायेगा।

छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा उद्योग के वर्तमान विकास में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और विदेशी पूँजी के बढ़ते हुए दबाव पर चिंता व्यक्त करता है जिसने छत्तीसगढ़ के जन-जीवन को हर स्तर पर प्रभावित कर रखा है। यूनियन कार्बाइड जैसे खूँखार पूँजीपति पर अंकुश लगाने के लिए जन आंदोलन ही एक मात्र रास्ता है, ऐसा विचार मोर्चे का है। अगर इन विदेशी पूँजीपतियों पर अंकुश न लगाया गया तो देशी पूँजी का विकास असम्भव है। देशी पूंजी के विकास से ही देश की मेहनतकश जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उद्योग का विकास हो सकता है। ऐसा करने से ही देश में काश्तकारी (खेती) और कुटीर उद्योग से जुड़े तमाम मेहनतकश परिवारों, जैसे कुम्हार, लोहार, बुनकर, मैन्युअल खदानों में जुड़े मजदूरों आदि, के जीवन और रोजगार की रक्षा की जा सकती है। उद्योगों में मजदूरों की हिस्सेदारी महज एक बकवास होगी जब तक कि गुप्त मतदान के जरिये मजदूर यूनियनों को मान्यता न दी जाये। उत्पादन की वस्तुओं का बाजार, कच्चे माल के स्रोत और आर्थिक मुद्दों पर भी मजदूर संगठनों की हिस्सेदारी होनी चाहिए ताकि इन साधनों पर सबका नियंत्रण हो सके।

कृषि के क्षेत्र में आज यह बात तय हो चुकी है कि हरित क्रांति एक भ्रम था जिससे किसान कर्ज से नष्ट हो गये और जमीन रासायनिक खाद व जहरीली दवाई से नष्ट हो गयी। बड़े बाँधों के निर्माण से खेतों को पानी मिलना तो दरकिनार रहा, उलटे करोड़ों आदिवासी पविार उजाड़ दिये गये।

छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा की मान्यता है कि छोटे बाँधों के जरिये जैसे स्टॉप डैम, नलकूप आदि के विकास के साथ इस अंचल में तांदुला, खरखरा, नंदिनी और गंगरेल का पानी भिलाई इस्पात संयंत्र जैसे महाउद्योगों को न देकर किसानों के उपयोग के लिए रखा जाये। किसानों के ऊपर दर्शाये गये सभी कर्जों को परिदान कर देना चाहिए और भविष्य में ऐसी परिस्थिति निर्माण न की जाये कि किसान कर्ज से दब जाये। इसके लिए उपज की सही कीमत की नीति बनायी जाये।

मौजूदा वन कानून ही वन के विनाश का कारण है। इस कानून के तहत वन कर्मचारियों का अत्याचार आदिवासियों को झेलना पड़ता है। छत्तीसगढ़ में वनों के दोहन से अर्जित अरबों रूपयों को सरकार ने ऊपर ही ऊपर उड़ा दिया और उसे आदिवासियों के विकास कार्यों में इस्तेमाल नहीं किया। हम विदेशी प्रजाति के पेड़ों (जैसे चीड़ या पाइन) के रोपण एवं अंधाधुंध जंगल कटाई का विरोध करते हैं। वन क्षेत्र में रहने वालों के लिए उनकी आवासीय एवं जलाऊ लकड़ी को मुफ्त उपलब्ध [illegible] जाना चाहिए।

छत्तीसगढ़ में जल के सभी साधनों का उद्योगों के लिए उपयोग किया जा रहा है, जिसका हम तीव्र विरोध करते हैं। गंगरेल, तांदुला, गोंदली, खरखरा, अरपा नदी का जल, इन सबों पर किसानों के अधिकार की प्राथमिकता को हम स्वीकार करते हैं। उद्योगों द्वारा नदी-नालों के जल प्रदूषण की रोकथाम की जाये।

दूरदर्शन (टी.वी.) या रेडियो आज सत्ता पक्ष का भोंपू बन चुका है। छत्तीसगढ़ में कला के विकास एवं प्रसार के लिए इसका उपयोग होना चाहिए। नेता दर्शन नहीं, लोक संस्कृति का दर्शन होना चाहिए। गोंड, हल्बी, एवं छत्तीसगढ़ी भाषाओं में प्राथमिक शिक्षा दी जानी चाहिए। बम्बई सिनेमा की ढिसुम-ढिसुम संस्कृति पर रोक लगानी चाहिए।

(मूल का संक्षिप्त स्वरूप)

विकास या विनाश ?

छमुमो ने 28 मार्च 1992 को भिलाई आंदोलन पर अपना समग्र दृष्टिकोण एक पुस्तिका के माध्यम से प्रसारित किया जिसमें देश में अपनायी गयी विकास नीति पर भी प्रश्न उठाये और उसका विकल्प खोजने की जरूरत पर जोर दिया। उसी पुस्तिका के कुछ अंश यहाँ प्रस्तुत हैं। -स.

आजादी के बांद पैंतालीस साल में देश में बहुत सारे उद्योग बने लेकिन जनता की क्रय क्षमता नहीं बढ़ी। गाँवों और शहरों का समान विकास नहीं हुआ। बहुत ज्यादा संख्या में छत्तीसगढ़ के नौजवानों को उद्योग में नौकरी नहीं मिली। औद्योगिक विकास के साथ कृषि विकास का संबंध नहीं रहा। बल्कि कृषि को खत्म कर पर्यावरण को प्रदूषित कर, विकास के नाम पर विनाश को लाया गया।.... नयी औद्योगिक नीति के तहत लाखों मजदूरों की छंटनी हो रही है,हजारों कारखानों को बंद किया जा रहा है। गाँवों में काम के दिन बढ़ाने का कोई प्रयास नहीं है। इस स्थिति के खिलाफ गाँव-गाँव से लड़ाई का बिगुल फूँकना होगा। ग्रामीण जनता ही ग्रामीण विकास की राह तय करेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, गाँव के विकास के साथ संतुलित उद्योग क्या होंगे, कहाँ उद्योग लगाया जायेगा -- इस पर भी गाँव के मेहनतकशों को सोचना होगा, माँग उठानी होगी।... जब तक छत्तीसगढ़ के मजदूर और किसान, श्रम पुत्र व भूमि पुत्र, एक दूसरे के हित में एकजुट नहीं होंगे, तब तक एक सुंदर जीवन के लिए संघर्ष शुरु नहीं होगा।

आपने सुना होगा कि छत्तीसगढ़ क्षेत्र में 170 अरब रुपये के उद्योग लगाये जायेंगे।अच्छी बात है, उद्योग तो लगने ही चाहिए। लेकिन भिलाई में औद्योगीकरण का फल तो हम भुगत चुके हैं। इसलिए उद्योग की स्थापना के पहले ही हमें आवाज उठानी होगी कि उद्योग ऐसा हो जिससे गांव का विकास हो सके। ऐसे उद्योग हों जिनमें गांव के बेरोजगार नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में नौकरी मिल सके। ऐसे उद्योग हों जिमसे देश आत्मनिर्भर हो सके। उद्योगों के लिए अगर 170 अरब रुपये हों तो ग्रामीण विकास के लिए भी 170 अरब। पैसे कम पड़ने पर उद्योग व कृषि में बराबर बाँटा जायें। गांव-गांव में सिंचाई की व्यवस्था हो जिससे कृषि उत्पादन बढ़े, किसानों की क्रय क्षमता बढ़े। हरित क्रांति के सर्वनाशी, विदेशों पर निर्भर रास्ते पर नहीं,देशज पद्धति से देशज तकनालाजी द्वारा कृषि का विकास हो।....

(मूल पुस्तिका से उद्धृत अंश)

नये छत्तीसगढ़ की माँग एक जनवादी माँग है

जनता छत्तीसगढ़ का विकास चाहती है। छोटे राज्य मात्र के बन जाने से विकास होगा, यह आज की राजनैतिक परिस्थितियों में निश्चित नहीं है। जब जनता का व्यापक हिस्सा छत्तीसगढ़ राज्य की माँग करे तो यह एक जनवादी मांग बन जाती है। इस मांग को पूरा होना चाहिए। आज यहां का पूंजीपति वर्ग भी एक पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग कर रहा है। किसानों द्वारा भी एक नये छत्तीसगढ़ की मांग जोर पकड़ रही है। इसलिए, मजदूर वर्ग का कर्तव्य है कि वह इस सवाल को लेकर गम्भीर रुप से सक्रिय हो। जब तक यह आंदोलन जनता को आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक मुक्ति की एक निश्चित दिशा में संचालित नहीं करता, तब तक यह उग्र जातिवाद या पृथकतावाद के चक्कर में गिरकर बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। क्षेत्र के विकास कार्य में क्षेत्रीय जनता की हिस्सेदारी ही विकास की गारंटी है।

(छमुमो द्वारा प्रसारित 'दिशा, लक्ष्य और कार्यक्रम' पुस्तिका से उद्धृत।)

छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का नजरिया

छत्तीसगढ़ी कौन ?

1. छत्तीसगढ़ी वह है जो छत्तीसगढ़ के भौगोलिक क्षेत्र में ईमानदारी से मेहनत मजदूरी कर अपना जीवन निर्वाह करता है।
2. जो छत्तीसगढ़ की मुक्ति के लिए समर्पित है।
3. जो सामंती शोषण नहीं करता।
4. जो पूंजीवादी व्यवस्था का अंत चाहता हो।
5. जो छत्तीसगढ़ का जनवादी विकास चाहता हो।
6. जो अंतर्राष्ट्रीय सर्वहारा से भाईचारा रखता हो।
7. ऐसा व्यक्ति जो परम्परागत रुप से छत्तीसगढ़ के भू-भाग का निवासी रहा हो, पर अब कमाने-खाने के लिए दूसरे प्रांत में बस गया हो और जो शोषण न करता हो।
8. अन्य राष्ट्रीयताओं के जनसमुदाय में से वे व्यक्ति जो कि छत्तीसगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र में ईमानदारी और मेहनत से अपनी जीविका निर्वाह करते हों, साथ ही यहां स्थायी रूप से बसने का इरादा रखते हों और छत्तीसगढ़ के आर्थिक, सामाजिक, और सांस्कृतिक विकास में श्रद्धा के साथ हाथ बंटाते हों।

छत्तीसगढ़ के दुश्मन

सामंतवादी (मालगुजार,साहूकार) और अर्द्ध सामंतवादी (ठेकेदार एवं दलाल नौकरशाह) प्रवृत्ति के लोग छत्तीसगढ़ी जनता के दुश्मन हैं, **भले ही वे छत्तीसगढ़ में पैदा हुए हों और छत्तसीगढ़ी बोलते हों।**

छत्तीसगढ़ के पिछड़ेपन के कारण

क) औपनिवेशिक ताकतों द्वारा थोपा गया आर्थिक ढांचा, औद्योगिक नीति एवं अंधाधुंध मशीनीकरण।

ख) सामंती ग्रामीण अर्थनीति एवं अर्द्ध-सामंती ठेकेदारी पद्धति।

ग) भूमि से कम उत्पादकता।

(छमुमो द्वारा प्रसारित 'दिशा, लक्ष्य और कार्यक्रम' पुस्तिका से उद्धृत)

हमार सपना के छत्तीसगढ़

जहाँ सबला पीये के पानी मिलही,

जहाँ हर खेत में सिंचाई के साधन होगी,

जहाँ हर हाथ ला काम मिलही,

जहाँ किसान ला पैदावार के सही कीमत मिलही,

जहाँ हर गांव में अस्पताल होही,

जहाँ हर लइका के सही पढ़ाई बर स्कूल होही,

जहाँ सबला भुइयाँ अऊ घर मिलही,

जहाँ गरीबी, शोषण और पूँजीवाद नइ होही,

अइसन छत्तीसगढ़ कब बनही ?

जब किसान मजदूर के छत्तीसगढ़ में राज होही।

अइसन छत्तीसगढ़ बनायबर संघर्षरत हावे,
छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा

छत्तीसगढ़ के मुक्ति खातिर ...

फागूराम यादव

जन संगठन,जन आंदोलन, जन युद्ध के रस्ता मा आघू बढ़ो ,
छत्तीसगढ़ के मुक्ति के खातिर, संगी एही जतन करो ।

छत्तीसगढ़ के वीर बहादुर इही बात बताथे गा,
किसान अऊ मजदूर संगवारी के हित के खातिर कहाथे गा,
ये भुँइया के हम सब बेटा, ये माटी के रक्षा करो ।
छत्तीसगढ़ के मुक्ति के खातिर, संगी एही जतन करो ।

ये भुँइया के मालिक हावे इहाँ के मजदूर किसान हा गा,
तेकर बेटा सरहद मा लड़त हे, देश के उही जवान हे गा,
अत्याचार शोषण ला भगाबो, कदम कदम सब बढ़ते चलो ।
छत्तीसगढ़ के मुक्ति के खातिर, संगी एही जतन करो ।

शोषणवादी कालाबाजारी भगाये के रस्ता हावे गा,
बन्नेच बात बताथो संगी जब सबके मन भावे गा,
गाँव-गाँव मा मोर संगवारी पहिली तुम संगठन करो ।
छत्तीसगढ़ के मुक्ति के खातिर, संगी एही जतन करो ।

एकता के ताकत भारी होथे हर माँग पूरा करथे,
वीर नारायण सिंह ठाकुर हा एकर बर कोशिश करथे,
एकता ला मजबूत बनाके सब अधिकार लेते चलो ।
छत्तीसगढ़ के मुक्ति के खातिर, संगी एही जनत करो ।

✤ ✤ ✤

छत्तीसगढ़ का निर्माण गीत

श्याम बहादुर 'नम्र'

छमुमो की 2 अक्टूबर 1989 को रायपुर में आयोजित विशाल रैली में शहीद नियोगी के भाषण में उठाये गये मुद्दों के आधार पर और उन्हीं के आग्रह पर लिखा गया समूह गीत -स.

नया छत्तीसगढ़ हमको बनाना है, बनायेंगे ।
नया भारत हमें ही तो बनाना है, बनायेंगे ।

गरीबों, देशभक्तों की, दलालों पर फतह होगी ।
लुटेरों के लिए जिसमें, न कोई भी जगह होगी ।
उन्हीं का राज होगा, जो कि मेहनत से कमायेंगे
नया छत्तीसगढ़ हमको बनाना है, बनायेंगे ।
नया भारत ..... ।

बड़े बाँधों से कोई गाँव विस्थापित नहीं होंगे ।
कोई शोषक नहीं होगा, कोई शोषित नहीं होंगे ।
जहाँ भी होंगी दीवारें विषमता की,ढहायेंगे ।
नया छत्तीसगढ़ हमको बनाना है, बनायेंगे ।
नया भारत ..... ।

हरापन जंगलों का फिर से वापस लौट आयेगा ।
जो वनवासी है, उस पर फिर नया अधिकार पायेगा।
हरी चादर से धरती को दुबारा हम सजायेंगे ।
नया छत्तीसगढ़ हमको बनाना है, बनायेंगे ।
नया भारत ..... ।

हवा में ताजगी होगी, गगन गंदा नहीं होगा ।
धुएँ से चाँद या सूरज, कोई मंदा नहीं होगा ।
प्रदूषण के नरक से, सारी नदियों को छुड़ायेंगे ।
नया छत्तीसगढ़ हमको बनाना है, बनायेंगे ।
नया भारत ..... ।

जहाँ पर जाति-धर्मों का कोई दंगा नहीं होगा ।
कोई भूखा नहीं होगा, कोई नंगा नहीं होगा ।
नशाखोरी के सौदागर, जहाँ पर घुस न पायेंगे ।
नया छत्तीसगढ़ हमको बनाना है, बनायेंगे ।
नया भारत ..... ।

हमारी बोलियाँ, इस देश की भाषा कहलायेंगी,
कि जिनसे होके,अपनी दूर तक आवाज जायेगी।
ये सपने हैं, मगर इनको बनाकर सच्च दिखायेंगे ।
नया छत्तीसगढ़ हमको बनाना है, बनायेंगे।
नया भारत ......।

रायपुर, 4 अक्तूबर 1989

शहीद नियोगी के सपना और सोच

लुटेरा राज खत्म करना है

शहीद नियोगी की अपनी लिखावट में नीचे दिया गया लेख मिला है। इसकी बंगला-प्रभावित हिन्दी को हमने बिना सुधारे छोड़ दिया है। इसकी तारीख पता नहीं चल सकी, पर अनुमानित समय सन् 1980-81 का है। मार्क्सवादी सोच को सरल शब्दों में प्रस्तुत करने की शहीद नियोगी की क्षमता का यह एक अच्छा उदाहरण है। —स.

दुनिया बहुत आगे बद गयी है। दुनिया के तमाम फायदे भले आदमी लोगों के लिए हैं। भले आदमी हवाई जहाज में चढ़कर दिल्ली कलकत्ता घूमते हैं। रंग बिरंग का बढ़िया खाना खाते हैं। सुंदर-सुंदर कपड़े पहनते हैं। उनके लड़के मोटर गाड़ी में चढ़कर स्कूल जाते हैं। उनके घर की लड़कियाँ बढ़िया साड़ियाँ पहनकर फुर फुर उड़ती हैं। पर ये लोग बिल्कुल मेहनत नहीं करते हैं। नौकर खाना पकाता है। नौकर कपड़ा कांचता (धोता) है। एक ग्लास पानी भी नौकर के भरोसे पीते हैं।

जब आदमी जन्म लेता है, तब मां के पेट से धन दौलत लेकर पैदा नहीं होता है। भले आदमी के पास इतनी दौलत आयी कहां से ? बिना मेहनत के उनके पास इतना पैसा कहां से आया ? यह समझने के लिए बनिया लोग को देखिये। जब देश से आया था, तब लोटा धर कर आया था। आज तो पूरे छत्तीसगढ़ के मालिक ये ही लोग हैं - बड़ा बड़ा पक्का मकान, ट्रक, टेलीविजन, गाड़ी, बैंक में बहुत पैसा जमा कर लिया है। खदान का ठेका, तेंदूपत्ता का ठेका, बड़ी बड़ी दुकान जमा लिया है। लोटे वाले आदमी 10-20 साल में कैसे इतने पैसों के मालिक बन गये हैं ? और हम आप दिनभर मेहनत करने के बाद भी दिनों-दिन गरीब होते जा रहे हैं। इस बात को थोड़ा सोचिये। इसी का नाम राजनीति है। राजनीति का मतलब है -लुटेरा और मेहनतकश वर्ग के बीच रिश्ता (यानी संघर्ष)

आज हमें एकता बनाकर लुटेरा लोगों के साथ लड़ना होगा। जंगल के शेर की आदत है खून पीने की, लुटेरा वर्ग भी शेर जैसा है। वह हमेशा मेहनती लोगों की खून पसीने की कमाई लूटता है। इनकी आदत कभी नहीं बदलेगी।

अगर जनता एकजुट होकर हिम्मत के साथ लड़ना चालू करती है तो पैंट कुर्ता पहनने वाले शेर भागेंगे। ये सब मिट्टी के शेर बन जायेंगे। मिट्टी के बने हुए शेर का कोई दम नहीं है। उसी प्रकार ये आदमी शेर का भी कोई दम नहीं है। जैसे हम लोग खेत में 'डरावनी' रखते हैं जिसमें एक फटा कपड़ा उड़ता है - चिड़िया डर कर सामने नहीं आती है। परंतु उसमें कोई दम नहीं है। वह दिखाने के लिए डरावनी है। इसलिए आज हमें हिम्मत करके एकजुट होकर लड़ना होगा।

अगर हममें एकता न हो तो कोई भी दुश्मन आकर हमें तोड सकते हैं। एक ठो कंचि (केवचि) को देखो। एक बच्चा भी इसको तोड़ सकता है लेकिन जब एक गट्ठा कंचि (केवचि) आ जाती है तो इसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए एकताबद्ध रहना है।

दो बिल्लियों में एक रोटी को लेकर खूब झगड़ा हुआ। क्योंकि वे एक दूसरे पर विश्वास नहीं करती थी। एक बोलती थी मैं बांटूंगी, दूसरी बोलती थी मैं बांटूंगी। रास्ते में एक बंदर मिला। बंदर ने पूछा, क्यों झगड़ा करती हो। बंदर बोला, " लाओ मैं बांट देता हूं।" बंदर ने रोटी के छोटे बड़े दो हिस्सों में टुकड़े किये। फिर बराबर करने के बहाने से निकाल कर खाता गया। वैसी ही पूरी रोटी खा गया। वैसे ही हम जब कभी आपस में बिल्लियों की तरह लड़ते हैं, तब बंदर की तरह सरकारी पुलिस, वकील, शोषक वर्ग हमारे पैसे खा जाते हैं। इसलिए हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए। अगर लड़ना है तो लड़ो दुश्मनों के साथ।

दुनिया में लड़ाई दो प्रकार की होती है। एक न्याय के लिए लड़ाई, दूसरी अन्याय के लिए लड़ाई। जब कोई गुंडा डाकू जनता को मारता है तो वह अन्याय की लड़ाई है और जब जनता गुंडा डाकू को मारती है तो वह न्याय की लड़ाई होती है। हम न्याय की लड़ाई में खुशी से भाग लेते हैं और अन्याय की लड़ाई का विरोध करते हैं।

लड़ने से ताकत कभी कम नहीं होती है, बल्कि ताकत बढ़ती है। एक सुखियार आदमी के हाथ और एक मजदूर के हाथ में क्या फर्क है ? मजदूर के हाथ घन चलाते हैं, टंगिया चलाते हैं, इसलिए मजबूत होते हैं। हमारे हाथ की चमड़ी और पैर की चमड़ी में फर्क होता है। पैर हमेशा जमीन में चलकर, जमीन के साथ [illegible] मजबूत होता है जबकि हाथ की चमड़ी नरम होती है। हम [illegible] ही लड़ाई सीखेंगे। बच्चा पैदा होते ही चलना चालू नहीं करता है, धीरे धीरे चला चालू करता है। बहुत गिरता है, फिर चलना सीखता है। हम भी लड़ाई लड़ते लड़ते मजबूत होंगे : लड़ाई सीखकर लुटेरा राज खत्म करेंगे।

(शहीद नियोगी के घर से क्रांति गुहा नियोगी के सौजन्य से।)

" यही वह शोषक वर्ग है जिसके हाथ में दो [illegible] के हथियार रहते हैं। एक बंदूक की गोली और दूसरी शक्कर सी मीठी लगने वाली बातों की गोली। शोषक वर्ग पूरी तरह से [illegible] दोनों गोलियां चलाता है। हमारे अनेक कामरेड बंदूक की गोली [illegible] तो मुकाबला कर सकते हैं लेकिन जब दुश्मन [illegible] से कहता है, आप महान है। आप बहुत अच्छे हैं, तब हमारे [illegible] की आंखों का गुस्सा पानी में बदल जाता है। दिल नरम हो जाता है। सिर झुक जाता है। मीठी बातों की गोली से दुश्मन हमारे कामरेडों को मार गिराता है। इसलिए सावधान रहना जरूरी है।"

(छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा बुलेटिन ', क्र. 3, 17 जनवरी 1981, में प्रकाशित उपरोक्त लेख के संशोधित रूप में से साभार [illegible]।)

इस लेख का एक संशोधित ' छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा बुलेटिन' क्र. 3.17 जनवरी 1981, में प्रकाशित हुआ था।
'कांचे' का बंगला में और 'केवचि' का छत्तीसगढ़ी में अर्थ है, पौधे की नरम टहनी। पांडुलिपि से स्पष्ट नहीं है कि शहीद नियोगी ने किस शब्द का उपयोग किया है। शायद दोनों का ही।

छत्तीसगढ़ और राष्ट्रीयता का प्रश्न

यह लेख पहली बार अंग्रेजी में ' आंध्र प्रदेश रेडिकल स्टूडेंट्स यूनियन' द्वारा 22-23 अगस्त 1981 को ' भारत में राष्ट्रीयता का प्रश्न' विषय पर मद्रास में आयोजित एक अखिल भारतीय परिचर्चा में प्रस्तुत किया गया था। इसका प्रथम प्रकाशन जुलाई 1982 में हैदराबाद से प्रकाशित पुस्तक 'नेशनलिटी क्वश्चन इन इंडिया' में हुआ। इसका हिन्दी रूपान्तरण पहली बार छमुमो की लोक साहित्य परिषद् द्वारा नवम्बर 1991 में प्रसारित किया गया। -स.

मध्यप्रदेश राज्य में छत्तीसगढ की सीमाओं का विस्तार 18 से 24 डिग्री अक्षांश तक तथा 80 से 84 डिग्री देशांतर तक है। इसका क्षेत्रफल 52,650 वर्ग मील है। आबादी करीब एक करोड़ 25 लाख है। छत्तीसगढ में सात जिले शामिल हैं -रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा, रायगढ और राजनांदगांव। पुराने जमाने में यह इलाका दक्षिण कोशल के नाम से जाना जाता था और इसे रतनपुर राज, दंडकारण्य, गोंडवाना आदि नामों से भी पुकारा जाता था। ऐतिहासिक सूत्रों के अनुसार,इस इलाकें के लिए छत्तीसगढ शब्द का प्रयोग सबसे पहले सन् 1487 में एक लोक कवि की रचनाओं में किया गया है।

इलका और लोग

भौगोलिक रूप से छत्तीसगढ दो क्षेत्रों में विभाजित है - मैदानी छत्तीसगढ और पहाड़ी छत्तीसगढ।

छत्तीसगढ का इलाका प्राकृतिक सम्पदा से भरपूर है। इसकी जमीन का एक बड़ा हिस्सा धान की खेती के लिए उपयुक्त है। छत्तीसगढ की भूमि में लौह अयस्क, कोयला, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट , तांबा, यूरेनियम, टिन, बॉक्साइट, फेल्सपार,मैंगनीज आदि खनिजों के विशाल भंडार हैं।यहां सागौन,साल, महुआ,तेंदू, साजा, बीजा तथा अन्य उपयोगी लकड़ी वाले पेड़ों के बड़े-बड़े जंगल है। शिवनाथ, महानदी और अरपा नदियों में बारहों महीने पानी रहता है।

छत्तीसगढ के विशाल इलाके में अपनी एक सुस्पष्ट पहचान वाले लोग रहते हैं। इसके बावजूद कि वे विभिन्न भाषाएँ बोलते हैं, उनकी अपनी एक विशिष्ट संस्कृति है, जो उनको अपने क्षेत्र एवं जन के विकास के लिए प्रेरित करती है। यहां के लोग एक लम्बे अरसे से सामंती अर्थव्यवस्था से बंधे रहे हैं।

छत्तीसगढ की परम्परागत कृषि एवं उद्योग के ये कुछ उदाहरण है -

1. लकड़ी पर नक्काशियां : इस क्षेत्र में खूबसूरती से नक्काशी किये गये काष्ठ शिल्प यहां के काष्ट शिल्पकारों की उन्नत कलाकारी के प्रमाण है।
2. आज भी इस इलाके में छितराये हुए स्लैग के भंडार इस बात की गवाही देते हैं कि यहां उन्नत धातुकर्म का प्रचलन था। अगरिया के नाम से ज्ञात एक आदिवासी जाति के लोग लोहा बनाते थे।
3. कोस्टा जाति के लोग कपड़ा बनाते थे।
4. कोलार जाति के लोग महुए के फूल से शराब बनाते थे।
5. छोटे-छोटे पहाड़ी नालों को बांधकर प्राचीन पद्धतियों से खेती के लिए पानी का उपयोग किया जाता था।
6. कृषि में गोटा पद्धति का प्रचलन था। इसके अनुसार सारा समुदाय मिलकर समुदाय के विभिन्न सदस्यों की खेती में सहयोग करता था, उसके बदले में जमीन का मालिक समुदाय को उस दिन सामिष भोजन कराता था।
7. सामूहिक रूप से लोग शिकार करने जाते थे और शिकार में मारे गये जानवरों को सहभागियों में समान रुप से बांट दिया जाता था। कुत्तों को भी उनका समान हिस्सा दिया जाता था।
8. पलाश के पेड़ों पर लाख उपजायी जाती थी।
9. कोसा कीड़ों से रेशम का उत्पादन किया जाता था और उससे रेशम के कपड़े बनाये जाते थे।
10. भारी मात्रा में तिलहन और दलहन का उत्पादन होता था।

छत्तीसगढी समाज में कला एवं संगीत के माध्यम से अभिव्यक्ति की अच्छी क्षमता है। विवाहों, पर्व-त्यौहारों एवं "ज्योत्सना रात्रि समावेशों" के अवसरों पर लोग मिल-जुलकर समूहगान करते हैं। छत्तीसगढी स्त्री-पुरुष सुआ, रीलो, बीहा, फाग आदि विभिन्न नृत्यों से अपनी खुशियों को व्यक्त करते हैं। छत्तीसगढ के इलाके में ग्राम देवताओं तथा बूढ़ादेव, दन्तेश्वरी, कंकालीन और महामाया जैसे देवी देवताओं की आराधना की जाती है।

कलचुरी राजवंश एवं उसके बाद मराठों ने तथा अंत में अंग्रेजों ने छत्तीसगढ पर राज किया। सन् 1947 तक कवर्धा, राजनांदगांव, लोहारा, रायपुर, रतनपुर, बिलासपुर आदि के छोटे-रजवाड़ों के माध्यम से इस इलाके में शासन चलाया जाता था। इन राज्यों ने अपने विशिष्ट सांस्कृतिक योगदानों से जन जीवन को समृद्ध एवं प्रभावित किया। ब्राम्हणवादी संस्कृति केवल

यहां 'राष्ट्रीयता' शब्द का उपयोग भारत के किसी ऐसे जन समुदाय के संदर्भ में किया गया है जिसकी अपनी एक विशिष्ट ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान हो। इस मायने में इसे 'राष्ट' अथवा 'राष्ट्रीय' शब्दों में अंतर्निहित अवधारणाओं के पर्याय के रुप में नहीं, वरन् पूरक के रुप में देखना उपयुक्त होगा। शहीद नियोगी ने राष्ट्रीयता के प्रश्न को देखने का एक देशप्रेमी और जनवादी नजरिया दिया है। -स.

सरकारी प्रशासन में पायी जाती है थी, लेकिन ग्रमीण संस्कृति में निर्वाचित बैगाओं का स्थान प्रमुख होता था।

छत्तीसगढ में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं और बोलियां है - छत्तीसगढ़ी, हल्बी,गोंडी और उरांव। इनके अलावा कुछ लोग मारिया आदि बोलियां भी बोलते हैं।शहरो में संवाद की भाषा हिन्दी है।

अंग्रेजी राज के वक्त केवल एक सूती कपड़ा मिल राजनांदगांव में और एक जूट मिल रायगढ में थी।आजादी के बाद सोवियत एवं अन्य विदेशी पूंजी की मदद से कई सारे उद्योग स्थापित किये गये, जिनमें भिलाई इस्पात संयंत्र, कोरबा अल्युमिनियम संयंत्र,ताप बिजली घर और सीमेंट कारखाने आदि प्रमुख हैं।

छत्तीसगढ की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति

खनिजों, वनों एवं उपजाऊ जमीन के विपुल संसाधनों की मौजदूगी के बावजूद छत्तीसगढ के लोग बहुत ही गरीब हैं। लाखों लोगों के लिए दो जून पेटभर खाना आज भी एक सपना है। कुपोषण,अशिक्षा और बीमारियों से यह इलाका पीड़ित है। आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से छत्तीसगढ की जनता को तीन भागों में बांटा जा सकता है।-

1. आधुनिक उद्योग समूहों के इर्द-गिर्द विकसित शहरी इलाकों में रहने वाले लोग।
2. पहाड़ों एवं जंगलों के बीच रहने वाले आदिवासी।
3. खेती के मैदानी इलाकों में रहने वाले किसान।

1.औद्योगिक क्षेत्र - विदेशी पूंजी (सार्वजनिक क्षेत्र) और कुछ बड़े भारतीय पूंजीपतियों की पूंजी (निजी क्षेत्र) से स्थापित विराट आधुनिक कल कारखानों के इर्द-गिर्द एक नये प्रकार की शहरी सभ्यता का विकास हुआ है। इन शहरी इलाकों को दो भागों में बांटा जा सकता है -

क) आधुनिक सुविधाओं से भरपूर शहरी इलाके।

ख) शहरी झोपड़-पट्टियाँ।

भिलाई की इस्पात नगरी, कोरबा की अल्युमिनियम नगरी, जामुल का सीमेंट शहर, अकलतरा, मांढर आदि तथा छत्तीसगढ की तथाकथित सांस्कृतिक राजधानी रायपुर, छत्तीसगढ के इन आधुनिक औद्योगिक शहरों में प्रमुख हैं। इन शहरों में रहने वालों में से 90% लोग भारत के विभिन्न राज्यों से आये हुए लोग हैं और बाकी 10% लोग छत्तीसगढ के मूल बाशिंदे हैं। शहरों की झोपड़-पट्टियों में छत्तीसगढ़ियों के अलावा पड़ोसी राज्यों- उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से आये हुए आप्रवासी मजदूर रहते हैं।

2. पहाड़ों और जंगलों में छितराये हुए गांवों में रहने वाले मुख्यतः आदिवासी हैं।इनमें से 10 प्रतिशत भूमिहीन हैं, 75 प्रतिशत छोटे किसान हैं, 12 प्रतिशत मझोले किसान है और 3 प्रतिशत धनी किसान हैं। इन इलाकों की जमीन बहुत कम उपजाऊ है।

3. मैदानी इलाकों में कुर्मी,कलार,तेली; आदिवासी और हरिजन रहते हैं। इनमें से 30 प्रतिशत भूमिहीन हैं, 40 प्रतिशत छोटे किसान हैं, 20 प्रतिशत मध्यम किसान हैं, 8 प्रतिशत धनी किसान हैं, और 2 प्रतिशत छोटे किसान हैं, 20 प्रतिशत मध्यम किसान हैं, 8 प्रतिशत धनी किसान है,और 2 प्रतिशत गैर-मौजूद मालगुजार (जमींदार) हैं। भूमि की उर्वरता मध्यम स्तर से लेकर उत्कृष्ट स्तर तक है। खेती की जमीन का केवल 12 प्रतिशत सिंचित है।

व्यवसायी वर्ग में से अधिकांश लोग छत्तीसगढ के बाहर से आये हुए लोग हैं। गांवों में महाजनी का धंधा मारवाड़ी लोग करते हैं और शहरी इलाकों में सूदखोर मुख्यतः पंजाबी लोग हैं।

जहां तक रोजगार का सवाल है, आदिवासी एवं अन्य गरीब लोग खदानों में काम करते हैं। लेकिन हाल के दिनों में 'समाजवादी' सोवियत संघ से प्राप्त पूंजी और मशीनों की मदद से मशीनीकरण तेजी से बढ रहा है और उससे गरीबों के लिए रोजगार की सम्भावनाएं घटती जा रही है।

मध्यप्रदेश की वर्तमान स्थिति और छोटे राज्यों के गठन की मांग

आज का मध्यप्रदेश राजसत्ता द्वारा असहज ढंग से गठित किया गया एक राज्य है। जिसका उद्देश्य है मालवी, बुंदेली, बघेली और छत्तीसगढ़ी राष्ट्रीयताओं के इलाकों पर नियंत्रण करना और उन पर राज चलाना। इसी के चलते लोकतांत्रिक प्रक्रिया, प्रशासन, कृषि विकास, कृषि उपज का वितरण, ग्रामीण उद्योगों का विकास, लोगों की श्रम शक्ति का सही उपयोग, वैज्ञानिक नियोजन एवं सर्वतोन्मुखी प्रगति, शिक्षा,स्वास्थ्य और सांस्कृतिक विकास के क्षेत्रों में वर्तमान राजसत्ता बिल्कुल असफल रही है। अर्द्ध-औपनिवेशिक, अर्द्ध-सामंती पद्धति से राजसत्ता का उपयोग करने में राज्य की मशीनरी का एक मात्र उद्देश्य लोगों को दमनकारी काले कानूनों की मदद से कुचलकर रखना रहा है। इसलिए सहज राजनैतिक प्रक्रियाओं से राज्य की सीमाओं का निर्धारण नहीं किया गया है और राजसत्ता की प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए कृत्रिम ढंग से सीमाएं तय की गयी है। इसी प्रकार प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से जहां एक ओर मेघालय, अरूणाचल, मणिपुर और हरियाणा राज्यों का गठन किया गया है, वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ ,तेलंगाना, झारखंड आदि राज्यों के गठन की मांग को ठुकरा दिया गया है , क्योंकि उनका गठन प्रशासन के हित में नहीं है। इसके फलस्वरुप लोग सामंती एवं अर्ध-सामंती राजनैतिक ढांचे एवं उत्पादन संबंधों में फंसकर रह गये हैं। ग्रामीण इलाकों में लोगों की क्रय-शक्ति लगातार घटती चली गयी है और उनको एक के बाद एक अकाल का सामना करना पड़ रहा है। भूखी जनता बिल्कुल असहाय होकर चुपचाप मौत का इंतजार करती है। फिर भी सरकार प्रगति के गीत गाती जा रही है।

नये छत्तीसगढ राज्य की मांग जनता की लोकतांत्रिक मांग है

लोग चाहते हैं कि छत्तीसगढ के इलाके का विकास हो। वर्तमान राजनैतिक ढांचे में ऐसी कोई बात नहीं है कि छोटे राज्यों

के गठन मात्र से स्वतः उनकी सारी कमियां दूर हो जायेंगी।फिर भी जब किसी राष्ट्रीयता का विशाल बहुमत यह महसूस करता हो कि सुस्पष्ट एवं विशिष्ट पहचान के आधार पर अलग राज्य का गठन करने से वे राष्ट्र की प्रगति में सक्रिय रुप से भाग लेने में सक्षम होंगे और इससे प्राकृतिक संसाधनों के समुचित व सुनियोजित उपयोग में सुविधा होगी और जब वे इस लक्ष्य के लिए सामूहिक रुप से काम करने के लिए तैयार हो, तब इस मांग की पूर्ति लोगों का एक लोकतांत्रिक अधिकार हो जाता है। यह लोकतांत्रिक अधिकार अवश्य दिया जाना चाहिए। आज छत्तीसगढ़ी पूंजीपति एवं निम्न पूंजीपति छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के विचार से अधिकाधिक उत्साहित हो रहे हैं और उसे अपना रहे हैं। किसानों में भी अलग राज्य के गठन की मांग जोर पकड़ती जा रही है। इसलिए मजदूर वर्ग का यह कर्तव्य है कि वह इस विषय में सक्रिय भाग ले। अगर एक स्पष्ट दिशा में इस अभियान को नहीं चलाया जाता और इसे लोगों के मुक्ति संघर्ष के प्रश्न के साथ जोड़ा नहीं जाता तो यह गलत दिशाओं में भटक सकता है। उग्र अंधराष्ट्रवाद पूरे अभियान को नुकसान पहुंचा सकता है।

भारत में राष्ट्रीयता के प्रश्न को हमेशा ही अंग्रेज साम्राज्यवादियों के दृष्टिकोण से देखा जाता रहा है। स्वाधीनता संग्राम के नाम से ज्ञात आंदोलन जब दलाल पूंजीपतियों और पूंजीपतियों के सीमित हितों से आगे निकल गया और सामाजिक मुक्ति के दीर्घकालीन जन संघर्ष से जुड़ गया, तब साम्राज्यवादी लोग घबरा गये।उन्होंने सवाल रखा, क्या भारतीय राष्ट्र जैसी कोई चीज है भी ? क्या एक उपमहाद्वीप जैसे विशाल इलाके में बिखरे हुए और असंख्य जातियों, भाषाओं ,समुदायों और संस्कृतियों में बंटे हुए लोग कभी भी एकराष्ट्र में एकताबद्ध हो सकते हैं ? क्या यह बात सच नहीं है कि भारत की एकमात्र एकता अंग्रेज शासन द्वारा कृत्रिम ढंग से थोपी गयी झूठी एकता ही है ? सन् 1888 में सर जान स्ट्राची ने गम्भीरतापूर्वक इस बात की घोषणा की थी, "भारत नाम की कोई चीज नहीं है और कभी होगी भी नहीं।"

" इंगलैण्ड का विस्तार " में सर जॉन सेली हमें बताते हैं "भारत को एक राष्ट्र के रुप में मनाने का विचार जिस मूल भ्रांत धारणा पर आधारित है वह राजनीति विज्ञान के खिलाफ है।" भारत" किसी राजनैतिक स्वरुप का नाम नहीं है,बल्कि यूरोप और अफ्रीका के समान इसका केवल एक भौगोलिक अर्थ है। यह किसी राष्ट्रीय या भाषाई समूह के समरुप नहीं है, बल्कि इसमें कई राष्ट्र और भाषाई समूह है।

सन् 1930 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट ने भारतीय जनता की विविधता का खास तौर पर उल्लेख किया और इस आधार पर उसने भारत के स्वाधीनता संघर्ष के मूल मुद्दों पर संदेह प्रकट किया। इस रिपोर्ट में राष्ट्रीय आंदोलन को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया ," भारत की विशाल जनता उसके एक छोटे से हिस्से की इच्छाओं से प्रभावित है।" 222 भाषाओं, हिन्दू एवं मुस्लिम हितों में परस्पर मूलभूत विरोध आदि का हवाला देते हुए इस 'विशाल जनता में नस्लों एवं धर्मों के जमघट' के रंजनापूर्ण परिदृश्य को चित्रित किया गया। चर्चिल ने दावा किया कि यदि अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाते हैं तो हत्याओं और अन्य उपद्रवों की चीख चिल्लाहटों से वातावरण गूंज उठेगा। विभिन्न राष्ट्रीय अस्मिताओं की मौजूदगी के आधार पर अंग्रेज साम्राज्यवादियों ने भारत के स्वाधीनता संघर्ष का विरोध किया था।

इसके जवाब में हमारे बुर्जुआ नेताओं ने एक भावात्मक एवं आदर्शमूलक एकता पर जोर दिया। रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने "विविधता में एक महान एकता" (विविधेर माझे मिलानो महान) की बात कही और उन्होंने दावा किया कि तमाम नस्लें, जैसे शक, हूण, पठान, मुगल आदि एक समुदाय में एकताबद्ध हैं (एक देहे होलो लीन) कुछ बुर्जुआ नेता साम्राज्यवादियों के दावों से प्रभावित हुए थे, जैसे सुरेन्द्रनाथ बैनर्जी और मोतीलाल नेहरू।

उस समय, बुर्जुआ नेता भारतीय राष्ट्र की भिन्न भिन्न सांस्कृतिक अस्मिताओं के ताने बाने में अंतर्निहित एकता की अवधारणा को कोई वैज्ञानिक स्वरुप प्रदान नहीं कर पाये या शायद जानबूझ कर इस चीज को दबा दिया गया हो। सन् 1921 की जनगणना रिपोर्ट के आधार पर कुछ कम्युनिस्टों ने इस बात पर जोर दिया कि वर्ग हित ही राष्ट्रीय एकता का एक मात्र सही आधार है। उन्होंने इसके लिए जमशेदपुर का उदाहरण दिया,जहां उत्पादन के आधुनिक माहौल में सभी प्रजातियों एवं राष्ट्रीयताओं के लोग मिल जुलकर काम करते हैं,और कोई भी अपने बगल में काम करने वाले व्यक्ति की राष्ट्रीयता या प्रजातीय अस्मिता पर ध्यान नहीं देता है। केवल भारतीय किसानों की चेतना की प्रकृति की उपेक्षा की। भले ही जमशेदपुर में वर्ग दृष्टिकोण लागू हो,पर दक्षिण बिहार के आदिवासी झारखंड के मसले को अधिक महत्त्व देते हैं। इस संदर्भ में यह बिडम्बना की बात है कि उसी जमशेदपुर में पिछले दिनों बड़े पैमाने पर साम्प्रदायिक दंगे हुए।

राजसत्ता आज भी चर्चिल के शब्दों को दोहरा रही है

स्थायी सरकार की मरीचिका से लोगों को बहलाने की कोशिश में अस्थिरता के विकल्प का जो खतरा दिखाया जाता है, वह साइमन कमीशन के ही निष्कर्षों को प्रतिबिम्बित करता है। केन्द्रीय सत्ता को मजबूत करने की जो अपील की जाती है, वह चर्चिल की उस धमकी की याद दिलाती है कि साम्राज्यवादी ताकतों के यहां से हटने पर वातावरण मौत की चीत्कारों से गूंज उठेगा। क्या आज भी भारत की एकता केन्द्र द्वारा थोपी गयी एक कृत्रिम अवधारणा है ? यदि केंद्र थोड़ी सी भी ढिलाई कर दे तो क्या देश टुकड़ों-टुकड़ों में बंट जायेगा? रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने विविधता में जिस एकता की बात कही थी, वह कहां है? बीच-बीच में राज्यों की ओर से अधिक स्वायत्तता की मांग करती हुई हल्की-फुल्की पुकारें सुनायी पड़ती हैं। इन पुकारों के पक्ष में भी कोई ठोस तर्क नहीं दिये जाते हैं। वास्तविक समस्याओं को चतुरतापूर्वक छिपा लिया जाता है। क्यों हर कोई राष्ट्रीय एकता के प्रश्न पर साइमन कमीशन को गुरु मान बैठा है? क्यों नहीं हम सुस्पष्ट भिन्न राष्ट्रीय अस्मिताओं के अस्तित्व को मान लेते हैं और क्यों नहीं हम सामंतवाद और उपनिवेशवाद के बड़े सवालों से निपटने के लिए राष्ट्रीय अस्मिता के प्रति वफादारी से उपजी ताकतों को एकजुट

करने के काम को महत्व देते हैं ?

भारतीय जनता के विभिन्न राष्ट्रीय समूह भारत के विशाल भौगोलिक क्षेत्र के विभिन्न भागों में रहते हैं। अन्यान्य राष्ट्रीय ऐतिहासिक कारणों के चलते, इन राष्ट्रीय समूहों का विकास असमान ढंग से हुआ है। कुछ राष्ट्रीय समूहों के लोग आर्थिक एवं सामाजिक रुप से बहुत ही आगे बढ़े हुए हैं, और दूसरी तरफ अन्य कुछ राष्ट्रीय समूहों के लोग हर मामले में पिछड़े हुए है। छत्तीसगढ़ में हरिजनों एवं आदिवासियों की स्थिति औसत छत्तीसगढ़ी से कहीं अधिक बदतर है। आदिवासी और हरिजन आबादी का 60 से 65 प्रतिशत है। इन कारणों से जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है, छत्तीसगढ़ कुल मिलाकर एक अत्यन्त पिछड़ा हुआ अंचल है।

छत्तीसगढ़ के लोगों को स्वशासन का अधिकार देना होगा

स्टालिन की शिक्षाओं के अनुसार, प्रत्येक राष्ट्रीय समूह को उसके लोगों की इच्छाओं के अनुरुप अपने भविष्य को गढ़ने का हक है। छत्तीसगढ़ी राष्ट्रीयता को राज्य के रुप में स्थापित किया जा सकता है -

1. निकट भविष्य में छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय समुदाय के स्वशासन के अधिकार के लिए संघर्ष तेज होगा। इसका कारण यह है कि छत्तीसगढ़ की विशाल आबादी कृषि पर निर्भर है और किसान, खास करके आदिवासी किसान, विशिष्ट रुप से उत्पीड़ित और शोषित हैं। चूंकि भूमि की समस्या राष्ट्रीयता के प्रश्न और उसके लिए चलाये गये आंदोलन से घनिष्ठता से जुड़ी हुई है, इसलिए किसान समुदाय अपनी पूरी ताकत के साथ यह लड़ाई लड़ेगा। यह पूर्वानुमान हमारे ऐतिहासिक अनुभव पर आधारित है। इसलिए मजदूर वर्ग भी उनकी मदद के लिए इस लड़ाई में शामिल होगा। राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग और निम्न पूंजीपति वर्ग और कुछ नहीं तो इसलिए इस संघर्ष में शामिल होगा कि किसानों की क्रय शक्ति का बढ़ना उनके अपने हित में है, कम से कम वे इसका विरोध तो नहीं करेंगें।

2. छत्तीसगढ़ का मजदूर वर्ग अनेक सफल संघर्षों से हासिल अपने अनुभव को लेकर इस आंदोलन को सफल नेतृत्व देने की क्षमता रखता है। आदिवासी किसान समुदाय हमारे लाल-हरे झंडे का काफी सम्मान करता है। इसलिए इसके नेतृत्व को काफी महत्व मिलेगा।

3. आनंदमार्गियों और जमींदारों द्वारा दिया गया 'छत्तीगढ़ियों के लिए छत्तीसगढ़' का नारा बेअसर साबित हुआ है। इस अभियान में एक राष्ट्रीय समूह दूसरे राष्ट्रीय समूह के खिलाफ नहीं लड़ेगा।

4. विभिन्न वर्गों के लोग अपने-अपने वर्ग हितों एवं वर्ग चेतना के आधार पर एकताबद्ध होंगे। इसलिए विभिन्न राष्ट्रीय समूहों के बीच शांतिपूर्ण संबंध रहेगा, जबकि विभिन्न समूहों के हितों को साधने के लिए संघर्ष जारी रहेगा।

5. ट्रेड यूनियनों के क्रांतिकारी कार्यक्रम, शराबखोरी का बहिष्कार, किसान एवं भूमि के प्रश्न, वन उत्पाद की कीमतों का प्रश्न, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का प्रश्न, हर प्रकार के दमन के खिलाफ संघर्ष, विशेषकर महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष आदि इस आंदोलन में शामिल रहेंगे। चूंकि मजदूर वर्ग यह देखेगा कि ये संघर्ष उनके खुद के हित में हैं, इसलिए न केवल मजदूर वर्ग इस आंदोलन में शामिल होगा, बल्कि वह उसे निःस्वार्थ नेतृत्व भी प्रदान करेगा।

6. हम सामंतवाद से छलांग लगाकर समाजवाद तक नहीं पहुंच सकते। हम पूंजीवाद की प्रक्रिया में से गुजरते हुए समाजवाद में केवल संक्रमण की एक प्रक्रिया को शुरु कर सकते हैं। लेकिन इतिहास से लिये गये सबकों को ध्यान में रखते हुए इस प्रक्रिया को ग्रामीण इलाकों में मजदूर वर्ग के नेतृत्व में बड़ी सावधानी से चलाना होगा।

7. मजदूर वर्ग इससे संतुष्ट होकर चुप नहीं रहेगा और एक कदम आगे बढ़ायेगा और को-आपरेटिव सोसायटियों (वर्तमान सोसायटियों की तर्ज पर नहीं) और ऐसी अन्य संस्थाओं का गठन करेगा और तेजी से समाजवादी अर्थव्यवस्था और समाज की दिशा में बढ़ेगा।

8. राष्ट्रीय अस्मिता के इस अभियान में सर्वहारा अपने दोस्तों को खोज निकालेगा और अपने दुश्मनों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ेगा।

आज छत्तीसगढ़ के पिछड़ेपन के कारण ये हैं :

1. औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा ऊपर से लादे गये आर्थिक संबंध और मशीनीकरण।

2. सामंती ग्रामीण अर्थव्यवस्था।

3. भूमि की निम्न-स्तरीय उत्पादकता।

छत्तीसगढ़ी कौन है ?

इस अभियान को उग्र अंधराष्ट्रवाद में विकृत होने से बचाने के लिए अभियान की शुरुआत में ही " छत्तीसगढ़ी कौन है ?" प्रश्न का उत्तर देना होगा और इस उत्तर को हमेशा ध्यान में रखना होगा। छत्तीसगढ़ी वे हैं, जो छत्तीसगढ़ के भौगोलिक क्षेत्र में रहते हों और ईमानदारी से मेहनत करके अपनी आजीविका का अर्जन करते हों, जो छत्तीसगढ़ की जनता की स्वाधीनता के लिए अपने प्राण देने के लिए तैयार रहते हों, जो आर्थिक रुप से या अन्य किसी भी प्रकार से सामंती वर्ग की वैज्ञानिक परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हो, जो पूंजीवादी संबंधों का खात्मा चाहते हों, जो लोकतांत्रिक छत्तीसगढ़ के विकास में बाधा नहीं डालेंगे, और जो विश्व सर्वहारा के प्रति भाईचारा का भाव रखते हों।

सर्वहारा की मुक्ति के लिए क्रांति एक नितांत ऐतिहासिक जरूरत है। अन्य प्रगतिशील तत्व भी समाज व्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन के रुप में क्रांति को जरूरी महसूस करते हैं। राष्ट्रीयता के आत्म-निर्णय का संघर्ष इस गुणात्मक परिवर्तन की दिशा में एक कदम है।

हम छत्तीसगढ़ में कैसे काम करते हैं ?

छत्तीसगढ़ में हम वर्तमान समाज व्यवस्था के खिलाफ एवं संघर्ष में जुटे हुए हैं। हम इस व्यवस्था में एक गुणात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं। लेकिन हमारी विकल्प की अवधारणा क्या है ? कुछ साथी कहेंगे," व्यवहार में विकल्प तो बाद में आयेगा, अभी तो आप मेरा भाषण सुनिये।" हम ऐसा नहीं कहते। हमारा ख्याल है कि केवल सक्रिय कार्यक्रमों के माध्यम से हम अपने उद्देश्य को हासिल कर सकते हैं। इस कारण, हम अपने प्रत्येक कार्यक्रम को चलाने की प्रक्रिया में विकल्प को ढूंढते हैं। हमारी वर्तमान समाज-व्यवस्था का विकल्प एक ऐसा समाज है, जो नता के नेतृत्व में होगा और जो जनवादी लोकतांत्रिक क्रांति के माध्यम से हासिल होगा। राष्ट्रीय अस्मिता के लिए किया गया संघर्ष इस प्रयास में सभी प्रगतिशील तत्वों को पहचानने एवं एकताबद्ध करने में मदद करेगा। एक सच्ची समाजवादी व्यवस्था को कायम करना इस प्रक्रिया का अगला कदम होगा।

वैकल्पिक औद्योगिक नीति

(चर्चा के लिए ड्राफ्ट)

सन् 1987-88 से छमुमो ने अन्य संगठनों के साथ मिलकर एक वैकल्पिक विकास नीति की रूपरेखा बनाने की शुरूआत की। उसकी पहल पर पहली बैठक कानपुर में कुछ यूनियनों व अन्य संगठनों के साथ हुई। दूसरी बैठक सहारनपुर में हुई जहां नियोगी की ओर से छमुमो के साथी अनूप सिंह ने चर्चा हेतु वैकल्पिक औद्योगिक नीति का निम्नलिखित पर्चा पेश किया। इसी क्रम में शहीद नियोगी ने वैकल्पिक कृषि नीति पर भी अपने विचार लिखे जो इसी खंड में 'राष्ट्रीय कृषि नीति के दिशाबोध पर्चे प्रतिक्रिया' शीर्षक के लेख में प्रस्तुत हैं। - सं.

प्रस्तावना

1. 18वीं शताब्दी की औद्योगिक क्रांति ने यूरोपीय और अमेरिकी देशों को विकसित क्षेत्र में परिवर्तित किया था। औद्योगिक क्रांति के समय इन देशों में जनता ने स्वाभिमान की भावना से ओत-प्रोत हो अपने-अपने राष्ट्रों के लिए एक स्वावलम्बन की अर्थनीति पर अमल किया। भले ही पूँजीपति जैसे स्वार्थी वर्ग का नेतृत्व हावी रहा, फिर भी अन्य वर्ग और विशेष रूप से मजदूर वर्ग ने भी औद्योगिक विकास की प्रक्रिया में सहर्ष हाथ बँटाया था। बदलाव की हवा इन देशों में तेजी से बहने लगी और यह औद्योगिक क्रांति साहित्य, संस्कृति, जीवन स्तर, कृषि आदि पर प्रतिबिम्बित हुई। विकास के नये-नये दरवाजे खुले।

2. जबकि सन् 1917 की अक्टूबर क्रांति एक सामाजिक, राजनैतिक क्रांति थी। इस क्रांति के जरिये मजदूर वर्ग ने पूँजीपति वर्ग से राजसत्ता छीन ली। क्रांति से कृषि, स्वास्थ्य, संस्कृति आदि के साथ-साथ औद्योगिक विकास में भी एक गुणात्मक परिवर्तन आया।

3. क) क्रांति की ज्वाला ने समाज के सभी क्षेत्रों, कृषि स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग व संस्कृति को ऊर्जा दी और एक संतुलित सामाजिक विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया। जबकि औद्योगिक क्रांति के बाद असंतुलित, अपंग विकास हुआ जिसमें उद्योग तो विकसित हुए, लेकिन संस्कृति जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक पहलुओं में पिछड़ापन रहा। यही अपंगता ट्यूमर की तरह बढ़ती गयी और इसने साम्राज्वाद का रूप लिया।

   ख) शुरू के संतुलित विकास के बाद रूस भी पूँजीवादी देशों की होड़ में शामिल हुआ और वहाँ असंतुलित ढंग से उद्योग के विकास पर जोर रहा। समाजवादी संस्कृति, दुनिया के मेहनतकशों से भाईचारा आदि पहलू गौण हो गये। इस असंतुलित विकास से नये समाज की आशाओं पर पानी फिर गया।

4. औद्योगिक विकास की उपरोक्त दो धाराओं का विश्लेषण कर, इतिहास से शिक्षा लेकर हमें अपनी औद्योगिक नीति पर विचार करना चाहिए।

5. हमारी औद्योगिक नीति का मूल आधार होगा -

   क) महाशक्तियों के दबाव से मुक्त होकर अपनी औद्योगिक नीति तय करना।

   ख) भारत को एक आत्मनिर्भर देश बनाने के लिए विभिन्न राष्ट्रीयताओं में आत्मनिर्भर अर्थनीति की स्थापना हो।

   ग) पारम्परिक उद्योगों के विकास में बाधाओं को हटाया जाये।

   घ) औद्योगिक विकास के साथ-साथ तीव्र गति से संस्कृति,कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा व सामाजिक जीवन के अन्य पहलुओं का विकास भी निश्चित कर लेना चाहिए।

   च) बड़े उद्योग, छोटे उद्योग, जंगल काटकर उद्योग की स्थापना या जंगल के लिए उद्योग को बंद करना, आधुनिकीकरण करना या न करना या किस हद तक करना आदि सवालों पर संतुलित विकास व सामाजिक जरूरत के नजरिये से ही प्राथमिकता तय करनी होगी और लागू करने के समय लचीलापन होना चाहिए।

   छ) जब तक नयी औद्योगिक नीति पूर्ण रूप से लागू न हो तब तक वर्तमान औद्योगिक नीति पर आम बहस कर उसकी बखिया उधेड़नी चाहिए।

उद्योग की वर्तमान हालत

हमारे देश में उद्योग के विकास की प्रक्रिया और विभिन्न उद्योगों की वर्तमान हालत पर व्यापक चर्चा कर इन बातों का अध्ययन करके ही हम अपनी उद्योग की नयी नीति तय कर सकते हैं। इसके लिए उत्साही साथियों को हाथ बँटाना होगा।

फिर भी कुछ मुद्दे सूर्य की रोशनी से भी अधिक साफ हैं कि इस देश के अधिकांश उद्योगों पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों तथा अन्य विकसित देशों की पूंजी इस कदर हावी है कि हमारी पूरी अर्थव्यवस्था दिवालिया हो चुकी है। इसके फलस्वरूप उत्पन्न आर्थिक अनिश्चितता, राजनैतिक अस्थिरता प्रति दिन के अखबारों से झलकती ही है। हमारे देश के राजनीतिज्ञों ने 'विकसित देशों को खुश करो और सुखी हो जाओ' की नीति को अपना रखा है। इसी रोशनी में अब हम कुछ उद्योगों पर विचार करें।

अंडा उद्योग - बाजार से हम 70-75 पैसे में एक अंडा खरीदते हैं। वहां यह अंडा पास के किसी मुर्गी फार्म से आता है। अपने देश की मुर्गी और अपने ही देश का अंडा, मजे से हमें इसे 'स्वदेशी माल' समझकर खा लेते हैं। लेकिन अपनी इस मुर्गी व अंडे के बीच कितनी विदेशी पूँजी घुसी है और उसका कितना नियंत्रण है, उससे हम बेखबर हैं।

जो चूजे मुर्गी बनते हैं, वे विदेश से आते हैं। कम्पनी पहले से आर्डर लेती है और समय से एक दिन पहले चूजे हवाई अड्डे पर आते हैं। हिन्दुस्तान के तमाम मुर्गी फार्मों के चूजे इस तरह विदेश से आते हैं। यही नहीं, उनका मुर्गीदाना भी ये ही कम्पनियाँ बनाती हैं और ये ही उन्हें वैक्सीन, दवाइयाँ आदि उपलब्ध कराती हैं। इस तरह से पूरा धंधा इन्हीं विदेशियों के कब्जे में है। मुर्गी-अंडे का यह धंधा नाम से भले छोटा लगता है लेकिन फाइजर जैसी बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ इस धंधे पर छायी हैं। विदेशी कम्पनियाँ चाहें तो हमें एक दिन में अंडे के लिए मोहताज कर सकती हैं।

यह एक उदाहरण मात्र था, जिससे हम अंदाज लगा सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था में, उद्योग में विदेशियों की घुसपैठ कितनी व्यापक व गहरी है।

इस्पात उद्योग - किसी भी अर्थव्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण उद्योगों में से एक इस्पात उद्योग है। सरकार भी उसे उद्योग की रीढ़ मानकर सन् 1950-55 से ही इस्पात उद्योग के विकास के नारे लगाती आ रही है और विकास से उसका मतलब है - विदेशी पूंजी, विदेशी तकनालाजी। रूस, इंग्लैंड व जर्मनी की सहायता से भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर एवं राऊरकेला, सरीखे बड़े-बड़े इस्पात नगर तैयार हुए। लेकिन ये बड़े-बड़े नगर व उससे भी बड़ी-बड़ी विदेशी 'सहायता' कहाँ तक देश की जरूरत पूरी कर पाये ?

1. आज देश को कितने इस्पात की जरूरत है ?

2. देश की इस्पात उत्पादन की कितनी क्षमता है?

3. आज कुल कितना उत्पादन हो रहा है ?

दस्तूर आयोग की योजना के अनुसार 21वीं सदी से पहले हमारे देश को 10 करोड़ टन का लक्ष्य पूरा करना चाहिए। आज हम 21वीं सदी का दरवाजा तो खटखटा रहे हैं (कुछ पायलट तो शायद उसमें उड़ान भी भर रहे हों) लेकिन हमारे इस्पात का उत्पादन अभी 80 लाख टन पर ही टहल रहा है, *यानी प्रस्तावित लक्ष्य का 1/10 रास्ता भी तय नहीं हुआ।*

हम क्यों जरूरत का उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं ? क्या हमारे यहाँ खनिज लोहे की कमी है ? क्या ऊर्जा के लिए कोयला नहीं है या फिर बनाने वाले हाथों की कमी है ?

इस्पात उद्योग का एक और दिलचस्प किस्सा सुनिये। पिछले कुछ वर्षों से सेल (स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि.) ने अमेरिका व जापान से पिग-आयरन खरीदना शुरू किया है। क्यों?

क्या हम इतना पिग-आयरन उत्पादन करने की क्षमता नहीं रखते ? देश की पिग-आयरन उत्पादन करने की वर्तमान क्षमता कितनी है ? और आज पिग-आयरन का कितना उत्पादन हो रहा है। पिग-आयरन की कास्टिंग मशीनों में छँटनी कर उत्पादन कम क्यों कर रहे हैं ? विदेशों से मँगाने की जगह अपने ही देश में उत्पादन क्यों नहीं कर रहे ?

कुछ लोग ये कहने की हिमाकत करते हैं कि विदेशी पिग-आयरन सस्ता पड़ता है। **किसी भी देशप्रेमी नागरिक से पूछिये 'उत्पादन करना' घाटे का सौदा है या 'आयात करना'?** जापान हमसे खनिज लोहा खरीदकर उसका पिग-आयरन बनाकर हमें ही बेचता है। क्या यह अंग्रेज राज की तरह नहीं है, जब वे हमसे *कपास खरीदते थे और उसका कपड़ा बनाकर हमें ही बेचते थे ?*

जो उत्पादन यहाँ पर होता भी है, उस पर हमारा कितना नियंत्रण है ? सन् 1955 में विदेशी मशीनें व उच्च तकनालाजी लायी गयी और उस पर खर्च किये थे - अरबों-अरब रूपये। अब सरकार कहती है कि वे मशीनें, वह तकनालाजी पुरानी पड़ गयी है। नयी मशीनें मँगवानी पड़ेंगी। क्या गारंटी है कि ये मशीनें भी 5-10 साल में पुरानी नहीं पड़ जायेंगी ?

सच्चाई तो यह है कि छोटे-से-छोटे सुधार एवं विस्तार के लिए हमें विदेशियों का मुंह ताकना पड़ता है और वे ही हमारी इस्पात नीति तय करते हैं।

कपड़ा उद्योग - यह देश का सबसे पुराना उद्योग है और हमारे सभी बड़े-बड़े पूंजीपति इसी उद्योग के सहारे पनपे हैं।

सन् 1960-62 में प्रति व्यक्ति 17 मीटर कपड़े का उत्पादन होता था, लेकिन आज प्रति व्यक्ति 13 मीटर कपड़े का उत्पादन हो रहा है। *जहाँ पहले क्षमता का 90 प्रतिशत उत्पादन होता था*, आज 60 प्रतिशत भी मुश्किल से होता है - कहते हैं कपड़ा उद्योग में मंदा चल रहा है। ये मंदा किसे कहते हैं ? जब उत्पादन इतना अधिक हो कि कपड़े की मांग ही नहीं रहे, कपड़ा जरूरत से ज्यादा उत्पादित हो, या मिलें ही उत्पादन एकदम बंद कर दें। यानी, जब आज 17 मीटर की जगह प्रति व्यक्ति 13 मीटर कपड़े का उत्पादन हो रहा है, 30 प्रतिशत लोगों को एक मीटर कपड़ा भी नसीब नहीं है और वे कहते हैं कि कपड़ा जरूरत से ज्यादा पैदा हो रहा है, उसमें मंदा है।

ऐसा क्यों ? क्योंकि आज कल 'ओनली विमल' चल रहा है। सूती कपड़े के बजाय सिंथेटिक कपड़ा चल रहा है। यह 'सिंथेटिक' क्या है और 'ओनली विमल' क्या है ?

अपने खेत में जो कपास होती है उसके धागे से कपड़ा बनता है। अपने देश की कपास, अपने देश के कारखाने, अपने देश के टेक्सटाइल इंजीनियर, डिजाइनर और अपने देश का कपड़ा। पर अब क्या धंधा चल रहा है - विदेशों में तैयार किसी पदार्थ का धागा खरीदो, विदेशी डिजाइनरों की बुद्धि का डिजाइन लो, किसी विदेशी दलाल की कम्पनी में उसका कपड़ा बनवाओ और 'ओनली विमल' के नाम से टी.वी. प्रचार करो। विदेशी धागे से बने कपड़े को सिंथेटिक कहते हैं और विदेशियों की दलाली कर अरबों रूपये

कमाने वाली कम्पनियों में से एक का नाम है 'ओनली विमल'। जहाँ कुछ वर्ष पहले सिंथेटिक कपड़े का उत्पादन एक या दो प्रतिशत था, आज करीब 25 प्रतिशत हो गया है और पूंजीपति सूती छोड़कर सिंथेटिक कपड़ा बनाने की होड़ में लग रहे हैं।

यही चलता रहा तो क्या होगा कपास पैदा करने वाले किसानों का, जिनकी पैदा की हुई कपास सारे देश का तन ढकती है ? क्या होगा, उन लाखों-लाख हाथों का जो कपड़ा उत्पादन कर जनता की जरूरत पूरी करते रहे हैं ? और कहाँ जायेगी वो गरीब जनता जो सस्ता सूती कपड़ा पहनकर अपने तन को ढकती है ? सुनते थे कि अपना माल बेचने के लिए अंग्रेजों ने ढाका, मुर्शिदाबाद, सूरत, बनारस व देश के अन्य बुनकरों के अँगूठे कटवा दिये थे। **क्या आज भी बुनकरों के हाथ नहीं काटे जा रहे हैं ?**

ऐय्याशी उद्योग- एक उद्योग है जिसने आजकल बहुत हलचल मचा रखी है, वह है 21वीं सदी वालों का उद्योग- 'ऐय्याशी उद्योग'। इसमें आते है टी.वी., मारूति, हीरो होण्डा, और कम्प्यूटर। देश का अधिकाधिक धन इन वस्तुओं पर खर्च किया जा रहा है और बाजार में तो मानों ये वस्तुएं छा गयी है। किसी गांव में पीने का पानी नहीं हे पर वहाँ भी टी.वी. मिलने की काफी संभावना है।

पर इनमें से किस वस्तु का उत्पादन अपने देश में होता है? इन सबका उत्पादन विदेशों में होता है। यहाँ तो उनको केवल जोड़ा (असेम्बल किया) जाता है और नामकरण होता है, जैसे सुजुकी का मारूति। फिर इससे उत्पन्न निर्भरता का लाभ विदेशी किस तरह उठाते हैं ? जब मारूति की कीमत 50 हजार थी उस समय खराब होने पर जापान से दरवाजा भर मँगाने से 14 हजार रूपये कीमत चुकानी पड़ती थी।

आज जो कम्प्यूटर खरीदते हैं, पांच साल बाद उसका स्पेयर पार्ट भी नहीं मिलेगा। कहेंगे, तकनालाजी पुरानी पड़ गयी है। एक छोटा पेंच खराब हो जाये तो नया कम्प्यूटर खरीदो।

कितनी बार हम विदेशियों की फालतू मशीनें, पिछड़ी तकनालाजी खरीदते रहेंगे ? क्या किसी भी एक उद्योग में हम भी उच्च तकनालाजी को आगे बढ़ाकर अपने पैरों पर खड़े हो पाये है ? क्या एक भी उद्योग में देश की जनता स्वाभिमान से कह सकती है कि यह हमने बनायी है, हमने आगे बढ़ायी है ? **हमारी नीति 'उत्पादनोन्मुखी' न होकर 'हाथ फैलाओन्मुखी' रही है। लेकिन भिखारी बनकर किसी ने कभी विकास नहीं किया।**

दवा उद्योग - पहली बात तो यह कि कुल दवाइयाँ जो बाजार में आती हैं, उनमें से 10 प्रतिशत ही जरूरत की दवाइयाँ है। **'हाथी कमीशन' के अनुसार सिर्फ 117 दवाइयाँ हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं।** विश्व स्वास्थ्य संगठन की **आवश्यक दवाओं की सूची में 200 दवाइयाँ हैं।** पड़ोसी बंगला देश में स्वास्थ्य आंदोलन के बाद सरकारी रूप से 282 दवाओं को प्रयोजनीय माना है। **पर हमारे देश में 45 हजार से भी अधिक नाम की दवाइयाँ बिक रही हैं।**

85 प्रतिशत उत्पादन एवं वितरण फालतू दवाइयों का होता है, जिनका स्वास्थ्य से कोई सम्बंध नहीं, क्यों ?

1. जीवन रक्षक व जरूरी दवाओं पर तो नियमानुसार 55 प्रतिशत से अधिक मुनाफा नहीं ले सकते हैं। कानूनी रूप से रोक है।
2. पर टॉनिक, कफ-सीरप व अन्य फालतू दवाओं पर कितना ही मुनाफा लेने की छूट है।

बहुराष्ट्रीय कम्पनी ग्लैक्सो जैसी कुछ कम्पनियाँ तो ऐसी हैं जो एक भी काम की दवा नहीं बनातीं। केवल टॉनिक या बेबी फूड बनाती हैं और प्रसिद्ध हैं दवा कम्पनी के नाम से।

दूसरी बात यह है कि देश में कुल 6 हजार से अधिक दवा कम्पनियाँ हैं। लेकिन चंद गिनी-चुनी विदेशी कम्पनियों के हाथ में 80 प्रतिशत से अधिक धंधा है। फाइजर, पार्क एंड डेविस, हेस्ट और रोश जैसे बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ पूरी तरह से भारत में छायी हुई हैं। इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लूट का हिसाब देखिये - जर्मन कम्पनी 'रोश' ने नींद की दवा लिवियन आयात की, तो उसका दाम 5,555 रूपये प्रति किलो तय किया। उसी समय दिल्ली की एक छोटी कम्पनी ने इस दवा का आयात किया था - 312 रूपये प्रति किलो की दर से। अब आप लोग प्रतिशत निकालते रहिये।

इस्पात उद्योग के मजदूर या एक देशप्रेमी नागरिक के नाते हमारे मन में क्या सवाल उठते हैं -

1. जब जरूरत का सारा पिग-आयरन यहाँ अपने देश में पैदा हो सकता है तो क्यों हम उसे जापान या अमेरिका से आयात करते हैं ? *क्यों पिग -आयरन कास्टिंग मशीनों में* छँटनी कर उत्पादन घटाया जा रहा है ?
2. बड़ी-बड़ी रूसी मशीनें लगाकर अरबों रूपये इन मशीनों पर खर्च करके भी उत्पादन के लक्ष्य में हम बहुत पीछे हैं, जबकि ये बड़ी-बड़ी मशीनें लाखों को उत्पादन प्रक्रिया से हटाती हैं। जब आज तक खरीदी गयी विदेशी तकनालाजी के कारण हमारी विदेशों पर निर्भरता बढ़ती ही गयी है तो फिर नयी-नयी मशीनें लाने की क्या तुक है? फिर से विदेशी तकनालाजी मांगने से पहले, वर्तमान क्षमता से 'स्वदेशी उत्पादन' क्यों नहीं करते ?
3. खुद पैदा करने के बजाय मँगाने की ओर ध्यान क्यों जाता है ? 'उत्पादनोन्मुखी' होने से देश का विकास होगा या 'हाथ फैलाओन्मुखी' होने से ?
4. जब 'स्वदेशी उत्पादनोन्मुखी' होकर देश की जनता को रोजगार मिल सकता है, देश की जनता को उत्पादन प्रक्रिया में जुड़ने का अधिकार मिल सकता है, तब 'स्वदेशी उत्पादनोन्मुखी' श्रम-बाहुल्य नीति क्यों नहीं अपनायी जाती है ?
5. जनता खुद उत्पादन से जुड़कर स्वाभिमानपूर्वक जीविका कमाये, इस स्थिति से वंचित करके उन्हें बेरोजगार करने व सरकारी दान व राहत पर [illegible]

नहीं है ?

कपड़ा उद्योग के एक मजदूर या एक देशप्रेमी नागरिक होने के नाते देश के रहबरों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या उत्पादन के घटने से आपके दिल पर कुछ असर होता है ? तो आप क्या कदम सुझा रहे हैं जिससे फिर से पूरा उत्पादन हो ?

1. उत्पादन में कमी के साथ-साथ लाखों श्रमिकों को उत्पादन की प्रक्रिया में हिस्सा लेने से वंचित किया जा रहा है। क्या कोई भी देश व्यापक जनता को उत्पादन से दूर रख कर तरक्की कर सकता है ?

2. जब 30 प्रतिशत जनता एक मीटर सूती कपड़ा भी मुश्किल से खरीद सकती है, तो महँगे सिंथेटिक कपड़े को क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है ?

3. देश में कपड़े के लिए पर्याप्त कपास होता है, बुनने के लिए पर्याप्त हाथ हैं, तो अरबों रूपया विदेशों को देकर सिंथेटिक माल क्यों मँगाया जा रहा है ? इससे विदेश में सिंथेटिक पैदा करने वालों और देश में उनकी दलाली करने वालों की कम्पनियों को बेशक फायदा होता है,लेकिन देश में कपास पैदा करने वालों का क्या होगा ? कपड़ा बुनने वाले हाथों का क्या होगा ? सस्ता सूती कपड़ा पहनने वाली जनता का क्या होगा ? स्वदेशी उत्पादन का क्या होगा ?

क्या आपके पास 'स्वदेशी उत्पादनोन्मुखी' नीति है, जिससे देश के सभी नागरिक उत्पादन प्रक्रिया से जुड़कर विकास में हाथ बँटा सकें ?

खदाने, मशीनीकरण एवं लोग

यह लेख शहीद नियोगी ने 12 नवंबर 1983 को पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राईट्स (पी.यू.डी.आर.) द्वारा नयी दिल्ली में आयोजित एक परिचर्चा हेतु तैयार किया था। बाद में यह नयी दिल्ली से ही प्रकाशित 'दी अवर साइड' पत्रिका के फरवरी 1984 के अंक में छपा था। खदानों के पूर्ण मशीनीकरण के विकल्प अर्द्ध-मशीनीकरण के लिए जो संघर्ष सी.एम.एस.एस. ने सन् 1978-79 से शुरु किया था, उससे केवल भारत की ही नहीं वरन् पूरी तीसरी दुनिया के देशों की तकनालाजी नीति के संदर्भ में बुनियादी सवाल खड़े हो गये थे। पी.यू.डी.आर. की परिचर्चा ने छत्तीसगढ़ के इस क्रांतिकारी संघर्ष को दिल्ली राजहरा की पहाड़ियों से निकालकर राष्ट्र के पटल पर रखने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। मूल अंग्रेजी में लिखे गये इस लेख का हिंदी अनुवाद पहली बार प्रस्तुत किया जा रहा है। - स.

मशीनीकरण का मुद्दा एक तरफ औद्योगिक उत्पादन के प्रश्न से घनिष्ठता से जुड़ा है और दूसरी तरफ संगठित औद्योगिक कामगारों की संख्या से और इस प्रकार बेरोजगारी के प्रश्न से भी। अतः यह मुद्दा देश के सामने बुनियादी मुद्दों में से एक है। इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर परिचर्चा आयोजित करने के लिए पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बधाई का पात्र है।

महात्मा गांधी ने कहा था, जब काम की जरुरत को देखते हुए कामगारों की कमी हो, तब मशीनीकरण अच्छाई है। पर जब काम को देखते हुए कामगारों की अधिकता हो तब वह एक बुराई है।

महात्मा गांधी ने यह तब कही थी, जब देश की जनसंख्या ३६ करोड़ थी। आज यह संख्या 80 करोड़ की आबादी से मात्र गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या से भी कम है। सिर्फ बेरोजगारों की ही संख्या दस करोड़ से अधिक है।

महात्मा गांधी नें यह बात ऐसे समय कही थी, जब भारत में कुटीर उद्योग आज की तरह पूरी तौर पर नष्ट कर दिये गये थे।

गांधीजी का यह मत यदि उस वक्त महत्वपूर्ण था, तो आज यह दुगुना महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज, आजादी के 36 साल बाद, देश ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहां उसे दो में से एक रास्ते को साफ-साफ चुनना पड़ेगा। एवं उसे अपने उद्देश्य और इरादे साफ तौर पर तय करने पड़ेंगे। जब लोगों को ज्यादा समय तक आश्वासन के भरोसे धोखे से नहीं रखा जा सकेगा। वे अब अपने दुःख लाचार आंसुओं को जाया नहीं होने देंगे, उनके दिलों में गहराई से पैठी हुई घृणा व आक्रोश की आग जल रही है। उनमें एक आमूल चूल परिवर्तन के लिए गहरी इच्छा है। जो भी रास्ता अब हम चुनेंगे, वह आम लोगों का भला करने वाला ही होना चाहिए।

भारत में खनन उद्योग कामगारों के एक बड़े हिस्से को रोजगार देता है, पर क्या इस उद्योग का विकास राष्ट्रीय हितों के अनुकुल हुआ है।

इस संदर्भ में इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका जैसे औद्योगिकृत देशों के अनुभवों को ध्यान में रखना मेरे विचार से उपयोगी होगा। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत में औद्योगिक कामगारों की घोर कमी थी। उपनिवेशों से गोरे, काले व भूरे कामगारों का आयात किया जाता था और उन्हें मशीनों को चलाने के लिए लगा दिया जाता था। परंतु, मशीनी तकनीकी के विकास और स्वचलित तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल न आयातित कामगारों की इस फौज के एक बड़े अंश को फालतू बना दिया। आज उन्हीं देशों में बेरोजगारी की समस्या विकराल रुप धारण कर चुकी है। करोड़ों मजदूर बेरोजगार हैं। जातीय दंगे हो रहे हैं। इसमें भी ज्यादा मशीनें आमतौर पर काम के प्रति बेरुखी पैदा करके उन देशों के सांस्कृतिक जीवन को नुकसान पहुंचा रही हैं और इससे उनकी सभ्यता का ताना-बाना ही खतरे में पड़ गया है।

भारत में, मशीनीकरण की इस आंधी में आज बड़ी संख्या में बेरोजगार पैदा हो रहे हैं, और इस तरह आने वाली पीढ़ियों के लिए बेरोजगारी को एक महामारी के रुप में छोड़ दिया गया है। **हम ऐसे ढांचे खड़े करने में लगे हैं जिनका मकसद धन पैदा करना नहीं है, पर बेरोजगारी पैदा करना है।**

दल्ली राजहरा का अनुभव

मैं पहले दिल्ली राजहरा के अनुभव की बात करना चाहूंगा। और फिर इस अनुभव से उपजे कुछ मुद्दों पर देश में खनन-संबंधी हालत के संदर्भ में बात करुंगा।

दल्ली राजहरा एक लौह अयस्क खदान शहर है। यह भारत के सबसे बड़े इस्पात संयंत्र, भिलाई इस्पात संयंत्र, की लौह अयस्क की कुल जरुरत पूरी करता है। दल्ली राजहरा में, सन् 1958 से राजहरा मशीनीकृत खदान चालू है। सन् 1979 में हमारी यूनियन बनने के बाद से ही दिल्ली राजहरा मशीनीकृत करने की तैयारी चल रही है। इसके फलस्वरुप खदान मशीनीकरण की समस्या यूनियन के पैदा होने के वक्त से ही एक दैत्याकार आकृति के रुप में खड़ी है जिससे हमें जिंदा रहने के लिए जूझना ही पड़ेगा।

यह मुद्दा हमें और ज्यादा साफ तौर से समझ में सन् 1978 में आया था, जब मशीनीकरण के कारण बैलाडीला की खदान नं. 5 में एक ही झटके में दस हजार मजदूरों को काम से निकाल दिया

हर प्रतिरोध कुचल दिया गया। 10,000 झोपड़ियां जला दी गयीं, कई महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, और मजदूरों पर गोलियां चलीं। मशीनीकरण ने 10,000 मजदूरों को भूख से लड़ने के लिए बाध्य कर दिया। इस हकीकत से कि उक्त मशीनें सोवियत संघ में बनायी गयी थीं और इस तरह समाजवादी प्रगतिशील का जामा ओढ़े हुई थीं, इन मजदूरों की त्रासदायक नीति में कोई फर्क नहीं पड़ा।

दल्ली राजहरा के मजदूरों ने बैलाडीला नरसंहार के खिलाफ अपनी वेदना और गुस्सा जाहिर करने के लिए काले झंडे दिखाये। हजारों मजदूरों ने चुनौतीपूर्ण घोषणा की कि वे बैलाडीला को दल्ली राजहरा की धरती पर कभी भी दोहराने नहीं देंगे।

अर्द्ध-मशीनीकरण-मजदूरों का विकल्प

अंततः संगठित मजदूरों की ताकत के आगे भिलाई इस्पात संयंत्र के मैनेजमेंट तथा इस्पात एवं खदान मंत्रालय को झुकना ही पड़ा। 20 अप्रैल 1979 का समझौता वैकल्पिक मशीनीकरण नीति के रास्ते पर मील का पत्थर है। दिल्ली मशीनीकृत खदान की योजना को एक अर्द्ध-मशीनीकरण की योजना में बदला गया, जिसके तहत अयस्क खनन (रैजिंग) का काम मजदूरों द्वारा किया जाता है और इसके आगे प्रक्रिया मशीनों के द्वारा होती है। पर इसे सिर्फ प्रयोग बतौर ही स्वीकार किया गया। यह एक ऐतिहासिक, उपयोगी और सफल प्रयोग रहा, पर इसे अभी स्वीकारा नहीं गया है।

यह प्रयोग मौजूदा राष्ट्रीय संदर्भ में खनन की इन बुनियादी प्रक्रियाओं के बारे में एक नये सिरे से सोचने के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकता था। पुनर्चिंतन का यह मौका खो देने के कारणों का हमें विश्लेषण करना होगा और उसे जनता के सामने खोलकर रखना ही होगा।

दल्ली की अर्द्ध-मशीनीकृत खदानों के अयस्क उत्पादन में, मजदूर इतने ज्यादा सफल हुए हैं कि कुल उत्पादन का मात्र 30 प्रतिशत की मशीनीकृत प्रक्रिया द्वारा खपाया जा रहा है। मजदूरों की उत्पादन शक्ति ने मशीनों को हार मानने के लिए बाध्य कर दिया है।

हमारे अनुभव से उभरने वाले मुद्दे

जो भी हो, हमने जब भी दल्ली में अर्द्ध-मशीनीकरण की सफलता को मान्यता देने एवं इसको एक स्थायी रुप देने की मांग की, साथ ही ठेका मजदूरी प्रथा को खत्म करके मजदूरों के विभागीयकरण का मुद्दा उठाया, तब सरकार और मैनेजमेंट ने ढेर सारे सवाल खड़े कर दिये।

इनमें से एक मुद्दा है उत्पादन लागत का। चलिये, इस भारत सरकार के इस्पात एवं खदान विभाग के ही द्वारा पेश किये गये उत्पादन लागत के एक तुलनात्मक अध्ययन पर नजर डाल ली जाये। सन् 1977 में उन्होंने लौह अयस्क के निर्यात में मुनाफे की संभावना का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञों की एक कमेटी बिठायी। उस रिपोर्ट में एक तालिका यहां दी जा रही है।

तालिका क्र. 1
उत्पादन की प्रति टन लागत (1978-79)

मानवीकृत खदान (निजी खदानें)			मशीनीकृत खदान (नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कार्पो.)		
क्र.	विवरण	रु.	क्र.	विवरण	रु.
1.	खनन लागत	18.50	1.	मशीन चलाने की लागत	39.73
2.	परिवहन (अधिकतम 28.1 न्यूनतम 16.0)	22.42	2.	घिसाई एवं ब्याज	66.69
3.	प्रशासकीय खर्च	5.09	3.	ढुलाई और बिक्री खर्च	0.57
4.	कर	4.00	4.	कर	4.00
	कुल लागत	**50.01**		**कुल लागत**	**111.29**
	बिक्री कीमत-वसूली (अधिकतम)	38.97		बिक्री कीमत-वसूली अधिकतम - 34.60 न्यूनतम 30.43)	32.50
	हानि (-) या लाभ (+)	(-) 11.04		हानि (-) या लाभ (+)	(-) 78.79

(स्रोत - इस्पात एवं खदान विभाग, भारत सरकार)

अब एक और तुलना पर नजर डालिये -

तालिका क्र. 2

प्रति टन उत्पादन लागत

क्र.	विवरण	मानवीकृत खनन रु.	गैर-बंधक मशीनीकृत खनन-लम्प्स (दैतारी) रु.
1.	उत्पादन लागत	15.54	55.18
2.	अधिकार शुल्क (रायल्टी) एवं उपकर	5.00	2.13
3.	दुलाई की लागत	2.45	-
4.	रेलगाड़ी तथा परिवहन	13.00	33.90
5.	हैंडलिंग एवं नमी क्षय (5%)	1.50	-
	कुल	**37.45**	**91.25**
	बिक्री-वसूली	35.30	78.75
	हानि (-) या लाभ (+)	(-) 2.15	(-) 12.46

(स्त्रोत - खनिज उद्योगों का महासंघ, नयी दिल्ली, उड़ीसा खनन निगम)

एक और तरकीब यह रही है कि अर्द्ध-मशीनीकरण की सफलता के दावे को नकारने के लिए, मशीनीकृत तकनालाजी की असफलता को उसमें कार्यरत मजदूरों के सिर मढ़ दिया जाता है। इसलिए मशीनीकृत खदानों के आंकड़ों पर नजर डाली जाये और उनकी सफलता या असफलता का अध्ययन किया जाये।

मौजूदा मशीनीकृत लौह अयस्क खदानों में मई 1978 से फरवरी 1979 के बीच उनकी उत्पादन क्षमता का कितना इस्तेमाल हुआ, उस पर एक नजर डाली ली जाये।

तालिका क्र. 3

कुछ लौह अयस्क खदानों में उनकी उत्पादन क्षमता का इस्तेमाल

(मई 1978 से फरवरी 1979)

क्र.	खदान का नाम (1)	उत्पादन क्षमता (लाख टन में) (2)	उत्पादन (लाख टन में) (3)	स्तम्भ (3), स्तम्भ (2) के प्रतिशत के रूप में
1.	बैलाडीला-14	40.0	29.0	73
2.	बैलाडीला-5	49.0	34.0	69
3.	किरीबुरु	43.0	20.0	47
4.	बरसुआ	21.0	9.0	43
5.	काल्टा	9.0	2.0	4
6.	बोलानी	35.0	5.0	14
7.	दैतारी	15.0	7.5	50

पर हमारे अर्द्ध-शिक्षित 'अभिमन्यु' मशीनीकरण की भूल-भुलैया से बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं ढूंढ पा रहे हैं। इसलिए अब हम नीति का महत्वपूर्ण मामला उनके हाथों में नहीं छोड़ सकते। अतः ज्यादा टिकाऊ विकल्प हेतु दबाव पैदा करने के लिए हमें जनसमर्थन जुटाना ही होगा।

मशीनों को तीसरी दुनिया में मत्थे मढ़ना

यह सभी के लिए एक खुला सत्य है कि हमारे देश में गांधी के दर्शन को नकारते हुए जब भी खदानों का मशीनीकरण हुआ है, वह किसी दूसरे देश की बैसाखियों के सहारे उसके साथ किसी विशेष अनुबंध के तहत ही हुआ है। विकसित देशों ने - चाहे वे इंग्लैंड, पश्चिम जर्मनी, अमेरिका या जापान जैसे पूंजीवादी देश हों या सोवियत संघ या पोलैंड जैसे समाजवादी देश हों - हमें खदानों के मशीनीकरण हेतु मशीनें उपलब्ध करायी हैं। और यह सब हमेशा कुछ विशेष शर्तों के तहत हुआ है।

मशीन बेचने वाले देश पहले मशीन विकसित कर लेते हैं। फिर जब वे आम तरीकों से मशीनें बेचने में असफल हो जाते हैं, तब वे विकासशील देशों पर नजर डालते हैं। उन्हें अचानक विकासशील देशों की गरीबी से सहानुभूति होने लगती है। घड़ियाली आंसू बहाते हुए वे किसी विशेष अनुबंध के तहत अपनी मशीनों के लिए बाजार तैयार कर लेते हैं। **उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हकीकत में विकासशील देशों को उस मशीन की कोई जरूरत है भी या नहीं।**

इसी तरह अभी हाल ही में पंद्रह सौ करोड़ रुपये की मशीनें कोयला खदानों के लिए खरीदी गयी हैं। इसी तरीके से दल्ली, किरीबुरु, मेघाहातुबुरु, कुद्रेमुख और बैलाडीला की खदानों का निरर्थक मशीनीकरण किया गया है। इससे इन खदानों के उत्पादन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, वरन् उत्पादन की गुणवत्ता घटी है।

इस दृष्टि से कोयला खदानों का उदाहरण उपयोगी होगा-

तालिका क्र. 4
राष्ट्रीय कोयला उत्पादन (लाख टन में)
(1970-80)

व्यापक मशीनीकरण के पहले

1970-71	724.5
1971-72	724.2
1972-73	777.1
1973-74	781.7
1974-75	884.1
1975-76	997.9
1976-77	1,010.4

व्यापक मशीनीकरण के बाद

1977-78	1,010.0
1978-79	1,019.5
1979-80 (संभावित)	1,040.0

इसके साथ ही हमें नयी मशीनों और अतिरिक्त कल-पुर्जों को विदेशों से मंगाते रहना पड़ता है और साथ ही इन विशेष अनुबंधों की सालगिरह सबसे नजदीक के पांच सितारा होटल में मनानी पड़ती है।

एक और उदाहरण देखिये, इस बार कोल इंडिया लिमिटेड (सी.आई.एल.) से। हेवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन (एच.ई.सी.) का सोवियत संघ के सहयोग से शावेल मशीनें बनाने का करार है। हाल में सी.आई.एल. ने एच.ई.सी. को शावेल मशीनों का आर्डर देने के बजाय सीधे सोवियत संघ से 9.2 करोड़ रुपये के शावेल खरीद लिये और इधर एच.ई.सी. को अपनी मशीनें बेच न पाने के कारण इनका उत्पादन ही बंद कर देना पड़ा। *(इकनॉमिक टाईम्स. 25 नवंबर 1979)*

हमारी उत्खनन (माइनिंग) नीति, हमारे विदेशी माई-बापों की बाजार नीति के अनुसार बदलती रहती है। साम्राज्यवादी देश किसी तयशुदा नीति के अंतर्गत अपना माल बेचकर मुनाफा कमाने से संतुष्ट नहीं होते हैं। ये तकनालाजी में परिवर्तन करके और भी ज्यादा मुनाफे की ताक में रहते हैं और इस प्रकार किसी भी देश के अपनी मिट्टी से जुड़े हुए तकनीकी विकास और उत्पादन नीति को विकृत कर देते हैं।

ये हमारे वही हितैषी हैं, जिन्होंने सी.एम.डी.ए. को पहले सन् 1974 में भूमिगत खनन की तकनीकों के लिए दिशा निर्देश दिये, फिर सन् 1975 में 'खुली खदानों' के खनन (ओपन कास्ट माइनिंग) के लिए और सन् 19[illegible] में एक [illegible] भूमिगत खनन की संभावनाओं के अध्ययन के लिए।

प्रसंगवश, यहां यह जिक्र कर दिया जाये कि भूमिगत खनन गर्मी और वायुमंडलीय दबाव की ऐसी परिस्थितियों में किया जाता है, जो इस तरह की तकनालाजी का निर्यात करने वाले सोवियत संघ और बुल्गारिया जैसे देशों में गैर कानूनी होंगी।

एक बार फिर कोल इंडिया लि. की ओर लौटते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस प्राधिकरण की विफलता के लिए जिम्मेदार कारक जरूरत से ज्यादा मानवशक्ति का होना है। फलस्वरूप हजारों महिलाओं की छंटनी कर दी गयी है। पचास [illegible] मजदूरों पर पहले ही 'फालतू स्टाफ' का ठप्पा लगाया जा चुका है।

कुद्रेमुख लौह अयस्क खदान में अपनायी गयी तकनालाजी भी इसी प्रकार के तथ्यों को उजागर करती है। पेरु में मार्कोना कार्पोरेशन की खदानों के राष्ट्रीयकरण के बाद इस कार्पोरेशन को वही तकनालाजी भारत पर लादने का ख्याल आया और इसे ईरान के शाह की मदद से वह तकनालाजी को कुद्रेमुख में लगवा दिया। अब शाह के साथ हुए करार का कोई [illegible] कुद्रेमुख का महत्व खत्म हो [illegible]

बोझ ढो रहा है।

यदि दल्ली राजहरा की दल्ली खदानों में अद्ध-मशीनीकरण की योजना को अपना लिया जाता है, और वह भी खदान के दबाव में आकर, तो सोवियत मशीनों की बिक्री किस प्रकार हो पायेगी? सोवियत रुस और उसकी ही तरह मशीन निर्यात करने वाले अन्य देश किस प्रकार अपना माल तीसरी दुनिया के मत्थे मढ पायेंगे ?

मशीनों को इस प्रकार तीसरी दुनिया पर, विशेषकर भारत पर, लाद देने से इन देशों की अर्थव्यवस्था ही लड़खड़ाने लगी है। केवल स्वावलंबन पर आधारित अर्थनीति ही हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत बना सकती है। मशीनें तभी लगायी जानी चाहिए जब वे हमारे देश की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जरुरतों के अनुकूल हों।

हमारी खनिज और धातु नीति पर एक नजर

इस तथ्य के बावजूद कि हमारे देश में लौह अयस्क के विशाल भंडार मौजूद है, हमारे देश का इस्पात उत्पादन मात्र 66 लाख टन है। पर हमारी खदानों में अयस्क उत्पादन की योजना प्रायः निर्यात की जरुरतों को मद्देनजर रख कर बनायी गयी है। सिर्फ एक औपनिवेशक अर्थव्यवस्था में ही कच्चे माल को मुख्य रुप से निर्यात के लिए पैदा करने की नीति अपनायी जा सकती है। यह नीति हमारी अर्थव्यवस्था को कमजोर कर रही है और इससे भी अधिक उल्लेखनीय बातयह है कि आने वाली पीदियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी की कमी दर्शाती है।

हमारे खनिज और धातु आयात-निर्यात के आँकड़ों पर नजर डालने पर यह बात साफ हो जायेंगी। स्टील अथॉरिटी इंडिया लि. (सेल) के गोदाम निर्यात-योम्य गुणवत्ता के इस्पात से भरे पड़े हैं। निर्यात-योम्य गुणवत्ता के इस्पात और [illegible] का उत्पादन 50 प्रतिशत से भी ज्यादा घटा दिया गया है। चाहे जो भी कारण हो, इस वर्ष हम 3.9 लाख टन पिग-आयरन अमेरिका से आयात कर रहे हैं (देशबंधु, 28 सितंबर 1983)

इस वर्ष कोयले के आयात हेतु एक नये समझौते पर करार हुआ है। इसके अनुसार हम पोलैंड से अंतर्राष्ट्रीय बाजार की दर से दस डालर प्रति टन ज्यादा कीमत पर कोयले का आयात करेंगे। लौह अयस्क के निर्यात के आंकड़े और भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं, जो नीचे तालिका क्र 5,6 एवं 7 में दियें गये हैं -

तालिका क्र. 5
प्रति टन लौह अयस्क के निर्यात पर होने वाले खर्च

विवरण	[illegible]
एन. एम.डी.सी को भुगतान	31.98
रेल भाड़ा	[illegible]
बंदरगाह को भुगतान	*19.77*
सरकार को भुगतान	14.75
एन.एम.डी.सी. का घाटा	[illegible]
बंदरगाह प्रशासन का घाटा	[illegible]
योग	**[illegible]**
वापसी	
करों से योगदान	14.75
रेल विभाग का मुनाफा	3.05
कुल खर्च	[illegible]

तालिका क्र. 6

		हल्दिया (बेसिक ग्रेड)	परादीप (बेसिक ग्रेड)	निम्न ग्रेड
1.	एक्स-प्लांट एफ.ओ.आर. प्रति टन कीमत	27.62	27.85	[illegible]
2.	विकास प्रोत्साहन खर्च -	3.79	3.41	[illegible]
3.	रेल एवं सड़क परिवहन	34.70	61.15	[illegible]
4.	बंदरगाह एवं दुलाई खर्च	20.26	24.75	[illegible]
5.	अन्य खर्च	1.55	2.00	[illegible]
6.	निर्यात कर आदि	10.75	10.75	6.25
7.	अधिकार शुल्क (रायल्टी)	2.50	2.50	0.63
		101.17	132.41	[illegible]
	एम.एम.टी.सी. दलाली (4%)	4.05	5.22	4.34
	कुल खर्च	105.22	137.63	112.98
	बिक्री से आय	115.4	123.04	[illegible]

जबकि लौह अयस्क की औसत उत्पादन लागत रु.140/- प्रति टन है, हमारी निर्यात कीमत रु. 92/- प्रति टन है। यह सिर्फ हमारे जैसे 'आजाद' देश में ही सम्भव है। गोआ का सम्पूर्ण लौह अयस्क भंडार,जापान के मुनाफे के लिए छोड़ दिया गया है। दस साल बाद जब ये भंडार खत्म हो जायेंगे, तब गोआ की जनता की अगली पीढ़ी के लिए क्या बचेगा?

हमारे देश में टिन का सबसे बड़ा भंडार मध्यप्रदेश के बस्तर जिले में है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम को इस अयस्क के खनन की जिम्मेदारी दी गयी है। परंतु आज तक यह जिम्मेदारी पूरी नहीं की गयी है। सैकड़ों टन टिन अयस्क गैर-कानूनी रुप से हमारे देश से तस्करी द्वारा बाहर ले जा रहा है। इस गंभीर अपराध के प्रति सरकार आंखें मूंदी बैठी है।

भारत में मशीनीकरण और ठेका मजदूर

औद्योगिक विकास और ठेका मजदूरी प्रथा का अस्तित्व हमारे देश में जुड़वा भाइयों के समान है। जैसे-जैसे और मशीनें लगती जा रही है, वैसे-वैसे असंगठित ठेका मजदूरों की संख्या में दिन-प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है।

ऊपर दिये गये अनेक उदाहरण से यह सिद्ध होता है कि ये मशीनें और उनके साथ आने वाली तकनालाजी हमारी जरुरतों के अनुसार विकसित नहीं की गयी है। स्वाभाविक है कि हमारी नौकरशाही इस तरह की प्रत्यारोपित तकनालाजी की अभ्यस्त नहीं है। स्वचालित प्रणालियां हैं, पर हम उन्हें सही तरीके से चलाना नहीं जानते, न ही उनके पर्याप्त रख-रखाव के बारे में समुचित जानकारी हैं। अंततः नौकरशाह अपनी कमियों को छुपाने के लिए ठेका मजदूर लगा देते हैं। जब हम इन ठेका मजदूरों के लिए स्थायी रोजगार की मांग करते हैं, तब हमारी बात अनसुनी कर दी जाती है। हमें बताया जाता है कि लागत बहुत बढ़ जायेगी और यह प्रक्रिया घाटे की होगी।

ये ठेका मजदूर अंधेरी झुग्गी-बस्तियों में रहते हैं, जिनमें शौचालय, पानी या इलाज जैसी सामान्य मानवीय सुविधाओं का सर्वथा अभाव होता है। दिन भर काम करने के बाद भी उन्हें परिवार समेत भूखा सोने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

हमें पूछना है, क्या ये ठेका मजदूर हमारे देश की संतानें नहीं है? अगर एक छोटा लड़का अपने बाप के बगीचे में कुछ घंटे [illegible] है और [illegible] से कुछ [illegible] है, तो उसका बाप उसे शायद कुछ अतिरिक्त भी पैसे दे देगा, चूंकि उसे पता होता है कि यह पैसा उसके अपने परिवार के हित में खर्च होगा। एक सच्चा देशभक्त पूंजीपति भी यही करेगा। उसकी रुचि अपने देश में ही आंतरिक बाजार बढ़ाने में होगी। पर जहां मशीन कौशल का प्रतीक हो और श्रम कौशल की कमी का प्रतीक हो, वहां अर्थनीति की नींव इस प्रकार के शोषण पर ही टिका होगी।

अंत में

उद्योगों का विकास, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के साथ अभिन्न रुप से जुड़ा हुआ है। परंतु हमारे देश की नौकरशाही सामंती मूल्यों में जकड़ी हुई है। यही कारण है कि नौकरशाही राष्ट्रीय हित, मजदूरों की सुरक्षा और इस तरह के अन्य मुद्दों को ध्यान में रखे बगैर काम करती है।

एक उदाहरण से यह बात साफ हो जायेगी। शकरपुर कोलियारी में अग्निकांड के लिए एक प्रशासकीय अधिकारी दोषी पाया गया। 'खदान सुरक्षा के महानिदेशक' ने खदान बंद कर दी। फलस्वरुप 1.8 करोड़ टन कोयला और छह करोड़ रुपये की मशीनें नष्ट हो गयीं। पर संबंधित अधिकारी की सांक्तोरिया मुख्यालय में जनरल मैनेजर (सुरक्षा) के पद पर पदोन्नति हो गयी (कल्याण राय : बिजनेस स्टैंडर्ड, 20 अक्टूबर 1979)!

मैं यह मानता हूं कि जिस तरह से हमारी खदानों का मशीनीकरण किया जा रहा है, वह एकदम गैर-जिम्मेदाराना प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया से अमीर और गरीब के बीच की दूरी और बढ़ जायेगी। यह प्रक्रिया हमें समता की ओर नहीं वरन् गैर-बराबरी की ओर ले जायेगी, आत्मनिर्भरता की ओर नहीं वरन् दूसरों पर निर्भरता की ओर, एक खुशहाल समाज की ओर नहीं बल्कि एक दुःखी समाज की ओर ले जायेगी।

हमारा यह दृढ़ संकल्प है कि किसी भी [illegible] की वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर [illegible]। अगर मशीनीकरण आज लोगों में छंटनी और भूखमरी की ओर [illegible] बढ़ाता है तो यह कदम गलत होगा। उदाहरण के लिए [illegible] या कोयला खदानों में मशीनीकरण के कारण [illegible] को बेरोजगार बनाया गया और पुलिस ने [illegible] इससे लोगों को और उनकी उत्पादन प्रक्रिया, दोनों को नुकसान होता है। अतः लोगों के असली हितों को लगातार [illegible] और लोगों को साथ में लेकर ही उत्पादन प्रक्रिया [illegible] परिवर्तन को लागू किया जा सकता है।

(पी.यू.डी.आर. के सौजन्य, मूल अंग्रेजी से अनूदित)

तालिका क्र. 7

निर्यात की लागत एवं निर्यात से आय का विवरण (1972-73 से 1978-79)

बैलाडीला अयस्क हेतु

वर्ष	आय (अमरीकी डालर)	आय रुपये	एन.एम.डी.सी. को भुगतान रु.	रेलवे को भुगतान रु.	बंदरगाह को भुगतान रु.	निर्यात शुल्क रु.	कुल लागत हानि (-) रु.	लाभ·() रु.
1972-73	9.73	77.84	23.28	35.00	9.00	10.75	78.03	(-) 0.19
1973-74	9.73/	77.84/	23.28	37.50	9.00	10.75	80.53	(-) 2.69/
	11.03	88.24						(+) 7.71
1974-75	3.03/	88.24/	24.05/	40.70/	9.00	10.75	84.50/	(+) 3.[illegible]
	13.28	106.24	29.58	49.70			99.03	(+) 7.21
1975-76	13.28/	106.24/	29.34	53.80	10.30	10.75	104.19	(+) 2.05/
	13.58	108.64						(+) 4.45
1976-77	13.58/	108.64/	30.31	61.38	10.80/	10.75	11.24/	(-) 4.00/
	14.15	113.20			14.25		116.69	(-) 3.49
1977-78	14.58	11.64	31.04	61.38	16.85	10.75	120.02	(-) 3.38
1978-79	15.33	122.64	33.98	61.38	19.71	10.75	125.82	(-) 3.18

शिक्षा कैसी हो?

यद्यपि शहीद नियोगी की स्कूली शिक्षा के प्रसार एवं गुणात्मक सुधार में गहरी रुचि थी, लेकिन वे इस दिशा में ट्रेड यूनियन संघर्षों की व्यस्तता के कारण मनचाहा समय नहीं दे पाये। इसके बावजूद उनकी प्रेरणा से राजहरा के मज़दूरों ने जनशक्ति पर आधारित जो स्कूल गठित किये, उनसे शिक्षा के ढांचे में वांछनीय परिवर्तन के संकेत स्पष्ट नजर आ रहे हैं। शिक्षा के स्वरुप पर नियोगी के एकमात्र लेख की एक आधी-अधूरी प्रति हमें उनके पुराने कागजातों से प्राप्त हुई है। इसका लेखनकाल सन् १९८५ के आसपास का रहा होगा। इसे हम बिना संजाये-संवारे पेश कर रहे हैं। - स.

(इसके पहले की पांडुलिपि का अंश उपलब्ध नहीं है)

......रवीन्द्रनाथ टैगोर ने रुस की चिट्ठी में भारत के पढ़े-लिखे शिक्षित वर्गों के लिए कहा है, "हम अपने देश में ही विदेशी जैसे है।' स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कांग्रेस पार्टी ने हरिपुरा अधिवेशन में शिक्षा नीति के संबंध में एक चार्टर बनाकर 'हिंदुस्तानी नयी तालीम संघ' बनाया। 'हिंदुस्तानी नयी तालीम संघ' के अध्यक्ष शिक्षा के क्षेत्र में विख्यात विशेषज्ञ डॉ. ज़ाकिर हुसैन थे। आज वह नयी तालीम, भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक भूला हुआ अध्याय है। स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के संबंध में कोठारी कमीशन बैठाया गया। उस कमीशन ने जो सुझाव दिये वे सब रिपोर्ट के पन्नों में ही दबकर रह गये।

हाल ही में सन् १९८३-८४ में शिक्षा के क्षेत्र में एक और कमीशन का गठन हुआ- 'नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स' यानी 'राष्ट्रीय शिक्षक आयोग।' मध्यप्रदेश से एक प्रतिनिधि डॉ. अनिल सद्गोपाल जो शिक्षा के क्षेत्र में एक विख्यात विशेषज्ञ है, उस कमीशन के सदस्य थे। डॉ. सद्गोपाल ने एक मांग की कि वर्तमान कमीशन को कोठारी कमीशन के सुझावों को अमल में लाने के लिए पुनर्विचार करना चाहिए। मगर कमीशन के अन्य सदस्यों ने इस मांग को ठुकरा दिया। फलस्वरुप डॉ. सद्गोपाल ने कमीशन की औपचारिक एवं नाटकीय कार्य-पद्धति के विरोध में अपना इस्तीफा दे दिया। कई कमीशन बिठाये गये, कई सुझाव व प्रस्ताव पारित किये गये। मगर हम सब प्राथमिक शिक्षा से विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा की दयनीय स्थिति से अपरिचित नहीं है और आज फिर हम सब यहां इकट्ठा हुए हैं। एक नयी शिक्षा नीति ढूंढने हेतु, चर्चा के लिए चलो, शुरुआत करें।

मेरे विचार में शिक्षा एक ऐसा महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिससे भारत की ८० करोड़ जनता अपने लिये एक बेहतर, खुशहाली से भरपूर, मानवीय और सृजनशील समाज स्थापित कर सकेगी। ऐसा समाज स्थापित करने हेतु ये बात बहुत जरुरी है कि सही विचार से जनता अवगत रहे। ये सही विचार क्या है?

ये विचार, ऐसे विचार हों जिनसे भारत की ८० करोड़ जनता की सृजनशक्ति-क्षमता का दोहन हो। सही विचार कहां से आयें? सन् १९६३ में माओ-त्से-तुंग से यह सवाल पूछा गया था, "सही विचार कहां से आते हैं? क्या ये आसमान से टपकते हैं? क्या ये दिमाग के अंदर मौजूद रहते हैं?" "नहीं, सही विचार सामाजिक काम से आते हैं और सिर्फ उसी से आते हैं।" सही विचार तीन प्रकार के सामाजिक काम से आते हैं-

१. उत्पादन के लिए संघर्ष, २. वर्ग संघर्ष एवं ३. वैज्ञानिक प्रयोग।

मनुष्य का सोच उसके सामाजिक अस्तित्व पर निर्भर है। **अगुवा वर्ग के सही सिद्धांत को जब आम जनता आत्मसात कर लेती है, तब ये विचार एक भौतिक ताकत का रूप धारण कर लेते हैं जो समाज को, दुनिया को बदलते हैं।**

वर्ग संघर्ष की बात को छोड़िये, मैंने कहा था कि मैं सरकार की नीति पर चर्चा करने आया हूं, न कि क्रांति का उपदेश देने। मैं बाकी दो मुद्दों को यहां उठाऊंगा। उत्पादन के लिए संघर्ष एवं वैज्ञानिक प्रयोग, हम किस तरह इन दो बातों को वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में लागू कर सकते हैं।

उत्पादन के लिए संघर्ष - भारत की करोड़ों आम जनता जिसमें युवा व बच्चे भी शामिल हैं, सभी 'उत्पादन के लिए संघर्ष' में जुटे हैं। सिर्फ ऊंचे वर्ग के चंद लोग रोजी-रोटी की समस्या से कोसों दूर हैं। दुर्भाग्य यह है कि शैक्षणिक संस्थाओं में इसी वर्ग का वर्चस्व है और जैसा रवीन्द्रनाथ टैगोर ने कहा, "ये लोग अपने ही देश में विदेशी जैसे रहते हैं।" इन 'विदेशी' लोगों के प्रभाव के कारण ही 'उत्पादन के लिए संघर्ष' का महत्व खत्म हो जाता है और 'काम के लिए शिक्षा' जैसी अर्थहीन और ढोंगी चीज बन जाती है। 'काम के लिए शिक्षा' जैसा विचार इस बात को प्रतिबिंबित करता है कि आज की शिक्षा व्यवस्था जनता के आम जीवन से किस हद तक कटी हुई है। यह विचार कि उत्पादन प्रक्रिया को शिक्षा व्यवस्था का एक अंग बनके रहना है, यह कोई नया विचार नहीं, बल्कि एक प्राचीन विचार है। यही

विचार हमारी गुरु-शिष्य परंपरा का आधार है। इसी विचार को नयी तालीम व्यवस्था के अटूट अंग के रुप में शामिल किया गया था। महात्मा गांधी इस बारे में बहुत साफ थे। ३० अक्टूबर १९३७ के 'हरिजन' में उन्होने लिखा था, "मैं काम को प्राथमिकता न देते हुए, शारीरिक श्रम द्वारा शिक्षा को प्राथमिकता देता हूं। सभी शिक्षा, चाहे वो पत्र व्यवहार, इतिहास, भूगोल हो या गणित, विज्ञान हो, सभी शारीरिक श्रम द्वारा होनी चाहिए।" वर्तमान शिक्षा व्यवस्था अशिक्षित पढ़े-लिखे लोगों को जन्म देती है। अशिक्षित विशेषज्ञों में हमें वनस्पति विज्ञान के ऐसे शिक्षक मिलते हैं जो बीज, फल-फूल के बारे में सब कुछ जानते हैं, मगर पेड़ और जंगलों के बारे में कुछ नहीं जानते। ऐसे इंजीनियर मिलते हैं जो लकड़ी में रंदा नहीं चला सकते, लोहा नहीं मोड़ सकते, बोल्ट नहीं कस सकते। ऐसे जीव विज्ञान के शिक्षक हैं जो यह नहीं जानते कि किस तरह मच्छरों को नियंत्रित करें और मलेरिया पर काबू कर सकें। ऐसे आंकड़े विशेषज्ञ और कम्प्यूटर विशेषज्ञ हैं जो हर संभावनाओं का हिसाब कर लेते हैं, मगर सच और झूठ में अंदर नहीं कर पाते। हमारे पास ऐसे डाक्टर हैं जो मरीज को प्यार नहीं करते, ऐसे शिक्षक हैं जो पाठशाला नहीं जाते, ऐसे वकील हैं जो सच्चाई से दूर भागते हैं। इन सभी अंतर्द्वंद्वों का मूल कारण है कि शिक्षा और उत्पादन के बीच कोई तालमेल नहीं है। इस समस्या का निराकरण तभी संभव है जब शिक्षा व्यवस्था में 'उत्पादन के लिए संघर्ष' शामिल हो, मगर यह काम आसान नहीं है। इस काम को वर्तमान व्यवस्था के स्कूल और कालेज पर आधारित शिक्षा के ढांचे में करना संभव नहीं है। क्या हम इस चुनौती को मोल लेने के लिए सचमुच में तैयार है? क्या हम हमारे उद्देश्य के प्रति संभव है या नहीं? इस सवाल का हमें जवाब देना होगा।

वैज्ञानिक प्रयोग- यह शिक्षा से संबंधित दूसरा मुद्दा है जिस पर मैं विस्तार से बताना चाहूंगा। यह मुद्दा पिछले मुद्दों से जुड़ा है। मनुष्य की समझ वस्तुस्थिति में [illegible] की प्रक्रिया से बनती है। 'उत्पादन के लिए संघर्ष' हमें वस्तुस्थिति के करीब ले जाता है। 'वैज्ञानिक प्रयोग' हमें वस्तुस्थिति बदलना सिखाता है।

जब हम वैज्ञानिक प्रयोग के बारे में बोलते हैं तो कई लोग इससे प्रयोगशाला में टेस्टट्यूब इत्यादि के साथ काम करना समझते हैं। मगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण हर स्तर पर और हर विषय में अपनाया जा सकता है। वैज्ञानिक प्रयोग में दो बातें हैं- तथ्यों को परखना और निराकरण (निष्कर्ष) पर पहुंचना। यह प्रक्रिया तोता-रटंत जैसी शिक्षा पद्धति को खत्म करती है और साथ-साथ 'स्थापित लोगों' पर अंधविश्वास को भी खत्म करती है। वैज्ञानिक प्रयोग लोगों में आत्मविश्वास पैदा करता है और सत्यको परखने के लिए उनकी अपनी क्षमता को विकसित करता है।

मैं वैज्ञानिक प्रयोग के संबंध में दो उदाहरण पेश करना चाहूंगा। पिछले दस बरस से 'किशोर भारती' (होशंगाबाद का संगठन) के शिक्षकों का एक समूह प्रयोगों के जरिये विज्ञान शिक्षा देने हेतु एक नयी पद्धति माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर विकसित करने के लिए प्रयासरत् है। इन्होंने सरकारी पाठशाला के बच्चों से कई प्रयोग करवाकर वैज्ञानिक [illegible] को खोज निकालने की पद्धति विकसित की है। इस पद्धति में [illegible] सफलता मिली कि 'एकलव्य' नामक एक अलग संस्था [illegible] करके वैज्ञानिक पद्धति से स्कूल के सभी विषयों [illegible] खोज शुरु हुई है।....

(इसके आगे पांडुलिपि का अंश उपलब्ध नहीं है)

(शहीद नियोगी के घर से क्रांति गुहा नियोगी के सौजन्य से)

शिक्षा नीति एवं छात्र वर्ग की भूमिका

शहीद नियोगी ने यह लेख छत्तीसगढ़ स्टूडेंट्स फेडरेशन द्वारा अगस्त १९९० में प्रकाशित पुस्तिका 'सुबह की तलाश' के लिए लिखा था। स.

भारत में प्रचलित शिक्षा नीति हमेशा से चर्चित रही है। विभिन्न छात्र संगठनों, राजनेताओं, शिक्षाविदों एवं बुद्धिजीवियों ने इस शिक्षा नीति एवं व्यवस्था पर व्यापक टीका-टिप्पणी की है। प्रत्यक्ष रुप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद्, प्रांतीय शिक्षा अनुसंधान परिषद,डी.आई.ई.टी.* दून स्कूल की शैली के नवोदय विद्यालय भी बनाये जाते रहे हैं। पर शिक्षा के मूलभूत ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के ४३ वर्षों बाद भी हम यह सोचने को मजबूर है कि कदाचित हमारी शिक्षा नीति की कमजोरी ही भारत में अनिश्चितता के इस वातावरण को बनाने के लिए जिम्मेदार है।

मुट्ठी भर गोरे शोषकों की मानसिकता से ओत-प्रोत, उनकी प्रशासनिक क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रेरित, शासक एवं शासितों के मध्य सेतु का कार्य करने के लिए सन् १८१३ में लार्ड मेकाले ने बाबुओं (क्लर्क) का एक वर्ग बनाने के उद्देश्य से आज की शिक्षा नीति को बनाया था। पुरानी जंग खायी मशीन पर रंग-रोगन लगाने की तरह हमारी शिक्षा नीति ने भी कई जामे बदले, पर इसका हुलिया न बदला। अगर ऐसा न होता तो-

१. वर्तमान शोषण-ग्रस्त समाज अब तक अपरिवर्तित न रहता;
२. हर शिक्षित व्यक्ति वर्तमान व्यवस्था की काल-सापेक्ष प्रासंगिकता छोड़कर इस व्यवस्था की प्रशंसा का तोता-रटंत न रटता;
३. शिक्षितों का सुविधाभोगी वर्ग वृहत्तर समाज से स्वयं को काटकर अल्पसंख्यक वर्ग की तरह व्यवहार न करता;
४. उत्पादक कार्यों से कटकर स्वयं शिक्षित वर्ग आम जनता से पृथक न होता;
५. व्यवस्था-संचालन के सुविधार्थ बनाया गया दब्बू वर्ग उपनिवेश की समाप्ति के ४३ वर्ष बाद भी औपनिवेशिक मानसिकता से ग्रस्त न होता; एवं
६. देश की जन-कल्याणमूलक भूमिका के विज्ञान पर किये जाने वाले व्यय से भी कम खर्च शिक्षा हेतु न किया जाता।

वर्तमान शिक्षा नीति एवं पद्धति देश की आवश्यकता एवं जनता की आकांक्षा की पूर्ति कर पाने में अक्षम है। इसका जीवंत उदाहरण देखिये : १५० वर्षों से विश्वविद्यालयों की संख्या में १५० गुनी वृद्धि भले ही हुई हो, पर इतने वर्षों तक जीव विज्ञान में सहस्त्रों वैज्ञानिक (?) बनाकर भी हमारा देश एक छोटे से जीव मच्छर को अपनी गिरफ्त में न ले सका। मलेरिया, एनसेफेलाइटिस आदि प्राणघातक रोगों के मूल में यही मच्छर है। कई जटिल बीमारियों के लक्षण कारण एवं उपचार जानने वाले चिकित्सा विद्यार्थी को आमतौर पर होने वाली उल्टी-टट्टी की बीमारी में जीवन रक्षा करने वाले नमक-शक्कर के घोल की जानकारी नहीं दी जाती। तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिस्पर्धा सिविल इंजीनयरिंग में दाखिले के लिए होती है, ताकि पी.डब्ल्यू.डी. या सिंचाई विभाग में बह रही 'विकास की गंगा' में डुबकी लगाने का मौका मिले। सच और झूठ, आवश्यक और अनावश्यक, न्याय और अन्याय में फर्क कर सकने की क्षमता को ही इस शिक्षा व्यवस्था ने कुंठित कर दिया है। यही कारण है कि एक बलात्कारी, डकैत या कार्यकर्ता, तीनों के प्रति कानून व्यवस्था समभाव रखती है- कार्यकर्ता को वकील भले न मिले, पर बलात्कारियों, डकैतों, अपराधियों को अच्छे वकीलों की सेवाएं सदैव उपलब्ध होती हैं।

ग्रामीण एवं शहरी नागरिक सुविधाओं के बीच बढ़ती हुई खाई हमारी शिक्षा व्यवस्था पर भी लागू होती है। एक ओर शहरी 'इंडिया' के स्कूलों में प्राप्त आधुनिक सुविधाओं से सज्जित प्रयोगशालाएं एवं उच्च सम्मान - प्राप्त शिक्षक एवं महाविद्यालयों में विदेशों से आये अतिथि प्राध्यापकों की भीड़ है (जैसे कि दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में), हर एक छात्र पर हज़ारों रुपये प्रति माह व्यय होता है। वहीं ग्रामीण 'भारत' में गरीब बच्चों की ५ कक्षाओं के लिए २ कमरे

(राष्ट्रीय शिक्षा नीति, १९८६ के तहत शिक्षक प्रशिक्षण, शैक्षिक नवाचार आदि कार्यों हेतु नव-गठित 'जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान' (डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट आफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग)।

हैं तथा कई बार मात्र एक शिक्षक उपलब्ध है। ऐसी हालत में शहरी छात्रों के मुकाबले ग्रामीण अंचल के छात्रों का किसी भी प्रतियोगिता में टिकना लगभग असंभव हो जाता है। इस दौड़ में मध्यमवर्गीय परिवारों के छात्र भी मेधावी होने के बावजूद आर्थिक सीमाओं के कारण सफल नहीं हो पाते। फलतः इस शिक्षा पद्धति से निराशों की जमात ही पैदा होती है। अति अल्प संख्या में लोग अपने मन के अनुकूल काम पर जा पाते हैं। शारीरिक श्रम एवं उपयोगिता की ओर से विमुख इस शिक्षा पद्धति के द्वारा निर्मित शिक्षित बेकार (सुखियार) होकर एक सामाजिक बोझ बन जाते हैं। समाज के लिए अनुपयोगी, स्वयं को बेकार मानने वालों की यह फौज चंद असामाजिक तत्वों तथा स्वार्थी राजनेताओं के चंगुल में पड़कर अराजकता के वातावरण में उग्रता प्रदान करती है।

छत्तीसगढ़ के संदर्भ में भी उपरोक्त तथ्य समान रूप से लागू होते हैं, बल्कि छत्तीसगढ़ की हालत तो अन्य क्षेत्रों से बदतर है, क्योंकि यहां शहर और गांव के बीच फर्क की खाई और भी अधिक गहरी है। गांवों में शोषण कर रहे लोग भी स्वयं शहरी शोषण का शिकार हैं, क्योंकि शहरों की शिक्षा, व्यापार और राजनीति पर स्वार्थी तत्व ही हावी हैं।

आज जबकि अन्य प्रांतों में छात्र राजनीति में विकास की मुख्य धारा से जुड़ने की जी-तोड़ कोशिश जारी है, वहीं छत्तीसगढ़ में आज भी सचेत छात्र संगठन न होने के कारण छात्रों की राजनीति का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। इन कठपुतले छात्र नेताओं के नियंत्रण की बागडोर कहीं और से नियंत्रित होती है। यही कारण है कि इस पर नियंत्रण की प्रतिस्पर्धा में जो तामझाम और खर्च होता है, वह विधानसभा के चुनाव से किसी तरह कम नहीं है।

हमें भी दुनिया के नवयुवकों, छात्रों के कदम-से-कदम मिलाकर चलना होगा। हमें भी भारत के अगुवा छात्र वर्ग के कंधे-से-कंधा मिलाकर चलना होगा। इतिहास के पन्नों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि विद्यार्थी स्वयं पुस्तकों एवं पुस्तकालयों से शिक्षित होता है एवं किसानों, मज़दूरों तक अपनी शिक्षा द्वारा अर्जित ज्ञान का प्रकाश पहुंचाता है। जब देश की जनता राजनैतिक दिशाहीनता का शिकार हो, उस समय छात्र-समाज जैसा क्रांतिकारी वर्ग ही समाज को गुणात्मक परिवर्तन की ओर प्रेरित करने के लिए कूद पड़ता है। हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई में भी छात्र-समाज ने अपनी जिम्मेदारी निभाकर मिसाल कायम की। सन् १९१७ को रूसी क्रांति, चीन में सामंत-साम्राज्यवादी विरोधी संघर्ष में भी छात्र-समाज की भूमिका स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। सन् १९६८ के फ्रांसीसी छात्र आंदोलन ने तो एक विद्रोह का रूप ले लिया था, जिसमें लाखों मज़दूरों-किसानों ने सक्रिय भागीदारी की थी।

आज भारत के विभिन्न प्रांतों में विशेषतः महाराष्ट्र, केरल, बंगाल, आंध्र, उत्तराखंड, पंजाब, झारखंड आदि क्षेत्रों के छात्र आंदोलन सामाजिक परिवर्तन हेतु अपनी जिम्मेदारी निभाने को संकल्पित है। असम में छात्र आंदोलन ने राज्य सरकार भी बनवायी तथा मुख्यमंत्री भी दिया। आज भी वहां का 'आसु' मुद्दों की राजनीति से हटा नहीं है। छत्तीसगढ़ के छात्र आंदोलन में भी दिशा-प्रेरक के रूप में ७० के दशक का अंग्रेजी विरोधी आंदोलन अथवा जगदलपुर में एक महिला के बलात्कार के विरोध में हुए आंदोलन हैं। चाम्पा में पेयजल की मांग को लेकर किये गये आंदोलन का नेतृत्व भी छात्रों ने किया जिसमें एक छात्र शहीद हो गया। व्यापक क्षेत्र में अलग-अलग होने वाले इन प्रयासों के बावजूद सम्यक दृष्टिकोण के अभाव में छत्तीसगढ़ का यह आंदोलन स्पष्ट दिशा दे पाने की स्थिति में न आ सका। कभी विंदा कांड जैसी घटनाएं या छात्र आंदोलनों के नेता डा. काम्बले जैसे लोगों की हरकतों से हमारे छत्तीसगढ़ में प्रगतिशील छात्र आंदोलन के स्वरूप को ठेस लगती है और कुछ बिखर सा जाता है।

'सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना'

हमारे छत्तीसगढ़ के समस्त विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के छात्र-छात्राओं द्वारा वर्तमान परिस्थिति में छत्तीसगढ़ के विकास के प्रश्न पर चिंतन करना नितांत जरुरी है। हम कुंठाओं को हटाने एवं समाज को प्रतिष्ठित करने वाले एक ऐसे छात्र आंदोलन का सूत्रपात करें, जिससे छत्तीसगढ़ की मौजूदा समस्याएं ही छत्तीसगढ़ के विकास का आधार बन सकें, बेरोजगारी, भुखमरी, पलायन, अशिक्षा, कुपोषण से ग्रस्त हमारे देशवासियों की मुक्ति की राह प्रशस्त कर सकें।

(छत्तीसगढ़ स्टूडेंट्स फेडरेशन के सौजन्य से)

हमारा पर्यावरण

यह संभवतः शहीद नियोगी का अंतिम लेख है। यह जुलाई १९९१ में लिखा गया था। पर्यावरण एवं विकास के रिश्ते पर नियोगी का जनवादी दृष्टिकोण इस लेख में स्पष्ट है। यह लेख शहीद नियोगी की दिलचस्प व सहज लेखन शैली की भी सुंदर मिसाल है। - स.

प्रेक्षण एक पद्धति है जिससे हम जानकारियां प्राप्त करते हैं। समानताओं, समस्याओं एवं समधर्मिताओं या असमानताओं, विरुपताओं एवं विपरीत धर्मिताओं का पर्यवेक्षण कर हम अपनी जानकारी को पक्का बनाते हैं। जानकारी हासिल करना हमारी सभी की बुनियादी जरुरत है।

विचलित करने वाली जानकारियां, जैसे कि वायुमंडल की ऊपरी सतह की ओज़ोन गैस परत का विघटन, हवा में आक्सीजन की कमी, जहरीली गैसों का प्रतिशत बढ़ जाना आदि हमें व्याकुल बनाती है। ट्रेड यूनियन के जागरुक कार्यकर्ता इस पर समय-समय पर चर्चा करते हैं।

क्षेत्र में स्थित शंखिनी नदी का पानी और दल्ली माइंस से निकलता हुआ प्राकृतिक नालों का पानी जब लौह अयस्क के फाइन्स के साथ मिलकर लाल रंग का हो जाता है या डिस्टलरी, इस्पात कारखाओं और फर्टिलाइजर प्लांट से निकलते हुए विभिन्न केमिकल्स से विषाक्त तरल पदार्थ जब शिवनाथ या खारुन नदी के पानी को जहरीली बना देते हैं, तब औद्योगिक विकास के नाम पर विनाश की प्रक्रिया देखकर हम चिंतित हो उठते हैं। इस पर यूनियन में गर्मागर्म बहस होती है।

गैस बूस्टर, एक्जॉस्टर हाऊस, कम्प्रेशर या ब्लास्ट फर्नेस में काम करने वाले मजदूर साथी जब कुछ दिन काम करने के बाद कोयल की मधुर आवाज़ को न सुन पाने की शिकायत करते हैं, हम उसे अपनी बदनसीबी मानकर चुप रह जातेहैं।

उल्लेखित जानकारियां साधारण प्रकृति की हैं, फिर भी हम पर्यावरण की सुरक्षा के विशेष मुद्दे को साधारण प्रकृति की जानकारियों के साथ मिलाकर देखने में असमर्थ रहे।

खदान परिक्षेत्र में पर्यावरण की विनाशलीला चरम बिंदु पर थी। ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ता इस सिद्धांत पर विश्वास करते हैं कि -

१. जहां अन्याय या अत्याचार हो वहां प्रतिरोध अवश्य होगा।
२. विनाश की प्रक्रिया का, निर्माण की सृजनशीलता द्वारा मुकाबला किया जा सकता है।

बात छोटी सी थी। एक आदिवासी किसान एक रोज यूनियन दफ्तर में आकर रोने लगा और बोला कि वह और उसके साथी सूखी जलाऊ लकड़ी का गट्ठा सिर पर ढोते हुए ला रहे थे, तब जंगल विभाग के एक अधिकारी ने उन्हें मारपीट कर उनसे जलाऊ लकड़ी का गट्ठा छीन लिया और हाथों-हाथ दूसरों को वह लकड़ी बेच दी। 'कल हरियाली त्यौहार का दिन है- किसान का पहला त्यौहार- और हमें बच्चों के साथ भूखा रहना होगा।"

यूनियन कार्यकर्ता ने पूछा, "अब वह जंगल अधिकारी कहां मिल सकेगा?" आदिवासी किसान ने जवाब दिया, "वह तो शराब पीकर बस्ती में मस्ती कर रहा है।" यूनियन के कुछ साथियों ने आदिवासी किसान के साथ घटना-स्थल पर जाकर घटना की जानकारी हासिल की एवं राजहरा पुलिस स्टेशन जाकर सिटी सुपरिंटेंडेंट आफ पुलिस (सी.एस.पी.) से संपर्क किया। पुलिस पहले तो आनाकानी करती रही पर यूनियन के दबाव से घटना-स्थल पर गयी एवं जंगल अधिकारी को गाड़ी में बैठाकर ले आयी। फिर भी आदिवासी की समस्या के ऊपर चर्चा नहीं हो पायी। कारण यह था कि उस समय जंगल अधिकारी को पेश होने के लिए अपने बंगले जाना जरुरी था।

दूसरे दिन पुलिस स्टेशन पर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई। आदिवासी ने आरोप लगाया कि जंगल अधिकारी ने उससे ५ रुपये प्रति गट्ठा मांगा, न देने पर उसने पूरे गट्ठे छीन लिये।

जंगल अधिकारी-	'इस आदमी ने जंगल का नुकसान किया था। हमें पर्यावरण की सुरक्षा को भी देखना है। हम तो इस पर केस भी चला सकते थे।'
ट्रेड यूनियन -	'क्या ५ रुपये देने पर गट्ठा कानूनी बन जाता?'
जंगल अधिकारी -	'यह ५ रुपये का आरोप गलत है।'
सी.एस.पी. (पुलिस)-	'किसी के ऊपर गलत आरोप नहीं लगाने चाहिए।'
ट्रेड यूनियन -	'इलाके के सारे जंगल गायब हो गये हैं। आरा मिल वाले, ठेकेदार लोग, राजनैतिक पार्टी के नेतागण मिलकर ट्रकों में लादकर जंगल की सारी इमारती लकड़ियां चाट गये। उस

समय पर्यावरण का नुकसान नहीं हुआ? गैर-कानूनी काम नहीं हुआ? आपके सारे कानून आदिवासियों एवं गरीबों के ऊपर ही बोझे की तरह लदे हुए हैं। कानून के रक्षक अगर अब जंगल इलाके के ग्रामीणों में असुरक्षा पैदा करेंगे तो हमें जन आंदोलन के जरिये जंगल एवं आदिवासियों की सुरक्षा करनी होगी।

और उस दिन से हमारी ट्रेड यूनियन ने एक चुनौती स्वीकार की, जिस पर आगे चलकर ट्रेड यूनियन ने अपनी एक नयी शाखा का निर्माण किया। इस शाखा ने 'अपने जंगल को पहचानो' का नारा लेकर एक नये आंदोलन की शुरुआत की।

यूनियन ने अपने विचार को पक्का बनाया

बहस एवं एक जन आंदोलन को रचनात्मक दिशा देने के लिए हर सप्ताह यूनियन दफ्तर में बैठकों का सिलसिला शुरु हो गया। कई बैठकों के बाद निम्नलिखित मुद्दों को तय किया गया -

१. पर्यावरण विनाश के कारणों का विश्लेषण करना होगा।

२. समग्र रुप से पर्यावरण के ऊपर एक राष्ट्रीय चेतना का विकास करना होगा।

३. पर्यावरण में, जहां तक जंगल का सवाल है, जंगली इलाकों के निवासियों के लिए जंगल पर आधारित उनके हित को सुनिश्चित करना होगा, ताकि उनमें यह भावना बनी रहे कि 'जंगल हमारी संपत्ति है।'

४. वर्तमान जंगल-नीति के तहत जिन गलत उपायों पर अमल किया जा रहा है, उन्हें बदलने के लिए यथासंभव प्रयास किया जायेगा। एक वैकल्पिक पद्धति का प्रचार कुछ हद तक अपने बूते पर लागू कर एक मजबूत जनमत बनाना होगा।

५. व्यवस्था की विकृतियों पर कठोर प्रहार किया जायेगा एवं साथ-साथ सुझाव के रुप में नयीरुपरेखा बनायी जायेगी।

६. 'अपने जंगल को पहचानो' के तहत एक नये प्रकार का कार्यक्रम बनाया जायेगा ताकि जंगल के साथ हम अपने रिश्ते को मजबूत कर सकें।

७. जल प्रदूषण पर कठोर प्रहार किया जायेगा और शुद्ध एवं साफ जल के लिए सरकार से अधिक-से-अधिक नलकूप निर्माण की मांग की जायेगी।

८. ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के लिए लाऊड स्पीकरों के अत्यधिक उपयोग के खिलाफ जनमत तैयार करने की कोशिश की जायेगी।

९. यूनियन के जागरुक कार्यकर्ता देश-विदेश में हो रहे पर्यावरण आंदोलनों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे एवं आंदोलनों के पक्ष में भाई-चारा आंदोलन सहित अन्य प्रकार का समर्थन देने के लिए अपने समदस्यगण एवं आम जनता को तैयार करेंगे।

१०. उद्योगों में जहां हमारी यूनियन कार्यरत् है, वहां विशेष रुप से हवा में उड़ते हुए धूल कणों को रोकने के लिए इन उद्योगों के मैनेजमेंट से मांग करना, ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ आवाज़ उठाना एवं ध्वनि प्रदूषण के कारण पीड़ित मज़दूर साथियों के लिए कुछ कार्यक्रम तय कराना।

११. पर्यावरण की सुरक्षा की आड़ में नौकरशाहों व अधिकारियों की श्रम एवं धन शक्ति की फिजूलखर्ची के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना, पर्यावरण की सुरक्षा की आड़ में मजदूर-विरोधी नीतियों को चलाने पर रोक लगाना और पर्यावरण को केवल अमूर्त रुप से देखते हुए उद्योग-विरोधी वातावरण* तैयार करने के खिलाफ कठोर प्रतिरोध पैदा करना जरुरी है।

यह क्षेत्र बस्तर जिले के उत्तर और दुर्ग जिले के दक्षिण भाग में स्थित है। जहां किल्लेकोड़ा पहाड़ समाप्त होता है, वहां दल्ली, झरनदल्ली, राजहरा, महामाया की पहाड़ियों के बीच से क्षेत्र के आसपास तांदुला, सुखा, किरियाकसा नाले प्रवाहित होते हैं। यह क्षेत्र लौह खनिज से भरपूर है और यहां वर्तमान में एक विकसित एवं एशिया की वृहत्तम लौह खदान है। आज से [illegible] वर्ष पूर्व जब लोग कुसुमकसा से डोंडी या बाजार की तरफ चलते थे तो घने जंगल से होकर उन्हें [illegible] था। बीच-बीच में आदिवासियों के छोटे-छोटे गांव, [illegible], बुरकालकसा, अड़जाल आदि नामों से यह पता चलता है कि [illegible] के निवासी गोंड जाति के होते थे और उनकी बोली [illegible] इलाका हरियाली की छटा से भरपूर था। कोयल, [illegible], [illegible] अन्य पक्षियों की मधुर आवाज़ एवं [illegible], [illegible] बोईरडीह नाले के बहते पानी के कल-कल स्वर के [illegible] एक संगीतमय वातावरण हमेशा बना रहता था। गांवों में आदिवासी बालक-बालिकाओं, नवयुवकों एवं [illegible]

*यहां उन 'विशुद्ध' पर्यावरणवादियों के प्रति संकेत है जो पर्यावरण को इंसान की जरुरतों और उसके वर्ग-आधारित दोहन/ शोषण से [illegible] और इसलिए अक्सर उद्योग-विरोधी दृष्टिकोण अपनाने के भंवरजाल में फंस जाते हैं।

के सामूहिक नृत्य और मंदिर की ढोल से क्षेत्र की सांस्कृतिक चहल-पहल होती थी।

फिर एक दिन जियोलॉजिकल सर्वे आफ इंडिया (भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग) के लोग आये, फिर आयी रशियन तकनीशियनों के साथ मिलकर भारतीय इंजीनियरों की टोली*। एक दिन जोरदार ब्लास्टिंग का धमाका हुआ। आदिवासी गांवों के लोग, जंगल के सभी जीव और हरियाली की छतरी फैलाये जंगल के सारे पेड़ कांप उठे। फिर बार-बार ब्लास्टिंग के धमाके होते गये। बुलडोजर, डम्फर आदि की घर्र-घर्र की आवाज़ शुरु हुई। मयूर और कोयला पता नहीं कहां उड़ गये। रिलों का नाच समाप्त हुआ, मांदर (मृदंग का एक प्रकार) चुप हो गया। एक के बाद एक छोटे-बड़े पेड़ लाकों की संख्या में धूल में मिल गये। पूरे इलाके में चारों तरफ आरा मिल वालों ने डेरा जमाया। झाड़ों की चीर-फाड़ होती चली गयी।

किरियाकसा तथा झरन नाले का पानी लौह अयस्क फाईन्स के साथ मिलकर रक्त रंग से रंगीन हो गया। जहां देखो, वहां लाल पानी।

फिर एक दिन आया। जब जंगल की बात तो दूर, पेड़-पौधों का नामो-निशान मिट गया। क्षेत्र के आरा मिल वाले और राजनांदगांव, दुर्ग एवं रायपुर के व्यापारियों ने कबेलू के घरों के स्थान पर बड़े-बड़े महल्लों का तांता लगा दिया। लौह अयस्क का उत्पादन शुरु हुआ। राजहरा के लौह अयस्क ने भिलाई की धमन भट्ठियों में पिघलकर, इस्पात कारखाने की चिमनियों ने फेरस आक्साइड और कार्बन मोनोआक्साइड का धुआं उगलते हुए 'विकास का झंडा' बुलंद किया। विनाश की ध्वंस लीला की बुनियाद पर विकास की नयी मंजिल खड़ी हुई।

फिर बना सीमेंट कारखाना। आसपास के खेतों में सीमेंट कण गिरने लगे। मिल के बाद मिल, किसानों के खेतों की हरियाली को निगलती गयीं। लाखों किसान सिर पीटते रहे। फिर आयी डिस्टलरी। मोलासेस की सड़न ने इलाके की हवा में दुर्गंध फैला दी। खारुन और शिवनाथ नदियों का पानी भी फर्टिलाइजर, डिस्टलरी, मेज फैक्टरी से निकले हुए तरल पदार्थों से विषाक्त हुआ। खुजली का प्रकोप गांव-गांव में फैल गया। गाय-गोरू आदि जानवरों की मृत्यु दर में अस्वाभाविक वृद्धि हुई। शहरों की जनसंख्या में वृद्धि हुई। दुर्गंध के वातावरण में चारों तरफ भारी-भारी मशीनों की आवाज़। मशीनों के कुलपुर्जों से रिसते हुए तेल और तेजाब-मिश्रित पानी को व्यवहार में लाकर लाखों झुग्गी-झोपड़ी वाले कीड़े-मकोड़ों की तरह जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। पर्यावरण की सुरक्षा अब अहम् मुद्दा है और यह नयी चुनौती हमें ललकार रही है।

असमान विकास और कृत्रिम कायदों से भावना नहीं बनती

'आषाढ़स्य प्रथम दिवसे' अब मयूर अपने पंख फैलाकर नाचते नहीं है। जंगल में पेड़ों का गिरना बराबर जारी है। दूसरी तरफ कंक्रीट के जंगलों में प्रतिदिन शाखाएं बढ़ती जा रही हैं। ईंटों के सांचों पर लोहे के पिंजरों के बीच इंसानों की एक नयी दुनिया बसती जा रही है, जहां लोग टेलीविजन में समुद्र का दर्शन करते हैं। दुनिया की सारी सुंदरता को कुछ मिनटों में ही देखा जा सकता है। बड़ी-बड़ी कंपनियों के दफ्तरों में आदिवासी बालाओं की अर्ध-नग्न तस्वीरों या जंगल-झाड़ी के आयल पेंटिंगों (तैल चित्रों) को वे अपनी आदिवासी संस्कृति के प्रति लगाव का सबूत बताते हैं। बोरियत हुई तो दार्जिलिंग के टायगर हिल में जाकर सूर्योदय देख आते हैं या अरब सागर में डूबते हुए सूरज का दर्शन गोवा के समुद्र तट पर करने वाले जाते हैं। गांव में रात आती है। सर्दी के महीनों में आग जलाकर आदिवासी गांव में नाचते रहते हैं। चारों ओर के सुनसान में ढोल की आवाज़ से घुंघरू झनकते रहते हैं। आदिवासी गांव में युवक-युवतियां नाचते हुए गाते हैं-

"तुमन शहर के मन अब सुते हो,

हमन चंदा ला संगवारी बनाके नाचत रहिथन"

अर्थात् आप शहर के लोग जब सोते रहते हो, तब हम चंद्रमा को साथी बनाकर नाचते-गाते रहते हैं।

कितना फर्क है।

जब ट्रक में लदकर सारा-का-सारा जंगल शहर की ओर भाग रहा है, बॉस कागज की मिलों में पहुंच रहा है, उस समय, यह समझ पाना कि पर्यावरण पर एक राष्ट्रीय चेतना कैसे विकसित होगी, मुश्किल हो जाता है।

आज की दुनिया बहुत छोटी बनती जा रही है। दुनिया भर के लोग पर्यावरण के बारे में सोच रहे हैं। इराक में युद्ध के कारण पर्यावरण पर असर पड़ा है। हम जानते हैं कि वर्तमान समय में कई ज्वालामुखी फूट रहे हैं जिससे पर्यावरण असुरक्षित है। अंटार्कटिका में प्रयोग जारी है, मिसाइलें महाकाश में छोड़ी जा रही हैं, पर्यावरण घायल हो रहा है। इस समय मेरे घर के सामने पेड़ और मेरी बस्ती के कुछ दर्जन झाड़ क्या हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रख सकेंगे?

**यह प्रसंग भिलाई स्टील प्लॉंट की स्थापना से पूर्व का, पचास के दशक के उत्तरार्ध का है।*

एक तरफ राष्ट्रीय असमान विकास की धाराएं और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय पैमाने में घटित घटनाएं और उनसे पर्यावरण पर पड़ा प्रतिकूल असर, इससे पर्यावरण पर हमारी राष्ट्रीय चेतना कुंठित हो जाती है।

आम जनमानस गणित के आंकड़ों से उद्वेलित नहीं होता। भावनाओं को जब तक तार्किक व गणितीय रुप नहीं दिया जायेगा, तब तक कर्म-रुपी सृष्टि संभव नहीं है। इसीलिए भावना और तर्क के मिश्रण से ही बनेगी, पर्यावरण पर राष्ट्रीय चेतना।

यूनियन ने इसीलिए पर्यावरण के स्थान पर प्रकृतिक शब्द को अपनाया। यह प्रकृति, हमारे क्षेत्र की प्रकृति, सदियों से, हमारे पुरखों की शुरुआत के पहले से चलती आ रही है। हमारे पुरखे, जिस हवा में सांस लेते थे, जिन नदियों के पानी से अपनी प्यास बुझाते थे, उन्हें नष्ट करने का अधिकार हमें नहीं है। यह नदी, यह हवा, यह पहाड़, यह जंगल, यह पक्षियों का चहकाना - यह हमारा देश है। हम विज्ञान की सहायता से हमारी दुनिया को आगे बढ़ायेंगे, लेकिन इस पर भी अवश्य ध्यान रखेंगे कि नदियों का स्वच्छ पानी कल-कल स्वर से बहता रहे, ताजी शुद्ध हवा, हमारे मन को तरोताजा बनाती रहे। हम अपने कानों से उन पक्षियों की आवाज़ सुनते रहें जो पक्षी गा-गा कर हमारे पुरखों की भावना को प्रकृति-मुखी बनाते रहे हैं।

और तब फिर हमारे देश के इंसानों को प्यार करना देशप्रेम कहलायेगा, हमारे देश की प्रकृति से प्यार करना देशप्रेम कहलायेगा। विज्ञान, प्रकृति की हत्या नहीं करेगा। वही विज्ञान हमारा विज्ञान कहलायेगा। ऐसे ही होगा पर्यावरण पर राष्ट्रीय चेतना का विकास।

व्यक्ति-हित, सामूहिक हित, देशहित

यह सर्वविदित है कि जंगल-क्षेत्र से सैकड़ों किलोमीटर दूर के निवासी, व्यापारी बनकर जंगल क्षेत्र के आसपास आये और जंगल को लूटकर मालामाल हो गये। वे शहरी गणमान्य नागरिक कहलाते हैं। अधिकारियों के साथ बैठकर इनका खाना-पीना, मेल-मुलाकात होता है। इनके निकटतम पारिवारिक रिश्ते के लोग महत्वपूर्ण राजनैतिक व्यक्ति भी होते हैं। उनके पास कई ट्रकें होती हैं या आरा मिल या लकड़ी टाल होता है। वे व्यक्ति जंगल विभाग के ठेकेदार भी हो सकते हैं। जंगल से वे अपना हित सिद्ध करते हैं। इनकी हर पहल व्यक्ति-हित पर आधारित होती है।

भारत के जंगल के इलाके में रहने वाले लोग साधारण आदिवासी होते हैं। एक भी आदिवासी से आज तक जंगल से व्यक्ति-हित का साक्ष्य नहीं पाया गया। रोजमर्रा की जरुरतों की पूर्ति करने में भी इन [illegible] देना पड़ता है।

सामूहिक हित और देशहित में निकट संबंध होता है। देश में जन शब्द निहित है। जनहित या सामूहिक हित और देशहित एक दूसरे के परिपूरक हैं।

जंगल कानून बनाते समय आदिवासी इलाके के सामूहिक हित के मुद्दों पर विचार नहीं किया जाता। सन् १८७७ में पहली बार अंग्रेजों ने जंगल कानून बनाया। इसके बाद से ही अनर्थ शुरु हुआ। जंगल क्षेत्र के निवासियों के अधिकार छीन लिये गये। 'यह हमारा जंगल है' कहने वाले आदिवासी जंगल के विनाश पर सबसे ज्यादा परेशान होते थे- जिनके पूर्वज जंगल की रक्षा करते आ रहे हैं- जंगल कानून ने हमेशा उन आदिवासियों पर ही प्रहार किया। इसलिये आज जंगल का कोई मां-बाप नहीं है। नौकरशाही का ढांचा जब जंगल कानून को यंत्रवत् लागू करता है, तब वन अधिकारी जंगल राज कायम कर बैठता है।

जंगल कानून में सुधार होना अनिवार्य है। स्पष्ट रूप से जंगल चोरों को चिन्हित करना आवश्यक है। जंगली इलाके के करोड़पतियों की एक लिस्ट बनानी चाहिए। उन पर अंकुश लगाने के लिए कानून को मुस्तैद बनाना चाहिए और कानून लागू करने के लिए हर एक जंगल क्षेत्र के गांव के निवासियों का पूर्ण सहयोग मांगना चाहिए।

तेंदूपत्ता, तेंदू, बेल, चार, सल्फी, महुआ, बांस, बीड़ा बनाने की पत्तियां, जंगली बेर (जिसमें रेशन के कीड़ों का पालन होता है), पलाश (जिसमें लाख के कीड़ों का पालन किया जाता है) और विभिन्न प्रकार की औषधियों के फूल या पत्तियां आदि पर जंगल निवासियों का अधिकार एवं कानूनी संरक्षण कायम होना चाहिए।

जंगल के निकटस्थ किसानों को उनकी जरुरत के मुताबिक जलावन की व्यवस्था जंगल से [illegible] चाहिए। आदिवासियों को मकान बनाने के लिए [illegible] लकड़ियों की व्यवस्था उनके आसपास के जंगल से [illegible] अधिकार कानूनन रुप से मिलना चाहिए। [illegible] निर्धारित शुल्क उन्हें देना पड़े।

जबकि वर्तमान कानून में यह प्रावधान [illegible] कुछ मात्रा में स्वीकार किया गया है, फिर भी [illegible] इतनी जटिल हैं या कानून लागू करने [illegible] निकम्मेपन, गैर-जिम्मेदाराना हरकत एवं [illegible] कारण आदिवासी इन कानूनों का फायदा नहीं उठा पाते हैं और वन विभाग के अधिकारियों की निरंकुशता [illegible]

ध्यान देकर जंगली इलाके के निवासियों के लिए जंगल पर आधारित नीतियों को सुनिश्चित करना होगा। जिस दिन यह सुनिश्चित हो सकेगा, उस दिन से 'हम अपने जंगल की रक्षा करेंगे', यह कहकर जंगली इलाके का हर एक नन्हा-मुन्ना भी अपनी शिशु आंखों को पैनी बनाकर जंगल पर निगरानी रखेगा। जंगल के चोरों पर अंकुश लगेगा। निकम्मे एवं अनाचारी नौकरशाहों की गलती को दूर किया जा सकेगा। जंगल पर कुल्हाड़ी की एक भी नाजायज चोट से सारा जंगली इलाका चीख उठेगा। क्योंकि जंगल उस समय जनहित साधने का एक साधन बनेगा। जनहित से देशहित की रक्षा होगी और पर्यावरण की रक्षा के साथ-साथ मानवता की रक्षा की एक गारंटी बन जायेगी।

यूनियन इन मुद्दों पर समय-समय पर मांग करती रही, अधिकारियों से चर्चा करती रही। कभी-कभी इन मुद्दों पर जन आंदोलन शुरु किया गया, आदिवासियों के हितों को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया और साथ-साथ जंगल चोरी पर अंकुश लगाने का प्रयास भी किया गया।

जंगल चोरों से छुटकारा

घटना लगभग १० बरस पहले की है। ग्राम साल्हेटोला के निवासी इस बात से परेशान थे कि झलमला गांव की आरा मिल वाले उनके गांव के जंगल से सागौन काटकर ले जाते थे। ग्रामवासियों ने वन विभाग, पुलिस विभाग व राजनैतिक नेताओं से कई बार शिकायत की, मगर सभी ने उन्हें अनसुना कर दिया।

फिर यूनियन ने ग्रामवासियों को एक तरीका सुझाया। वह था कि ग्रामवासी धूमधामपूर्वक एक समारोह करेंगे जिसमें २-४ वृक्षारोपण करने के साथ वन महोत्सव मनायेंगे। इस कार्यक्रम के बाद जंगल चोर उस जंगल का रास्ता भूल गये और सागौन की चोरी बंद हुई।

एक संतुलित नीति ही पर्यावरण रक्षा का कवच है

पर्यावरण की सुरक्षा व जंगलों के महत्व को औद्योगिक सभ्यता के बढ़ने के समय से ही पहचाना गया है। धुआं, गैस उगलते कारखानों से वायुमंडलीय संरचना में हो रहे परिवर्तन को कुछ हद तक जंगल के ज़रिये ही संतुलित बनाया जा सकता है।

१. यदि संतुलन-रक्षक जंगल को ही उद्योगों की खुराक (कच्चा माल) बनाया जायेगा तो उससे संतुलन कैसे रखा जा सकेगा? वर्तमान वन नीति के तहत नीलगिरी, चीड़ (पाईन) आदि झाड़ों के धड़ल्ले से लगाया जा रहा है, जिससे उद्योगों की जरुरतों की पूर्ति हो पा रही है। पर जंगल के विनाश को रोकना असंभव हो गया है। इसी नीति के तहत 'मोनोकल्चर' रोपणी की गलत प्रवृत्ति भी है। इसके खिलाफ यूनियन ने आवाज उठायी एवं समविचार साथियों के साथ मिलकर समय-समय पर विरोध की दीवार खड़ी की। पाईन-रोपण के खिलाफ व्यापक चर्चा हो चुकी है। सागौन का 'मोनोकल्चर' रोपण भी उतना ही गलत है। जहां उसकी चौड़ी पत्तियां गिरती हैं वहां घास का भी उगना बंद हो जाता है। यूनियन समय-समय पर अपने सुझाव को वन विभाग अधिकारियों को देती रही है।

२. 'मोनोकल्चर' रोपण पर तो बहुत जोर दिया जा रहा है। इसके लिए विश्व बैंक से सहायता भी मिल रही है। पर इसी रोपणी के नाम पर परंपरागत विभिन्न पेड़ों वाले जंगलों की कटाई बेतहाशा जारी है। काट कर वन डिपो में एकत्रित किये गये तनों को उत्पादन के रुप में दिखाया जाता है। हर वर्ष पिछले वर्ष से अधिक 'उत्पादन' का लक्ष्य तय किया जाता है। इससे अधिकारियों की कार्यकुशलता या तरक्की निश्चित होती है। जब तक 'उत्पादन' की यह धारणा बनी रहेगी, तब तक जंगल गायब होते रहेंगे।

३. महुआ, चार, तेंदू आदि पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगना चाहिए। ऐसा प्रतिबंध लगने से, स्वाभाविक प्रजनन (नेचुरल रिप्रोडक्शन) के तहत इन पेड़ों की संख्या बढ़ती जायेगी एवं जंगल इलाके के निवासियों की परंपरागत वन आधारित अर्थव्यवस्था का संतुलन बना रहेगा। इससे जंगल की सुरक्षा की गारंटी भी मिल सकेगी।

४. हर जंगल क्षेत्र में अनेक औषधियों व रसायनों के स्रोत, जड़ी-बूटियों की पहचान व उनके उपयोग पर खोज होती रहनी चाहिए। [illegible] के कार्यक्रम से बूटियों (हर्ब्स) की रक्षा हो सकेगी।

५. आरक्षित वनों या अभ्यारण्य क्षेत्रों के बारे में अक्सर सुनने में आता है कि 'फला जगह शेर या चीता नरभक्षी बन गया।' फिर आसाम या केरल से शेर मारने के लिए शिकारी बुलाये जाते हैं। एक नरभक्षी को मारने के नाम पर कई शेरों का शिकार होता है। शेरों का नरभक्षी बनना भी संतुलन टूटने के कारण ही होता है। जंगली सुअर, हिरन, खरगोश आदि जंगली जानवरों की कमी होने पर बाघ, तेंदुए नरभक्षी बनते हैं। अतः संतुलन को बनाकर रखने के लिए प्रयास आवश्यक है। यूनियन की ओर से इस दिशा में प्रयास करने का कार्यक्रम है।

६. लाख के वन कुछ विशेष स्थानों पर ही होते हैं। परंतु बड़ी चिंता का विषय है कि बड़े-बड़े बांध बनाकर (जैसे बस्तर में बोधघाट बांध) इन दुर्लभ वनों के विनाश का

रास्ता बनाया जा रहा है। इसीलिए साल वनों को नष्ट करने के किसी भी कार्यक्रम का विरोध किया जाना चाहिए। हमारी यूनियन बोधघाट बांध के निर्माण का विरोध इसलिए करती है क्योंकि इससे साल जंगलों का विनाश होगा।

हमारी यूनियन ने राजनांदगांव जिले में प्रस्तावित मोंगरा बांध के निर्माण का भी विरोध किया क्योंकि इसमें काफी मात्रा में जंगलों के कटने की आशंका थी। इस आंदोलन में यूनियन के एक मजदूर कवि का गीत 'मोंगरा के बांध बनन देबो नहीं भैया', क्षेत्र के आदिवासियों में विशेष रुप से लोकप्रिय हुआ था।

हमारी यूनियन ने अपने आफिस के पास एक छोटे से जंगल को संतुलित रुप से विकसित कर एक विकल्प देने का प्रयास किया है, जिसका वर्णन आने वाले अध्याय में किया जायेगा।

व्यवस्था हमेशा लकीर की फकीर बनी रहती है

१. कई ऐसे मुद्दे जिसे जन सामान्य आसानी से समझते हैं, अक्सर हमारे बुद्धिमान अधिकारियों की समझ के परे हो जाते हैं। जैसे, जब जंगली इलाके के निवासी मांग करते हैं कि फलां नदी को बांधकर, स्टाप डैम बनाकर सिंचाई व्यवस्था की जाए और जब राजस्व कर्मचारी भी खाली पड़ी ज़मीन पर कोई आपत्ति न करके स्टाप डैम निर्माण का अनुमोदन कर देते हैं, तब वन विभाग चौकन्ना हो जाता है और उसे बांध पर 'आपत्ति' होने लगती है। उस बांध के बनने पर बांध के आसपास एक अच्छे जंगल के बनाने की संभावना हो सकती है। जंगली पशुओं केलिए पीने के पानी की व्यवस्था हो सकती है पर वन विभाग अड़ियल बनकर उस बांध के निर्माण को रोक देता है। बड़े बांध के निर्माण के समय जंगल का उत्पादन बढ़ेगा (कटाई से), जंगल व्यापारियों का मुनाफा बढ़ेगा और इस प्रकार विकास का दर्जा हासिल करने वाली इस योजना को वन विभाग आसानी से अनुमति दे देता है।

हमारी यूनियन बहुत सारे छोटे-छोटे बांधों के निर्माण के लिए काफी समय से संघर्ष करती रही है और तुएगोंदी, जुंगेरा आदि कई स्थानों पर छोटे बांधों का निर्माण करवाने में सफल भी हुई है।

२. बरसात का पानी लोहा खदान की फाइन्स मिट्टी को बहाकर ले आता है। खेत या जंगल की उर्वरा भूमि पर यह फाइन्स मिट्टी टॉप सॉयल (मिट्टी की ऊपरी तह) की परत बनाकर उस ज़मीन का दम घोंट देती है। पूरा क्षेत्र रेगिस्तान बन जाता है, पर किसी को इसकी फिक्र नहीं रहती।

महामाया माइन्स से बहता हुआ फाइन्स आसपास के कई गावों की उर्वरा कृषि भूमि या वन भूमि पर फैलकर बेरोक-टोक बंजर बना रहा था। हमारी यूनियन ने जन आंदोलन कर इस पर रोक लगायी, किसानों को मुआवजा दिलाया एवं बुलडोज़र की सहायता से पहाड़ी बाढ़ की मिट्टी पानी के निकास का रास्ता बनाने का प्रयास किया।

३. अक्सर सरकार के विभिन्न विभागों में तालमेल का अभाव देखा जाता है। तालमेल के इस अभाव में नये प्रकल्पों की कल्पना भी नहीं बनती। गांव में नझूल भूमि, घास-ज़मीन, हमेशा विवाद के दायरे में रहती है। गाव के प्रतिष्ठित ग्रामवासी उस पर प्रति वर्ष कब्जा बढ़ाते रहते हैं। कभी-कभी इन ज़मीनों को लेकर गांव में कई गुट बन जाते हैं। ज़मीन पर कब्जे के लिए कई बार खून - खराबे की नौबत आ जाती है।

यह बात बार-बार बतायी गयी है कि राजस्व विभाग व वन विभाग तालमेल बनाकर इन परती ज़मीनों पर उपयोगी किस्म के वृक्षों का रोपण कर सकते हैं। साथ में मवेशियों के लिये चारा पैदा करने की व्यवस्था हो सकती है, फिर तो 'आपरेशन फ्लड' स्कीम के तहत इन ज़मीनों से दूध की गंगोत्री बह निकलेगी। बेशक अल्प चारा-उत्पादन में एक गुणात्मक परिवर्तन इन चारागाहों का सही उपयोग सिद्ध कर सकता है। पर इसकी जिम्मेवारी लेगा कौन? सिर्फ एक जनआंदोलन के सहारे ऐसी कल्पना को साकार नहीं किया जा सकता और जब तक एक संवेदनशील पर्यावरणमुखी विचारधारा, व्यवस्था में ऊँचे स्थानों पर बैठी राजनैतिक व प्रशासनिक शक्तियों को [illegible] नहीं कर सकेगी, तब तक यह संभव नहीं। [illegible] यूनियन की ओर से इस विचारधारा पर व्यापक चर्चा के प्रयास किये जा रहे हैं।

पर्यावरण के नाम पर हो-हल्ला तो बहुत [illegible] है, मगर स्थायी रुप से कुछ कर गुजरने की तमन्ना [illegible] दिखाई नहीं देती। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए स्थायी व निरंतर चलने वाले कार्यक्रम की आवश्यकता है। स्थानीय लोगों को [illegible] में जुटाकर ही उनमें पर्यावरण सुरक्षा की दिलचस्पी [illegible] सकती है। आदिवासी क्षेत्रों की जनता को [illegible] इस अवसर से इन पिछड़े क्षेत्रों की तरक्की [illegible] है। इस प्रकार के एक स्थायी विभाग का जाल पूरे देश में बिछाने की आवश्यकता है। जहां पर भी एक पुलिस थाना है वहाँ एक पर्यावरण थाना होना चाहिए। आज देश में १५ करोड़ से अधिक बेरोज़गार है, पर्यावरण विभाग के जरिये कम-से-कम ५० लाख लोगों को सेवा करने का अवसर प्रदान किया जाना

चाहिए। संवेदनशील पर्यावरण-प्रेमियों की इस विभाग में नियुक्ति होनी चाहिए।

अपने जंगल को पहचानो, अपने परिवार को पहचानो

अपने एक निकट रिश्तेदार, जिन्हें हमने कभी देखा न हो, उनकी मृत्यु की खबर भी हमें उतना व्याकुल नहीं करती जितना कि हम अपने मोहल्ले के जाने-पहचाने व्यक्ति की दुर्घटना की खबर से विचलित हो जाते हैं। अपने जंगल से परिचय व उसके प्रति लगाव के बीच भी कुछ ऐसा ही संबंध है। 'मैं जंगल के बारे में नहीं जानता, अपने टंगिये की धार परखने के लिए यूं ही एक हाथ चलाता हूं, तीन-वर्षीय शिशु सागौन का पेड़ कत्ल हो जाता है। अपने जंगल से मेरी अपरिचितता के कारण ही ऐसा हुआ।' इस समझ के आधार पर आज से करीब सात वर्ष पहले यूनियन ने 'अपने जंगल को पहचानो' नाम से एक छोटा-सा कार्यक्रम शुरु किया और आज भी इसकी गतिविधियां जारी हैं। इसके तहत-

(क) अपने जंगल के उपयोगी वृक्षों को चुनकर रोपण किया गया। इन वृक्षों में बांस, सल्फी, महुआ, आम, जामुन, फरहर, शीशम, बेर, सागौन, नीम, कर्रा आदि शामिल थे।

(ख) कुछ ऐसे उपयोगी वृक्ष जो प्लांटेशन के तहत उगाये जाते हैं, जैसे काजू, चंदन व यूकिलिप्टस (नीलगिरी) की विभिन्न किस्में आदि का इस छोटे से जंगल में रोपण किया गया।

(ग) बांस की कटंगी, स्थानीय एवं विभिन्न प्रकार की अन्य किस्में भी लगायी गयीं।

(घ) 'फिर से जंगल को वापस करो' कार्यक्रम के तहत नींबू, रुख-अरहर (एक प्रकार का अरहर जिसका झाड़ तीन-चार साल तक टिकता है), करंज, करौंदा आदि को लगाया गया।

इसी प्रकार खम्हार, कदम्ब, बादाम, रेन ट्रीन, नारियल आदि का भी वहां रोपण किया गया। इन सात वर्षों में यह एक छोटे-से जंगल का रूप ले चुका है और यूनियन के सदस्य इसे 'अपना जंगल' कहकर गौरव अनुभव करते हैं।

परिणाम

१. इस प्रयोग से हम यूनियन कार्यालय के आसपास की फालतू ज़मीन का उपयोग कर पाये।

२. मजदूर साथियों में पेड़ लगाए के प्रति उत्साह पैदा हुआ और उन्होंने अपने-अपने घरों में पेड़ लगाना शुरु किया। जहां पहले हरियाली नजर नहीं आती थी, आज वह क्षेत्र मजदूरों के घरों में लगे लाखों पेड़ों से हरा-भरा हो चुका है।

३. हम सरकारी प्लांटेशन कार्यक्रमों के बारे में भी अपनी समझ को गहरा बना पाये हैं हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सरकारी योजना पर आधारित जंगल (प्लांटेशन) जहां लगाया जाता है, वहां साधारणतः ४० प्रतिशत पेड़ कामयाब होते हैं। शेख ६० प्रतिशत नष्ट हो जाते हैं। इस पर आम जनता की देख-रेख या हिस्सेदारी नहीं होती।

यदि आम जनता के सहयोग व हिस्सेदारी से प्लांटेशन कार्य हो तो उसका स्वरुप कुछ ऐसा होगा-

(क) बांस के झाड़	*१५ प्रतिशत*	*यह बांस स्थानीय निवासियों के मकान निर्माण आदि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होगा।*
(ख) स्थानीय वन उपज के पेड़	*३५ प्रतिशत*	*जैसे कि चार, महुआ, बेल, आंवला, केथ।*
(ग) अन्य उपयोगी वनस्पति	*२० प्रतिशत*	*रुख-अरहर, बादाम, काजू, चंदन, नींबू, नीम जामुन, आम आदि।*
(घ) सरकारी स्कीम के तहत अन्य पेड़	*३० प्रतिशत*	*जिन पेड़ों को वन विभाग प्लांटेशन के तहत लगाता है।*
कुल क्षेत्र	*१०० प्रतिशत*	

४. 'अपने जंगल को पहचानो' कार्यक्रम के तहत यूनियन ने जिन पेड़ों को उगाया, आज उनका एक बड़ा हिस्सा काफी विकसित हो चुका है। अब इन वृक्षों पर एक-एक तख्ती / बोर्ड लगाया गया है जिन पर पेड़ का स्थानीय नाम, हिंदी नाम, वैज्ञानिक नाम एवं किस परिवार से यह वृक्ष संबंधित है, इसकी जानकारी अंकित की गयी है। इससे इन पेड़ों का पूर्ण परिचय संभव हो जाता है। स्कूल के विद्यार्थी इन जानकारियों से अपनी वनस्पति विज्ञान की समझ पुख्ता बनाते हैं।

५. यूनियन की ओर से इन वृक्षों में से प्रत्येक के उपयोग की जानकारी व अन्य संबंधित विशिष्ट तथ्यों पर पुस्तिकाएं तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है।

इस प्रकार 'अपने जंगल को पहचानो' के तहत हम अपना दुनिया के सबसे विश्वस्त साथी के बारे में जानकारी इकट्ठा कर पाये हैं और उससे आम जनता का परिचय कराने में प्रयासरत

हैं, जिससे पर्यावरण की सुरक्षा की गारंटी हो सके। यह पूरा कार्यक्रम यूनियन अपने सीमित साधनों के आधार पर चला रहा है।

कुदरत ने हमें एक जल स्रोत दिया था!

दल्ली राजहरा के निवासी सदियों से दल्ली नाला व झरन नाला से अपनी आवश्यकताओं की निस्तारी करते रहे हैं। स्थानीय गोंड जाति के आदिवासी इन प्राकृतिक नालों से ही पानी की अपनी जरुरतों की पूर्ति करते थे। ये प्राकृतिक नाले किस कदर जनजीवन के आधार थे, यह इस तथ्य से जाहिर होता है कि कितने ही गांवों के नाम इन नालों के नाम पर से पड़े थे, जैसे - झरन टोला, अरमुरकसा (एर-मुर-कसा) यानी पानी किनारे छोटी झील।

दल्ली राजहरा के हज़ारों मज़दूर एवं आसपास के हज़ारों आदिवासी आज भी इन नालों के पानी का उपयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। मगर जब दल्ली माइनिंग प्लांट बना तो 'शोर-वाशरी' के कारण नाले का पानी प्रदूषित होने लगा। पानी के इस प्रदूषण को रोकने के लिए यूनियन की ओर से मांग रखी गयी। तनिक सुनवाई हुई, तनिक सुधार हुआ। अब इस नाले में रक्तिम लाल पानी की जगह संतरा रंग का पानी प्रवाहित होता है।

यूनियन की मांग के आधार पर दल्ली राजहरा के मजदूर क्षेत्र में पेयजल के लिए ८६ ट्यूबवेल डेढ़ वर्ष के अंतराल में लगाये गये। इसके साथ-साथ नजदीकी ग्रामीण इलाकों में भी ऐसे ट्यूबवेल लगने से साफ पेयजल की व्यवस्था कुछ हद तक हो पायी है।

वर्तमान समय में 'केडिया डिस्टलरी लिमिटेड' शराब कारखाने द्वारा शिवनाथ नदी के पानी को प्रदूषित करने के खिलाफ व्यापक जन आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया है जिसमें बड़ी संख्या में मजदूर, किसान, बुद्धिजीवी, पर्यावरण-प्रेमी शामिल हैं। इन सबकी सहायता से भविष्य का कार्यक्रम बनाया जा रहा है।

मजदूरों के वेतन में बढ़ोत्तरी बनाम ध्वनि प्रदूषण

पंद्रह वर्ष पूर्व जिन दिनों दल्ली राजहरा की दैनिक मज़दूरी तीन रुपये से अधिक नहीं होती थी, ध्वनि प्रदूषण सामाजिक जीवन को त्रस्त नहीं करता था। यूनियन के संघर्ष से मजदूरों का वेतन बढ़ता गया। आज यहां के मजदूर की न्यूनतम दैनिक मजदूरी ७० रुपये से अधिक है। इसी के साथ-साथ माइक्रोफोन की दुकानें, कुकुरमुत्तों की तरह पनपीं। हर गली-मुहल्ले में फिल्मी गानों के कैसेट लाउड स्पीकरों पर फुल वाल्यूम पर बजने लगे छठी हो या विवाह या फिर सत्यनारायण जी की कथा, किसी भी सामाजिक अनुष्ठान के लिए माइक्रोफोन का उपयोग एक परंपरा बन गयी। दुकानदारों ने मजदूरों को लुभाने के लिए लाउड स्पीकरों का बहुतायत से इस्तेमाल शुरु किया। ध्वनि प्रदूषण अपनी चरम सीमा पर था। यूनियन ने अपने मुहल्ला कमेटियों का निर्माण कर, अपने शहीद अस्पताल के स्वास्थ्यकर्मियों, मज़दूरों, साथियों की सहायता से, ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव के बारे में शिक्षित करने का कार्यक्रम हाथ में लिया है और लाउड स्पीकरों के उपयोग को कम करने का प्रयास शुरु किया है। दुकानदारों को भी यह समझाइश देने के प्रयास किये जा रहे हैं।

हम उनसे सुनेंगे, हम उनसे सीखेंगे

सदियों से कवि व लेखक, प्रकृति के वर्णन में रचनाएं रचते आये हैं। हमारे देश व अन्य देशों की कथाओं में ऐसे वर्णनों के अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं। ऐसी कृतियों की जानकारी रखना पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भावनात्मक बुनियादी को तैयार करना है।

आज देश-विदेश में वैज्ञानिक कई प्रकार के आंकड़ों का सहारा लेते हुए पर्यावरण की सुरक्षा पर गहरी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। अपनी ट्रेड यूनियन की मीटिंगों में इन वैज्ञानिक तथ्यों की चर्चा कर मजदूर पर्यावरण पर अपने तर्क को मजबूत बनाते हैं। फिर हम कुछ पर्यावरण प्रेमी आंदोलनों के बारे में विशेष जानकारी इकट्ठी करते हैं। प्रकृति के दुश्मनों ने [illegible] बांध बनाकर क्षेत्र के संतुलन को बिगाड़ने के लिए जी-जान लगा दी। हम पंडित सुंदरलाल बहुगुणा के विचारों व कार्यक्रमों को आत्मसात कर लेते हैं और उनके सहभागी बनते हैं 'चिपको आंदोलन' हमें पुलकित करता है और हम उसको एक क्रांतिकारी आंदोलन के रुप में मान्यता देते हैं। जब नर्मदा घाटी क्षेत्र में 'बांधनहीं बनेगा' आंदोलन शुरु होता है, हमारी यूनियन के सैकड़ों साथी घाटी में जाकर बाबा आमटे के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन का तन-मन से साथ देते हैं। केरल की 'सायलेंट वैली' आंदोलन में पर्यावरण प्रेमियों की सफलता हमें उमंग से भर देती है। अमेरिका की रेड इंडियन जनता का प्रकृति के प्रति प्रेम, प्रकृति और जन्मभूमि को एकाकार कर देखने की भावना के साथ हम भी घुल-मिल जाते हैं। हमारे यूनियन दफ्तर में इन सब पर चर्चा होती है। मजदूर साथी भाईचारा अपनाते हैं, पर्यावरण-प्रेमियों को अपने परिवार का सदस्य मानकर, उनकी आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाने की कोशिश करते हैं।

मज़दूर अब मजबूर न रहे, हमने उन्हें मज़बूत किया

पर्यावरण के मुद्दे पर यूनियन की जागरूकता को भिलाई इस्पात संयंत्र का मैनेजमेंट भी अनदेखा न कर सका।

शुरु में तो मैनेजमेंट के लोग बेपरवाह थे। खदान परिक्षेत्र में हमेशा धूल का गुबार छाया रहता था, खासतौर पर गर्मियों के मौसम में खदान की कच्ची सड़कों पर से ट्रक या डम्पर आदि के गुजरने से बहुत धूल उड़ती थी। मेडिकल जांच में मजदूरों में सिलिकोसिस बीमारी का होना पाया गया।

यूनियन ने इस पर विशेष तौर पर ध्यान दिया व मैनेजमेंट से कारगर कदम उठाने की मांग की। राजनांदगांव स्थित कपड़ा मिल में वहां की विशेष परिस्थितियों पर तो यूनियन ने लंबा आंदोलन भी चलाया।

अब दल्ली राजहरा की खदानों में, खदानों की सड़कों पर मैनेजमेंट द्वारा पानी का छिड़काव कर उड़ते धूल के गणों को रोकने के कदम उठाये जा रहे हैं। इसी प्रकार खदान क्षेत्र में हो रहे ध्वनि प्रदूषण के दुष्प्रभावों के खिलाफ भी कारगर कदम उठाये गये। ध्वनि प्रदूषण से पीड़ित मज़दूरों का ई.एन.टी. विभाग के ज़रिये नियमित इलाज यूनियन के प्रयासों पर ही किया गया।

इनको रोक पाना मुश्किल है पर असंभव नहीं

१. एक था राजा, वह अपने मंत्री के भ्रष्टाचार से परेशान था। राजा ने मंत्री को समुंदर किनारे ट्रांसफर कर दिया और सोचा कि अब वह भ्रष्टाचार नहीं कर पायेगा। मंत्री समुंदर के किनारे गया और उसने समुंदर की लहरों को गिनने का काम अपने हाथ में ले लिया। वहां से गुजरने वाली समुद्री जहाजों पर मंत्री जी ने अपने लहर गिनने के काम में रुकावट डालने के नाम पर जुर्माना ठोकना शुरु किया। मंत्री जी लहर गिन-गिन कर मालामाल होते गये। इस देश में लहर गिनने वाले अधिकारियों की कमी नहीं है। पर्यावरण-सुरक्षा की आड़ में भी लहरों की गिनती चल रही है। बड़े-बड़े उद्योगों, जैसे भिलाई इस्पात संयंत्र, ने अपने-अपने पर्यावरण विभाग बनाये। जिन अधिकारियों की किसी काम में दिलचस्पी नहीं होती उनका पर्यावरण विभाग में पुनर्वास किया जाता है।

२. कहीं तो पेड़-पौधों के रोपण के नाम पर ठेका दे दिया जाता है, झाड़ों की गिनती बढ़ा-चढ़ाकर बतायी जाती है, रुचि के अभाव में पेड़-पौधे दूसरे साल ही समाप्त हो जाता हैं, इस प्रकार के कार्यक्रमों का यूनियन विरोध करती आयी है।

सिम्पलेक्स इंजीनियरिंग, बीके इंजीनियरिंग आदि भिलाई के उद्योगपति पर्यावरण-सुरक्षा की आड़ लेकर वृक्षारोपण हेतु बाड़ लगा देते हैं और कुछ दिन पश्चात् इन सरकारी ज़मीनों पर अपना स्टाक यार्ड या डम्प यार्ड बना लेते हैं। समय के साथ-साथ एक दिन वहां का पर्यावरण संबंधी प्लेकार्ड (तख्ती) टूट जाता है और सरकारी ज़मीन उनकी अपनी ज़मीन कहलाने लगती है। यूनियन इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाती है।

३. तीन-चार वर्ष पहले भिलाई इस्पात संयंत्र का मैनेजमेंट दल्ली स्थित मयूरपानी पहाड़ी में परंपरागत पद्धति की मानवीकृत खदानों (मैन्यूअल माईस) को बंद कर मशीनीकृत माईस शुरु करने की फिराक में था और इसके लिए वह पर्यावरण सुरक्षा का तर्क भी देने लगा। यूनियन ने सवाल किया, "जहां टॉप सॉयल नहीं है, और हजारों वर्षों भी भी टॉप सॉयल नहीं बन पायेगी, वहां पर यह वृक्षारोपण किस प्रकार से कामयाब हो सकता है?" यूनियन के इस तर्क के सामने मैनेजमेंट को झुकना पड़ा। दानीटोला क्वार्जाइट खदान क्षेत्र में भी मैनेजमेंट द्वारा इस प्रकार का प्रयास किया गया था, जिसका यूनियन द्वारा विरोध किया गया था। राजनांदगांव जिले की चॉंदीडोंगरी माईस में भी वन विभाग ऐसी ही साजिश कर रहा है जिसका कि यूनियन विरोध करती आ रहीहै।

४. आजकल कहीं-कहीं तो पर्यावरण को हौवा बनाकर व पर्यावरण की सुरक्षा की आड़ लेकर उद्योग-विरोधी विचारधारा को बल दिया जा रहा है। यूनियन इस तरह की अमूर्त विचारधारा के खिलाफ आवाज़ उठा रही है।

हकीकत तो यह है कि हमें अपनी प्रकृति की रक्षा करनी होगी, अपने भूगोल की रक्षा करनी होगी। जंगल, पेड़, पौधे, पीने का साफ पानी, शुद्ध हवा, पशु-पक्षी और इंसान, सेवक मिलकर हमारी दुनिया हैं। हमें अपने संवेदनशील विचारों के आधार पर लचीले कार्यक्रम के आधार पर, प्रकृति के संतुलन और विज्ञान के संतुलन को बनाकर रखना होगा और यह जन चेतना के विकास के आधार पर किया जा सकेगा।

(छमुमो की लोक साहित्य परिषद के सौजन्य से)

शुरुआत की सुबह

'हमारा पर्यावरण' लेख के अंत में नियोगी द्वारा रचित यह कविता संभवतः उनकी अंतिम कविता है। - सं.

छोटी-छोटी बातें,
हज़ारों दुख गाथाएं।
समझने में सीधी और आसान,
कहीं सिर्फ एक या दो मामूली-सी पहचान।
धूल कण,
एक पेड़ का किरना,
कहीं से थोड़ा-सा रिसाव,
चूल्हे का ऊष्म धुआं।

हमारी आवाज़ शर्मिंदा होकर
छुप जाती है मशीनों के बाज़ार में।
सिर्फ वेदनाएं,
दुख की गाथाएं
चलती रहेंगी अनंत काल तक
या
हम उठ खड़े होंगे
अंतिम क्षणों में?
अंत नहीं होगा
जहां अंत होना था,
वहीं शुरुआत की सुबह खिल उठेगी।

जुलाई १९९१

राष्ट्रीय कृषि नीति के दिशाबोध पर्चे पर प्रतिक्रिया

राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने सुप्रसिद्ध किसान नेता श्री शरद जोशी की अध्यक्षता में गठित 'कृषि की स्थायी परामर्शदात्री समिति' को राष्ट्रीय कृषि नीति तैयार करने का काम सौंपा। जुलाई १६६० में इस समिति की ओर से शहीद नियोगी को कृषि नीति-संबंधी एक दिशाबोध पर्चा टिप्पणियों हेतु भेजा गया। समिति के संलग्न पत्र में कहा गया था, ''राष्ट्रीय कृषि नीति को देश की पूरी सामाजिक-आर्थिक संरचना के संदर्भ में कृषि की भूमिका को परिभाषित करना चाहिए एवं अपने दायरे को खाद्य सामग्री की आपूर्ति अथवा मात्र उत्पादन या उत्पादकता बढ़ाने के दायरे में सीमित नहीं कर लेना चाहिए।'' आगे इसी पत्र में समिति ने कहा, ''कृषि के मामले में अब तक जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में उनके (समिति के) नज़रिये को शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, प्रशासन, प्रतिरक्षा, उद्योगों के वितरण कानून और राजनैतिक संस्कृति के बारे में आज़ादी के उपरांत बने विकास के मॉडल को जोड़कर व्यापक बनाया जा सकता है, ताकि शहरी क्षेत्रों के प्रति पक्षपाती दृष्टिकोण पर ध्यान केन्द्रित हो सके।'' शहीद नियोगी ने समिति के दिशाबोध पर्चे पर उसी माह विस्तृत टिप्पणी भेजी। इस पत्रनुमा टिप्पणी को हम निबंधों के इस खंड में शामिल कर रहे हैं। इसे इसी खंड के 'वैकल्पिक औद्योगिक नीति' शीर्षक के लेख से जोड़कर देखना उपयोगी होगा। -स.

राष्ट्रीय निर्माण के लिए तमाम देशभक्त व जनवादी ताकतों के आपस में जुड़ने का यह उम्दा मौका है। एक ताजा और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण अपनाने के लिए हमारी बधाई जरुर स्वीकारें। पर्चे में साधारणतः भारत के कृषि क्षेत्र की वास्तविकता और भूमिका को काफी सटीक तरीके से पेश किया गया है। पर हम इस चर्चा में योगदान देने की दृष्टि से आपका ध्यान उन बुनियादी बातों की ओर दिलाना चाहेंगे जो पूर्णतः छूट गयी हैं एवं कुछ अन्य बातों को भी रेखांकित करना चाहेंगे। ये बिंदु इस प्रकार हैं -

१. आम भारतीय की क्रय-शक्ति को बढ़ाने के लिए शंखनाद की जरुरत है

साठ करोड़ नंगे-भूखे लोग, जिनकी क्रय-शक्ति शून्य है, हमारे देश की कठोर वास्तविकता है। यदि वे पिछड़े रह जायेंगे तो देश पिछड़ेगा, और यदि वे आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा।

लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश के नेतृत्व ने कभी भी इस नग्न सच्चाई से आंखे मिलाने तक का साहस नहीं किया है और समाधान के लिए अपनी खुर्दबीनें विश्व बैंक मुख्यालय के कम्प्यूटर - बोर्डों पर टिकाये रखी हैं।

कल्पना कीजिए ! जब इन साठ करोड़ लोगों के पास तेल, कपड़ा, कम्बल, घर, रेडियो, साइकिल, चीनी, साबुन इत्यादि खरीदने के लिए पैसा होगा, तब क्या इससे बाजार का विस्फोटक फैलाव नहीं होगा, खासकर कृषि आधारित बाजार का?

कल्पना कीजिए कि ये साठ करोड़ लोग अपने अस्तित्व की चिंता से मुक्त होकर 'नव-निर्माण' और 'ज्यादा उत्पादन' में जुटे हुए हों, तो क्या उत्पादक शक्तियों का विस्फोटक विकास नहीं होगा?.

हमारा सुझाव है कि आम भारतीय की क्रय-शक्ति को बढ़ाना कृषि और संबंधित नीतियों के निरुपण का केन्द्र बिंदु बन जाना चाहिए।

२. धान उपजाने वाले इलाकों के लिए नीति

(क) हरित क्रांति : एक अधूरा सपना - वैज्ञानिक व तकनीकी विकास के क्षेत्र में भारत ने औपनिवेशिक काल से लेकर अब तक काफी लंबा सफर तय किया है। लेकिन इतनी प्रगति के बावजूद हम कुल कृषि-योग्य भूमि के महज १०-१२ प्रतिशत में सिंचाई मुहय्या करा पाये हैं, जिसके सिर्फ आधे भाग में ही धान पैदा किया जाता है, जो अधिकांश भारतीय जनता का मुख्य भोजन है। इस प्रकार धान की पैदावार वाली भूमि का महज ५-६ प्रतिशत हिस्सा ही हरित क्रांति से लाभान्वित हुआ है।

हरित क्रांति, कृषि विकास का मॉडल है और विदर्भ, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना और उड़ीसा के पश्चिमी भागों में इसकी तर्ज पर सिंचाई की सुविधाओं की मांग बड़े ज़ोर-शोर से की जाती रही है। लेकिन हमारे वर्तमान संसाधनों को देखते हुए इन इलाकों में पंजाब व हरियाणा जैसी सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराना संभव नहीं है। इस तरह देश के इन विशाल अंचलों के लिए 'हरित क्रांति' एक अधूरे सपने की तरह है।

(ख) डॉ. रिछारिया का चिंतन सफल विकल्प है- प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक डॉ. रिछारिया ने यह स्थापित किया है कि भारत के पास चावल की २,५०० से भी ज्यादा किस्मों का विपुल

भंडार है जिनमें से कुछ असिंचित इलाकों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है।

उनके शोध को राष्ट्रीय कृषि नीति में शामिल करके हम उपर्युक्त असिंचित धान- उत्पादक इलाकों की समस्या का तत्काल समाधान कर सकते हैं। इससे उत्पादकता के साथ-साथ क्रय-शक्ति में भी बढ़ोत्तरी होगी।

३. वन-क्षेत्रों एवं आदिवासी अंचलों के लिए कृषि नीति

(क) कृषि - वन क्षेत्रों में, जहां ज्यादातर आदिवासी आबादी रहती है, आम तौर पर मोटे अनाज की पैदावार होती है, मसलन, कोदो, कुटकी और ज्वार। लेकिन जहां आदिवासी रहते हैं वहां की भूमि बहुत उपजाऊ है और मकई, सरसों और अन्य तिलहन जैसी नयी फसलों की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। ये नकदी फसलों का काम करेंगी और इस तरह आदिवासियों की क्रय-शक्ति बढ़ सकेगी। तौल में हेराफेरी करके और सरकार द्वारा निर्धारित कीमत से कम कीमत देकर आदिवासियों को धोखा देने वाले बिचौलियों को इन इलाकों से निर्वासित कर देना चाहिए। इसके बदले राष्ट्रीय कृषि नीति को एक विकेंद्रित अधो-संरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) का निर्माण करना चाहिए।

(ख) वनोपज - वनवासियों की आर्थिक गतिविधि कृषि उपज एवं वनोपज के ताने-बाने पर आधारित एक विकसित व्यवस्था है। लेकिन आज इन विशाल इलाकों की परंपरागत आर्थिक गतिविधि बिचौलियों के शोषण का शिकार बन चुकी है और हमारे आर्थिक नेतृत्व की उपेक्षा की वजह से बदहाल है।

राष्ट्रीय कृषि नीति के तहत इन वनोपजों को कृषि उपज का दर्जा दिया जाना चाहिए और इस बात की व्यवस्था की जानी चाहिए कि इन उत्पादों पर स्थानीय आबादी का स्वामित्व हो और उसे लेन-देन की बेहतर शर्तें उपलब्ध हों। इसे 'संग्रहण गतिविधि' से 'उत्पादन गतिविधि' में रुपांतरित किया जाना चाहिए।

४. छत्तीसगढ़ के लिए मॉडल

छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा और उसके सहयोगी स्वयंसेवी संगठनों का नज़रिया आपके पर्चे में दिये गये सुझावों के काफी समान है। इस मौके पर हम आपको १४ साल के अपने अध्ययन व काम के अनुभवों से परिचित कराना चाहेंगे।

(क) जल प्रबंध - छत्तीसगढ़ के १४,००० गांवों में उपलब्ध २,००० उपयुक्त स्थानों पर छोटे-छोटे बांध और छोटी-छोटी उद्वहन (लिफ्ट) सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण किया जाना चाहिए। ऐसी परियोजनाओं के ज़रिये १०० करोड़ रुपये की लागत से ६ लाख एकड़ कृषि - योग्य भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करायी जा सकती है। २ से ४ साल की छोटी अवधि में ही तैयार हो जाने के कारण ये परियोजनाएं आर्थिक रुप से काफी कारगर बन जाती है। इस बात का छमुमो के तहत स्वयंसेवी संगठनों द्वारा निर्मित 'कुसुमकसा लघु सिंचाई परियोजना' व कुछ अन्य परियोजनाओं की सफलता ने पर्याप्त सबूत दे दिया है।

(ख) ग्रामीण रोज़गार - ग्रामीण क्षेत्र से पूंजी को बाहर जाने से रोकने और साथ-साथ ग्रामीण आबादी के लिए रोज़गार पैदा करने के लिए ब्लाक-स्तर पर कपड़ा, साबुन, लोहे और औज़ार, जूते आदि उपभोक्ता सामग्री की उत्पादक इकाइयां स्थापित की जानी चाहिए। उन्नत किस्म की परंपरागत दक्षताओं का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

परंपरागत दस्तकारों की निपुणताओं को बढ़ावा देकर न सिर्फ उपभोक्ताओं सामग्रियों की स्थानीय जरुरत को पूरा किया जा सकता है, बल्कि प्रशिक्षण व विविधीकरण (डायवर्सीफिकेशन) के बाद शहरी क्षेत्रों और विदेशों तक से बड़े पैमाने पर वित्त हासिल किया जा सकेगा। इन गतिविधियों में भाग लेने से स्थानीय व्यापारियों को भी फायदा होगा। आज उपभोक्ता सामग्री के उत्पादन क्षेत्र पर हिंदुस्तान लीवर व बाटा जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों और टाटा, बिड़ला, अम्बानी जैसे बड़े घरानों का एकाधिपत्य है।

एक प्रारंभिक अध्ययन के मुताबिक छत्तीसगढ़ से बाहर को होने वाले ५०० करोड़ रुपये के सालाना बहाव (प्रति ब्लाक औसतन ३ या ४ करोड़ रुपये के हिसाब से) को रोका जा सकता है। अगर यह पूंजी बाहर न जाये तो इलाके की उत्पादन शक्ति में जबर्दस्त वृद्धि होगी।

(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली - 'जय जवान, जय किसान' नारे के तहत सभी ग्रामीण/कृषि सैनिकों, पुरुषों व महिलाओं को मोटे कपड़े के दो जोड़ी वस्त्र हर साल मुफ्त या न्यूनतम दर पर दिये जाने चाहिए। पर्याप्त मात्रा में चावल २ रुपये प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इस मकसद की पूर्ति के लिए एक नयी सार्वजनिक वितरण प्रणाली विकसित की जाए, जो पिछले पैराग्राफ में सुझायी गयी ब्लाक-स्तरीय उत्पादन इकाइयों के साथ संबद्ध हो।

(घ) आबादी का गैर-खेतिहर क्षेत्रों की ओर विस्थापन - आपके पर्चे में कृषि - आश्रित आबादी के अनुपात को ७० से ५० फीसदी तक घटाने के लक्ष्य को रेखांकित किया गया है। लेकिन छत्तीसगढ़ में हमें उल्टी प्रक्रिया देखने को मिलती है।

इस इलाके में कोयला, लोहा, चूना-पत्थर, डोलोमाइट,

यूरेनियम आदि खनिजों के विशाल भंडार है। साथ ही, एक विकसित मैन्युअल (मानवीकृत) खदान उद्योग भी है। लेकिन हमारे 'दूरदर्शी' नेता भारी लागत के मशीनीकरण से इसे बरबाद कर रहे हैं और पिछले १५ सालों में २७ हजार मज़दूरों को खदानों से खेती की ओर लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इनमें बैलाडीला लौह अयस्क खदानों के १० हज़ार मज़दूर, राजहरा लौह अयस्क खदानों के ५ हजार मज़दूर, चिरिमिरी के १० हज़ार कोयला खनिज और हिर्री डोलोमाइट खदान के १ हज़ार मज़दूर शामिल है।

राष्ट्रीय कृषि नीति के तहत संकीर्ण निहित स्वार्थों के ऐसे 'नीति-विरोधी' कदमों पर रोक लगायी जानी चाहिए और गैर-खेतिहर क्षेत्रों की ओर बढ़ने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए छत्तीसगढ़ में मैन्युअल खदानों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके पक्ष में एक दूसरी बात यह है कि इसमें कम पूंजी निवेश की जरुरत होती है।

५. नव-औपनिवेशिकता के खिलाफ लड़ाई का समर्थन

हम मानते है कि आपका काम काफी कठिन है और संकीर्ण निहित स्वार्थ और 'गहरे' बहुराष्ट्रीय स्वार्थ ऐसे प्रयास में बाधा डालने की हर संभव कोशिश करेंगे। आपने सही मौके पर सटीक ढंग से याद किया है कि 'महात्मा गांधी अपनी आर्थिक मान्यताओं के लिए अपने राजनैतिक उत्तराधिकारियों तक से लड़ने को संकल्पशील थे' और गांधीजी के स्वतंत्रता स्वदेशी और स्वावलंबन' के जनप्रिय नारे के तहत राष्ट्रीय उत्थान के लिए नव-औपनिवेशिक तौर-तरीकों के खिलाफ लड़ाई का बिगुल बजाया है। हम छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से आपके साथ है और हमें पूरा विश्वास है कि तमाम देशभक्त लोग इस महान दायित्व को उठाने के लिए आगे आयेंगे।

(मूल अंग्रेजी से ध्रुव नारायण द्वारा अनुदित)

जीवन की मृत्यु पर विजय

सन् १९८९-९० के दौरान नियोगी इस कोशिश में लगे रहे कि छत्तीसगढ़ में मज़दूरों, आदिवासियों एवं अन्य सभी शोषित तबकों के बीच कार्यरत लोग व विभिन्न संगठन एक मंच पर आयें और मिलकर एक वैकल्पिक राजनीति की नींव रखें। इसी प्रयास के फलस्वरुप १७-१८ अगस्त १९९० को रायपुर में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ के दूरदराज क्षेत्रों में कार्यरत अनेक संगठनों के कार्यकर्ता पहली बार एक मंच पर आये। इस सम्मेलन में नियोगी द्वारा दिया गया निम्नलिखित भाषण सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया व उसमें कार्यकर्ताओं की भूमिका के बारे में उनका चिंतन, उनकी विशेष प्रेरणाशील शैली में प्रस्तुत करता है। मूल भाषण के कई अंश छत्तीसगढ़ी में थे; उनमें से कुछ का यहां हिंदी में रुपांतरण कर दिया गया है, शेष अभी भी छत्तीसगढ़ी में हैं। यहां केवल उसके दो अंश प्रस्तुत किये जा रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ के सवाल से जुड़े हुए हैं। - स.

ज़मीन का सवाल

साथियों, इन बातों पर चर्चा करते समय, इन भ्रांतियों के बारे में विचार करने के बाद अब हमें उन मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए, जिसके कारण छत्तीसगढ़ की जनता कष्ट भोग रही है। जिन विचारों के ज़रिये फिर से भ्रांतियां फैलायी जा रही हैं, उन पर स्पष्ट चर्चा होनी चाहिए। आपके सामने ज़मीन का सवाल भी आया है। आज इस इलाके में ज़मीन के बारे में बातचीत करूं। राजनांदगांव का जो संसद सदस्य है, पूरे दुर्ग शहर की सभी ज़मीन उसके कब्जे में है। दुर्ग के कलेक्टर साहब उस दिन मुझे बता रहे थे कि एक दिन श्री धर्मपाल गुप्ता ने उन्हें बताया कि जो कलेक्ट्रेट है, कलेक्टर महोदय का जो बंगला है, वह भी उनके पूर्वजों की ज़मीन पर है। तो मैंने उनको कहा, 'भैया, तुम सरकार के ऊपर लगान-ठगान लगाओ, किरायेदार हो, लगान दो।' ऐसी कोई ज़मीन बाकी नहीं है जो धर्मपाल गुप्ता के पास नहीं है, जो भाजपा के बहुत बड़े नेता हैं। उसके पहले कोई दूसरी पार्टी में थे। दल-बदल करके वे अभी इस पार्टी में हैं। सारे दुर्ग की ज़मीन उनके कब्जे में है। हमारे जूदेव साहब हैं, राजा महाराजा जी, उनके पास कितनी ज़मीन है। आप लोग जो उनके इलाके (जिला रायगढ़) से आये हैं, अच्छी तरह से बता सकते हैं, हज़ारों एकड़ ज़मीन उनके पास में है। और कुछ मठ हैं, जैसे नादिया का मठ। ऐसे बहुत से मठ हैं, वानखेड़ा का मठ है, भद्राचलम् का मठ है और इन मठों के नाम से बहुत सारी ज़मीन है। मैंने सुना है कि सीलिंग एक्ट से बचने के लिए कहीं-कहीं पर कुत्तों और बिल्लियों के नाम से भी ज़मीन है। जो बच्चा पैदा भी नहीं हुआ, उसके नाम से भी ज़मीन है। तो ज़मीन की हालत इतनी खतरनाक है।

देश के अंदर जो अच्छी ज़मीन है और विशेष रुप से शहर के किनारे ज़मीन है। दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, बिलासपुर, किसी भी आसपास के शहर में देखेंगे कि आजकल वहां पर एग्रीकल्चर फार्म हैं। वहां पर देखेंगे कि कहीं पर गन्ना लगा हुआ, कहीं कुछ लगा हुआ है। हर प्रकार की फसल वहां पर हो रही है। उनके सामने फलों की छोटी-मोटी दुकानें भी आपको मिल जायेंगी। तो यह फार्म हाउस की बात है। हमारे यहां के सबसे बड़े नेता रायपुर शहर के विद्याचरण जी शुक्ल, उनका फार्म हाउस अगर आप देखेंगे तो आपका दिल और दिमाग बिल्कुल खुश हो जायेगा कि ऐसा भी कोई मुकाम है। इस फार्म हाउस का चक्कर भी बहुत बड़ी बात है। इन बड़ी-बड़ी ज़मीनों के मालिकों ने कभी नांगर (हल) की मुठिया नहीं पकड़ी, वे जानते नहीं है, उनमें कोई भी नहीं जानता। और फिर रायपुर शहर में ऐसे कई मोहल्ले हैं, जहां रहने वालों की ज़मीन बेमेतरा में है, कवर्धा में है, राजनांदगांव में है, फलाना जगह में है और सब रहते हैं रायपुर शहर में एक विशेष पारा के अंदर। छत्तीसगढ़ के कोने-कोने में जो [illegible] हैं, वे सब शहरों में रहकर कैसे गांवों से कमाई कर रहे हैं, यह भी आप लोगों को कुछ-न-कुछ खबर रखना है। यह जो ज़मीन का सवाल है, जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव जाकर उठाया है। परंतु एक बात का उन्होंने आज तक ख्याल नहीं किया। इस ज़मीन से, इन ज़मीन पुत्रों की, धरती पुत्रों की भी एक आवाज़ उठी है। एक नारा पैदा हुआ है।

"छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ियों का, नहीं किसी के बाप का।

अब ये छत्तीसगढ़िया कौन हैं, भैया? एक हमर जूदेव साहब राजा-महाराजा है। औ धर्मपाल गुप्ता जी, [illegible] अढ़ाई-तीन हज़ार एकड़ ज़मीन है- इही मन छत्तीसगढ़िया हैं। [illegible] ये छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़िया के मतलब का होथे। [illegible] छत्तीसगढ़िया औ छत्तीसगढ़ी मो हे- ये दोनों के अंदर [illegible] करो! जैसे हमर संगवारी हा बताईस, [illegible] हमर मजदूर परिवार है, एक जात है। हमन ला ये बात जात के रूप में, बिरादरी के रूप मा बोलना चाहिए। जात ही नहीं, गोत (गोत्र) भी एक है। दो गोत हैं दुनिया के अंदर हैं - एक है बघवा (बाघ) गोतियार और एक है आदमी गोतियार। लहू पिवैया मन के जात है बघवा गोतियार और जे मन मेहनत करके खाये, मजदूर

मन जो मन आदमी गोतियार, मनखे गोतियार। यहां पर हम सभी एक जाति के, एक गोत्र के लोग बैठे हैं। हमारे बीच में फूट डालने के लिए, भेद करने के लिए उन्होंने इस तरह का नारा उछाला है। हम भी एक नारा देते हैं, हम अपना नारा बाद में बतायेंगे।

छत्तीसगढ़ का प्रश्न

दो मुद्दे आपके सामने हैं। एक है, ज़मीन का सवाल और दूसरा मुद्दा आपके सामने है मशीनीकरण का सवाल। अब ये ज़मीन और मशीनीकरण, इन दो बातों पर तथा औद्योगिक नीति के बारे में आपके दिमाग में सफाई होनी चाहिए। आपके दिमाग में कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिए- जो राजनीति, ज़मीन से धरती पुत्रों की राजनीति, ज़मीन से जुड़ी धरती पुत्रों की बात- उसके बारे में कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिए। 'छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ियों का', इस बात से आपको घृणा करनी चाहिए। और दूसरी जो है सिर्फ अर्थवाद - सिर्फ आर्थिक मुद्दों पर ट्रेड यूनियन की बात को ले जाना, इससे भी आपको घृणा करनी चाहिए। ये राजनीति की दो बातें है। सी.पी.एम., सी.पी.आई. के लोग, जो मज़दूर बेल्ट के अंदर काम कर रहे हैं, लगातार इन बातों को लेकर चल रहे हैं और कांग्रेस और भाजपा उनके साथ में है। और दूसरी जो नयी किस्म की शक्ति है, जो जनता के अंदर भेदभाव करने के लिए, एकता को तोड़ने के लिए, जनता की आवाज़ को खत्म करने के लिए, नाश करने के लिए, उन्होंने फूट की राजनीति के बीज बोये हैं।जो फूट की राजनीति बोता है, उनकी बात से भी आपको घृणा करनी चाहिए।फिर नयी बात क्या है? घृणा तो करेंगे भई। फिर विकल्प क्या है? हम सब कहेंगे एक आवाज़ से- 'लुटेरों की जागीर नहीं, छत्तीसगढ़ हमारा है।' लुटेरों की जागीर नहीं, शोषकों की जागीर नहीं, छत्तीसगढ़ किसका है? हमारा है। हमारा है छत्तीसगढ़। मज़दूरों का, किसानों का, मेहनतकशों का, ईमानदारों का, देशप्रेमियों का और बाकी लोगों का- पर तुम्हारा नहीं है। बताओ जी, तुम्हारी बहुत ज़मीन है, तुम कहां के छत्तीसगढ़िया हो, तुम तो खून पिवैया हो- मनखे के लहू पिवैयां, तुम नहीं हो छत्तीसगढ़िया लोग। मेहनतकश, देशप्रेमी किसी का खून नहीं पीता। तो तुम्हारा छत्तीसगढ़ जब है, तो हमारा नहीं है। और हमारा छत्तीसगढ़ जब है, तो तुम्हारा नहीं है। दोनों के बीच बहुत बड़ी और स्पष्ट भेद की रेखा है, जो एक दूसरे की अलग पहचान करती है। इसलिए उनका नारा जो एकता को तोड़ने वाला नारा है, उसको हम नहीं लते। हम नये छत्तीसगढ़ की बात करते हैं- 'लुटेरों की जागीर नहीं, छत्तीसगढ़ हमारा है', यह नारा लगाते हैं। ठीक है कि गलत है? यही नारा हमें लगाना है। और सिर्फ आर्थिक मांग ही नहीं, तकनीक की बात भी करो।

भिलाई के मज़दूर साथी आये हैं। मेरे सामने की बात है, जब मैं भिलाई में नौकरी करता था, जब मैं भिलाई में एक मज़दूर था। उस समय सिम्पलेक्स कंपनी के पास में सिर्फ दो लेथ मशीनें थीं। उसके बाद मैं देखता हूं, आज सिम्पलेक्स के पास इतनी पूंजी है, इतनी अधिक पूंजी है, अरबों रुपयों की पूंजी। वह चीन के साथ मिलकर, बैलाडीला के पास एक स्पंज आयरन का कारखाना बनाने वाला है, जिसमें एक सौ पचास करोड़ रुपये से भी ज्यादा पैसा लगाने वाला है। आज से तीन साल पहले जिसके पास सिर्फ दो लेथ मशीनें थीं, आज उसके पास एक लोहा कारखाना, इस्पात कारखाना लगाने की ताकत आ गयी है। भिलाई में कारखाना है, फलाना जगह में कारखाना है, अहमदाबाद में कारखाना है। दूसरी तरफ बीके कंपनी आपके सामने है। चंडीगढ़ में बिल्डिंग का ठेका- बीके कंपनी, बंगलौर में बिल्डिंग का ठेका- बीके कंपनी, भोपाल में बिल्डिंग का ठेका- बीके कंपनी। बोकारो, दुर्गापुर, राउरकेला में बिल्डिंग का ठेका- बीके कंपनी। देश के अंदर दो बड़े बिल्डिंग ठेकेदार है। एक है- एशियाड बनाने वाले- जय प्रकाश। और दूसरे हैं- ये आपके बीके कंपनी- बख्तयार सिंह। और क्या थे ये, आप मज़दूर साथी नहीं जानते, आपमें से बहुत से लोग तो शायद उस समय पैदा भी नहीं हुए थे। परंतु हम जानते हैं, उनके पास में कुछ नहीं था। इन्होंने सेक्टर-४ में जब ठेका लिया, उस समय उनके पास में कुछ भी नहीं था। पेटी ठेकेदारी से उनका काम शुरु हुआ। पेटी ठेकेदार आज देश के सबसे बड़े ठेकेदार हो गये....आप बताईये कितना पैसा कमाया, इन भिलाई के लोगों ने? तो ये जो दो वर्ग हैं, यहां पर दोनों जगहों में - ज़मीन के सवाल पर, उद्योग के सवाल पर, उद्योगपतियों के सवाल पर- अगर हमारी बात स्पष्ट हो जाए, तो गलत विचारधारा से, भ्रांतियों से, मरणशील तत्वों के विचार से हम मुक्त हो जायेंगे। तब जीवनशील तत्व हावी होगा, शहीदों की विचारधारा आगे बढ़ेगी, मुक्ति का रास्ता मजबूत होगा। तो, ये जो दो मुद्दे हैं, इन दो मुद्दों की राजनीति को समझने के बाद अपना कार्यक्रम हमें बनाना होगा।

आजादी का असली मतलब क्या है ?

> ***इस पत्र की निश्चित तारीख हम खोज नहीं सके हैं, परंतु अनुमान है कि यह सन् 1988-89 के दौरान कभी लिखा गया होगा। यही वह समय था जब शहीद नियोगी दल्ली राजहरा की व्यवस्तताओं के बावजूद एक बार फिर राष्ट्रव्यापी प्रक्रिया की पहलकदमी में लगे हुए थे। यह पत्र मध्यप्रदेश और देश भर के कई संगठनों व अन्य प्रगतिशील व्यक्तियों को संबोधित है।***

दल्ली राजहरा
जिला दुर्ग, म.प्र.

प्रिय साथियों,

चालीस वर्ष पहले जब देश 'आजाद' हुआ, तो लोगों के मन में एक सपना जागा था। आम जनता को आशा थी कि आजादी के साथ उन्हें आर्थिक आजादी मिलेगी, न्याय मिलेगा। सोचा था कि उत्पादन का फल सबको मिलेगा। तभी तो राजनैतिक आजादी का कोई मतलब है।

लेकिन आज, चालीस साल बाद कड़वे यथार्थ ने उस स्वप्न को धूमिल कर दिया। अंग्रेजी राज खत्म हुआ तो आया कांग्रेसी राज। बीच के कुछ वर्षों को छोड़कर कांग्रेस राज ही चला है। इस दौरान कांग्रेस सरकार के पास पूरा मौका था कि वह आजादी के समय के अपने लक्ष्य लागू कर सके। मगर सच्चाई यह है कि आज देश में 10 करोड़ बेरोजगार हैं, 50 करोड़ सूखे या बाढ़ पीड़ित 50 लाख बंधुआ मजदूर हैं। परम्परागत उद्योग खत्म हो रहे हैं और जो तकनालाजी आयात की जा रही है वह जनता के हित में नहीं है, क्योंकि उसने आम जनता की हालत नहीं सुधरती। पिछले दशक से जो कारखाना लग रहे हैं वे विदेशी पूंजी को जोड़ने के अलावा और कुछ नहीं हैं। साधारण दवा से लेकर आधुनिकतम कम्प्यूटरों तक का उत्पादन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथ में है।

हमारे विश्वविद्यालयों से बेहतरीन छात्र विदेश जा रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखते हैं कि हजारों लोग कुपोषण के शिकार हो रहे हैं व अन्य हजारों खूनी पेचिश व मलेरिया के। लेकिन जनता को, पूरे भोजन की बात तो दूर, पीने के साफ पानी के लिए भी लगता है 21 वीं सदी का इंतजार करना पड़ेगा।

इस स्थिति में शहरी मध्यम वर्ग 'बोफोर्स' व 'फेयरफैक्स' कांड व उच्च स्तर पर हो रहे भ्रष्टाचार जैसे मामलों को लेकर उत्तेजित है।

लेकिन अधिकांश जनता तो गांव में रहती है। वह इन बड़े-बड़े मुद्दों में व अपनी रोजमर्रा की समस्या में कोई संबंध नहीं देखती। अपनी रोजाना जिंदगी में उसे हर कदम पर बिचौलिए को घूस देनी पड़ती है। चाहे वह सिंचाई के लिए हो या बिजली के लिए, रोजगार के लिए या बच्चों की शिक्षा के लिए। जब जीवन के हर क्षेत्र में इतना भ्रष्टाचार व्याप्त है, तो कुछ लोगों को लगता है कि शायद यही बुनियादी समस्या है और बोफोर्स घोटाले का विरोध उन्हें स्थानीय भ्रष्टाचार का विरोध लगता है। **यही भटकाव वी.पी. लहर के रुप में उभरा है, और जिस तरह रथयात्रा व सती स्थल पर भीड़ जुटती है, उसी तरह इन सभाओं में भी भीड़ आती है।**

इस देश में यह लहर की राजनीति कब तक चलती रहेगी और कब तक लोग इन आती जाती लहरों की ओर खिंचते रहेंगे ? इस भटकाव में आजादी के कितने बुनियादी सवाल मुखर नहीं है? यह सवाल किसी ने नहीं किया कि गांधी जिस 'आजादी' के अगुवा थे, उन्होंने उसी आजादी के उत्सव में हिस्सा लेने से इंकार क्यों किया? कोई यह नहीं पूछता कि सन् 1947 में उस 'आजादी' को "झूठी आजादी" कहने वाली कम्युनिस्ट पार्टी ने पांच साल बाद अपनी समझ क्यों बदल ली ? या वही रणदिवे जिन्होंने ऐतिहासिक तेलंगाना आंदोलन के बाद अपना मुखौटा उतारने का वादा किया था, उन्होंने फिर वही मुखौटा क्यों लगा लिया ? वही कांग्रेसी जो शुरु में भगत सिंह को रुसी एजेंट कहकर बदनाम करते थे, या वही कम्युनिस्ट जो सुभाषचंद्र बोस को देशद्रोही ठहराते थे, क्यों बाद में उन्हें महान देशभक्त के रुप में सम्मानित करते हैं ? यह सवाल कोई क्यों नहीं करता कि जो सरकार गांधी के नाम पर शपथ लेकर शराबबंदी की बात करती है, वहीं शराब ठेकेदारों को उदारता से लाईसेंस देकर शराब को गांव-गांव क्यों पहुंचाती है ? या जो सरकार नेल्सन मंडेला के अवैध कारावास का विरोध करती है व उनकी बिना शर्त रिहाई की मांग करती है, वहीं क्यों अपने देश में महिलाओं, मजदूरों व किसानों के शोषण के खिलाफ आवाज उठाने वालों को दमनकारी ताकत व वैधानिक शक्ति दोनों से दबाती है ?

अब समय आ गया है कि बुनियादी सवाल पूछे जायें।

क्या वर्तमान अर्थनीति देश की जनता के हित में है ? कौन सी नीति आम व्यक्ति को आर्थिक आजादी की ओर ले जा सकती है?

आजादी के समय एक आशा बंधी थी और आजादी का शुरुआती लक्ष्य भी था कि हमारा समाज, आत्मनिर्भर व स्वतंत्र व्यक्तियों का खुशहाल समाज हो। पर दूसरी ओर अभी तक सरकार कौन सी नीति पर चल रही है ? वह नीति जो विश्व बैंक ने तीसरी दुनिया के देशों के लिए तय की है व पहले देश में पूंजी का संचय हो, यानी पूंजीपति के पास और अधिक पूंजी बने, तो बाकी

मेहनतकश व बेरोजगार जनता तक भी उस संचय हो, यानी पूंजीपति के पास औरअधिक पूंजी बने तो बाकी मेहनतकश व बेरोजगार जनता तक भी उस संचय की कुछ बूंदे पहुंच जायेंगी। कुछ लोगों का बहुत विकास हो जाये तो बाकी लोगों को भी उस विकास का थोड़ा-थोड़ा हिस्सा मिल जायेगा। क्या इस तरह अधिकांश जनता के आश्रित व निर्भर रहते हुए देश आत्मनिर्भर हो सकता है ?

हमें यह सोचना है कि इन दो परस्पर विरोधी तरीकों में से किस तरीके से लोगों को आर्थिक आजादी मिल सकती है ?

इस देश में पिछले चालीस वर्षों में हमने कई लहरों को देखा है।

आजादी लहर गयी, तो नेहरु लहर आयी, गरीबी हटाओ लहर के बाद जनता लहर, इंदिरा लहर, राजीव लहर और अब हम देख रहे हैं वी.पी. लहर। लेकिन आम जनता की हालत में इससे भी कोई विशेष अंतर आने वाला नहीं है बल्कि हमें जो बुनियादी सवाल पूछने हैं, वे हैं कि आजादी का असली मतलब क्या है ? जब तक देश के लोग अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते, तब तक देश आत्मनिर्भर कैसे बन सकता है ? देश को सही रुप में आत्मनिर्भर व आजाद बनाने के लिए क्या करना होगा ?

इतिहास के इस निर्णायक मोड़ पर मैं नीचे लिखे सवालों के आधार पर साथियों से विकल्प खोजने की अपेक्षा करता हूं -

1. औद्योगिक विकास का स्वरुप क्या हो ? किस हद तक तकनालाजी व मशीनीकरण द्वारा जनता की बुनियादी समस्याओं का हल किया जा सकता है ? कपड़ा, इस्पात, रेल्वे, पटसन आदि उद्योगों के लिए कैसी विशेष नीतियों की जरुरत है ?

2. किस तरह से कृषि योग्य भूमि के कम-से-कम 50 प्रतिशत हिस्से पर सिंचाई उपलब्ध करायी जा सकती है। कृषि उपज का मूल्य निर्धारण किस तरह से हो ?

3. किस तरह से देश की विभिन्न उप-राष्ट्रीयताएं अपनी आन और पहचान को सुरक्षित रख सकती हैं और किस तरह उनके बीच एकता बनायी जा सकती है ?

4. हमारी स्वास्थ्य नीति क्या होनी चाहिए ?

5. हमारी पर्यावरण नीति क्या होनी चाहिए ?

6. हमारी शिक्षा नीति क्या होनी चाहिए ?

7. आयात-निर्यात के बारे में हमारी नीति क्या होनी चाहिए ? और पड़ोसी देशों से संबंधों के विषय में क्या नीति होनी चाहिए ?

8. आदिवासियों बीहड़ों व इलेक्ट्रॉनिक्स साधनों जैसी विपरीत स्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमारे संचार साधन कैसे होने चाहिए ?

9. हमारी रोजगार नीति क्या होनी चाहिए ?

10. लोगों के सांस्कृतिक-उद्भव के लिए क्या कार्यक्रम होने चाहिए ?

मुझे विश्वास है कि यदि उपरोक्त सवालों के जवाब मिल जाते हैं तो साम्प्रदायिकता, बेरोजगारी, आतंकवाद, भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं भी हल की जा सकती हैं। ये तो बीमार सामाजिक-आर्थिक ढांचे के लक्षण मात्र हैं।

अब समय आ गया है कि विभिन्न क्षेत्रों में जन आंदोलनों से जुड़े साथी लोग इन मुद्दों पर चर्चा और विचारों व सुझावों के साथ आगे आयें ताकि हम सब एक होकर, इस लहर की राजनीति की जगह एक सही विकल्प जनता के सामने ला सकें।

आपका शुभचिंतक

(शंकर गुहा नियोगी)

वैकल्पिक विकास की दिशा में कुछ क्रांतिकारी कदम

स्वास्थ्य के लिए संघर्ष करो आन्दोलन

15 अगस्त 1981 की एक सार्वजनिक सभा में शहीद नियोगी ने " स्वास्थ्य के लिए संघर्ष करो" आन्दोलन शुरु करने का आह्वान किया। उस समय मजदूरों को बांटा गया पर्चा यहां प्रस्तुत है। - स.

संगवारी,

हम केवल पैसे के लिए नहीं, पर एक नया समाज और एक नयी व्यवस्था के लिए लड़ रहे हैं। इस नये समाज में पैसा और मुनाफा नहीं परंतु आदमी की जिंदगी ही सबसे मूल्यवान वस्तु समझी जायेगी। इस लड़ाई के अंतर्गत हम एक नयी स्वास्थ्य व्यवस्था भी तैयार करना चाहते हैं, जो इन नये विचारों पर ही आधारित होगी। यह नयी स्वास्थ्य व्यवस्था एक दिन में नहीं तैयार होगी और न यह किसी के व्यक्तिगत प्रयास से तैयार होगी। बल्कि हम सब की संगठित ताकत इस प्रयास और इस लड़ाई में जब लगेगी तब ही यह सफल हो सकता है। **आओ, स्वास्थ्य के लिए संघर्ष करें।**

'स्वास्थ्य के लिए संघर्ष करो' आंदोलन में हम अभी आठ मुद्दों को लेकर काम चलाने की बात सोच रहे हैं। ये मुद्दे कोई बंधे हुए नहीं हैं, पर इन पर आप सबका सुझाव मिलना चाहिए -

1. टी.बी. (क्षय रोग) के जितने रोगी हैं, उनका निदान करना और इलाज का इंतजाम करना।
2. गर्भवती औरतों को पंजीकृत करना और उचित समय पर उनकी देखभाल करना ताकि प्रसव सुरक्षित हो और बच्चे स्वस्थ हो।
3. छोटे बच्चों की देख रेख और उचित पालन पोषण का इंतजाम करना। बच्चों को सही समय पर टीका इत्यादि लगाने का इंतजाम करना।
4. एक डिस्पेंसरी चलाना, खास करके उन लोगों के लिए जिनको बी.एस.पी. के इलाज की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।
5. एक अस्पताल बनाना जिसमें गांव के किसानों को अपने स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत जरूरी सेवाएं उपलब्ध हों।
6. अपने पर्यावरण को स्वस्थ बनाना, खास करके पीने का स्वच्छ पानी प्राप्त करने की जानकारी और सुविधा हर घर में पहुंचाना, इस तरीके से हैजा तथा अन्य बीमारियों की मात्रा घटाना।
7. अपने संगठन और आंदोलन में भागीदार हर परिवार के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी इकट्ठा करना और उसका विश्लेषण करना।
8. अपने संगठन में उन लोगों को, जो इस काम में खास रूचि लेते हैं, प्रशिक्षण देना और 'स्वास्थ्य संरक्षक' तैयार करना। उसके माध्यम से विभिन्न जगहों में प्राथमिक उपचार तथा अन्य स्वास्थ्य सेवाएँ फैलाना।

किशोर भारती (होशंगाबाद) संस्था की तरफ से उनके प्रतिनिधि डॉ. विनायक सेन (एम.बी.बी.एस., एम.डी.) हमारे इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे।

छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा
दल्ली राजहरा
छत्तीसगढ़ माईन्स श्रमिक संघ

दल्ली राजहरा का जन स्वास्थ्य आंदोलन

'मेहनतकशों के स्वास्थ्य के लिए, मेहनतकशों का अपना कार्यक्रम', दल्ली राजहरा के जन स्वास्थ्य आंदोलन की केंद्रीय भावना है। इस स्वास्थ्य आंदोलन के तहत ही शहीद अस्पताल, स्वास्थ्य प्रचार तथा 'स्वास्थ्य के लिए संघर्ष' का काम सन् 197 7 में दल्ली राजहरा की लौह अयस्क खदानो में काम करने वाले हजारों ठेका मजदूरों ने एक साथ एटक व इंटक यूनियनें छोड़कर छत्तीसगढ़ माईन्स श्रमिक संघ बनाया। इसी वर्ष संघ की जुझारू उपाध्यक्षा कुसुमबाई ने स्थानीय खदान अस्पताल में डाक्टरों की लापरवाही के कारण जान गंवाई और तभी मजदूरों के स्वास्थ्य की सही देखभाल करने के लिए अपना अस्पताल बनाने का सोच मजदूरों के मन में उपजा। यह निर्णय आम ट्रेड यूनियनों के जड़ विचारों और अर्थवाद की जंजीरों को तोड़कर, मजदूरों की जिंदगी के हर क्षेत्र में उत्थान का काम करने के सी.एम.एस.एस. के सोचके साथ पूरी तरह से मेल खाता है।

छत्तीसगढ़ माईन्स श्रमिक संघ का नारा है-

'संघर्ष के लिए निर्माण, निर्माण के लिए संघर्ष' और इसी सोच के तहत यूनियन के 17 विभिन्न विभागों में से एक विभाग-स्वास्थ्य-शुरु में ही खोला गया। जन स्वास्थ्य के संघर्ष के तहत ही शहीद अस्पताल का निर्माण हुआ। स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं शहीद अस्पताल सहित अन्य सभी निर्माण के कार्यक्रमों का सुधारवादी निर्माण कार्यक्रमों से फर्क यह है कि यहां पर हुए सभी निर्माण कार्य किसी न किसी बड़े आंदोलन से उपजे हैं और लगातार उनसे जुड़े हुए हैं तथा यूनियन के संपूर्ण सोच व निर्माण के साथ संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इन सभी कार्यक्रमों से नये समाज की एक झांकी आम जनता को मिलती है जो नये समाज की रचना के लिए उत्साहित होकर, आगे बढ़कर हिस्सा लेती है।

जन स्वास्थ्य आंदोलन के तहत शहीद अस्पताल के कार्यक्रम को अपने आप में एक विशिष्ट प्रयोग कहा जा सकता है। इस प्रयोग की कई विशेषताएं हैं, अनुभव है। पर साथ ही साथ कुछ कमजोरियां भी हैं। इस प्रयोग के उपर एक नजर डालने से हमें स्वास्थ्य कार्यक्रम की हिस्सेदारी पर सोचना का मौका मिलेगा।

जन स्वास्थ्य कमेटी

राजहरा का स्वास्थ्य आंदोलन डाक्टरों और बुद्धिजीवियों की अनुपस्थिति में ही शुरु हुआ, जब अपने स्वास्थ्य और मेहनत से कमाये गये पैसे को शराब द्वारा बर्बाद होने से रोकने के लिए सन् 1978-79 में शराब बंदी आंदोलन शुरु हुआ। उसके बाद लगातार सीढ़ी-दर-सीढ़ी चढ़ते हुए जन स्वास्थ्य आंदोलन आगे बढ़ता गया, जिसके तहत सन् 1981 में आंदोलन में मदद करने आये डाक्टरों सहित सौ से अधिक मजदूर प्रतिनिधियों की स्वास्थ्य कमेटी बनी। स्वास्थ्य प्रचार, यूनियन आफिस और गैरेज से चलाया गया। शहीद डिस्पेंसरी और शहीद अस्पताल के सभी कामों में यूनियन के प्रतिनिधि मजदूर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे।

'स्वास्थ्य के लिए संघर्ष' का प्रतीक

स्वास्थ्य आंदोलन में काम करने के साथ-साथ इसे बढ़ाने के लिए आर्थिक स्रोत भी पूरी तरह से मजदूरों द्वारा ही जुटाये गये हैं। जब जब किसी आर्थिक संघर्ष में उन्होंने जीत हासिल की, तब-तब स्वास्थ्य आंदोलन और शहीद अस्पताल को आगे बढ़ाने के लिए चंदा दिया। इस चंदे से ही गैरेज में चलायी जाने वाली डिस्पेंसरी से शुरु करके नौ सालों में 15 बिस्तरों वाले अस्पताल से होते हुए आज अत्याधुनिक प्रयोगशाला, आपरेशन थियेटर, एम्बुलेंस सहित 45 बिस्तरों वाला दो मंजिला अस्पताल बन पाया है। निर्माण की श्रृंखला में अस्पताल यही नहीं रूक गया है। अस्पताल की तीसरी मंजिल, बाहर से आये मरीजों के साथ आये लोगों को रहने व खाना बनाने के लिए मकान निर्माण कार्य करीब-करीब पूरा हो गया है। जरुरत के हिसाब से इस प्रकार प्रगति होती रहेगी।

इन नौ सालों में प्रगति की इस रफ्तार को देखकर सरकारी और गैर सरकारी, देशी और विदेशी मदद के कई प्रस्ताव बार बार आते रहे, परंतु यूनियन इन प्रस्तावों को ठुकराते हुए खुद के बल बूते पर कार्यक्रम को बढ़ाती रही है। इसके पीछे यूनियन का यह सोच है कि बाहरी आर्थिक मदद लेने पर अपने कार्यक्रम पर बाहरी नियंत्रण हो जायेगा जिसे यूनियन स्वीकार नहीं करती है।

सार्थक स्वास्थ्य प्रणाली की ओर

'स्वास्थ्य के लिए संघर्ष करो' कार्यक्रम जब शुरु हुआ तो निश्चित रुप से रोग के इलाज और उसकी रोकथाम में से किसे प्राथमिकता देना है, इस विषय पर लम्बी बहस स्वास्थ्यकर्मियों के बीच छिड़ गयी। अस्पताल बनाना है या नहीं, इस विषय पर कुछ स्वास्थ्यकर्मियों का स्पष्ट मानना था कि अस्पताल बनाने से जन स्वास्थ्य के प्रचार का काम मार खायेगा। और 'स्वास्थ्य के लिए संघर्ष' पिछड़ जायेगा। परंतु एक बार सर्वसम्मति से अस्पताल का काम शुरु होने के बाद पिछले नौ सालों का हमारा अनुभव रहा है कि 'स्वास्थ्य के लिए संघर्ष' और 'स्वास्थ्य चेतना' के काम में लोगों का विश्वास जीतने में अस्पताल कारगर रहा है। स्थानीय स्वास्थ्य सम्बंधी अवैज्ञानिक धारणाओं और अंधविश्वासों के खिलाफ तथा मुनाफाखोर डाक्टरों के द्वारा अवैज्ञानिक तौर तरीकों के इस्तेमाल के खिलाफ वैज्ञानिक, सही, सस्ती और तार्किक चिकित्सा पद्धति के पक्ष में जनमत तैयार करने में डिस्पेंसी व अस्पताल की भूमिका महत्वपूर्ण एवं मददगार रही है। आज अस्पताल और 'स्वास्थ्य के लिए संघर्ष एक दूसरे से

कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं।

राजहरा का 'स्वास्थ्य के लिए संघर्ष' का आंदोलन मेहनतकश जनता के अपने अधिकारों के लिए चलने वाले एक बड़े आंदोलन का हिस्सा है। यहां आंदोलनरत मजदूरों ने अपने अनुभवों से सीखा है कि अधिकांश स्वास्थ्य समस्याएं मूल रूप से आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक समस्याएं हैं और इसलिए अगर मौजूदा ढांचे में बदलाव नहीं होता है, तो मौजूदा स्वास्थ्य समस्याएं वैसी की वैसी ही रहेगी। चूंकि स्वास्थ्य की समस्याएं अन्य समस्याओं से सीधे सीधे जुड़ी है, इसलिए स्वास्थ्य आंदोलन अन्य समस्याओं को हल करने के लिए चलाये गये किसी बड़े सामाजिक आंदोलन का एक हिस्सा ही हो सकता है। सिर्फ स्वास्थ्य आंदोलन का अकेले कोई विशेष प्रभाव नहीं होगा।

रहन-सहन, खान-पान और स्वास्थ्य

गरीब देशों की स्वास्थ्य समस्याओं में से सबसे ज्यादा होने वाली एवं खतरनाक एक बीमारी है-टट्टी-उल्टी की बीमारी। कुपोषित बच्चों में टट्टी उल्टी ज्यादा होती है। मुख्य रुप से पीने के खराब पानी, सड़े गले या खुले भोजन द्वारा यह बीमारी फैलती है। छोटे-छोटे घरों के अस्वस्थ वातावरण में अधिकांश लोग रहते हैं, उनमें कोई भी छूत की बीमारी महामारी का रूप ले लेती है। शरीर में पानी का कमी हो जाने के कारण रोग जानलेवा हो जाता है, लेकिन लोगों के पास अगर नमक, शक्कर का शरबत बनाने की जानकारी रहे तो, शारीरिक पानी की कमी की रोकथाम व इलाज करना आसान हो जाता है। जिन देशों में टट्टी-उल्टी के इलाज पर जोर देते हैं। कुछ सुधारपंथी स्वास्थ्य कार्यक्रम टट्टी उल्टी की रोकथाम के लिए पानी उबालकर पीने को बोलते हैं एवं इलाज के लिए शरबत की बात बोलते हैं। ये कार्यक्रम इस बात पर ध्यान नहीं देते कि जिनके पास पर्याप्त भोजन ही नहीं है, वे पानी उबालने के लिए लकड़ी या कोयले का जुगाड़ कैसे करेंगे। इनके स्वास्थ्य प्रचार में पर्याप्त भोजन का महत्व, आवास स्थल का महत्व आदि विषय गौण रह जाते हैं। उन कार्यक्रमों में पीने का साफ पानी उपलब्ध कराये जाने की मांग दब जाती है।

राजहरा के स्वास्थ्य कार्यक्रम में शुरु से ही प्रचार में बीमारी के आर्थिक व सामाजिक कारणों, दवाई की अनुपयोगिता व साफ पानी के महत्व पर जोर दिया गया। पीने के पानी की मांग को लेकर शहीद अस्पताल के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रचार किया। श्रमिक संघ के आंदोलन के कारण प्रशासन ट्यूबवेल लगाने को मजबूर हुआ। असल में हमने टट्टी उल्टी पर जो काबू पाया उसका मूलकारण लगातार पंद्रह सालों तक सी.एम.एस.एस. के संघर्ष के जरिये राजहरा के मेहनतकशों का आर्थिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक विकास होनां है। सी. एम. एस.एस. व छमुमो ने पीने के पानी की जरूरत के बारे में जारुक जनता को संगठित किया व संघर्ष छेड़ा। इस संघर्ष के कारण सन् 1989-90 में प्रशासन ने राजहरा व आसपास के गांवों में 179 ट्यूबवेल लगाये।

वैज्ञानिक इलाज, जन शिक्षण और संघर्ष

राजहरा के स्वास्थ्य कार्यक्रम के तीन मुख्य पहलू हैं -

क) यह सही वैज्ञानिक इलाज पहुंचाने का एक कार्यक्रम है।

ख) यह जन शिक्षण का एक माध्यम है।

ग) यह संघर्ष का एक हथियार भी है।

क) विकास के हर कदम पर शहीद अस्पताल सही इलाज की लड़ाई लड़ता आया है। इस इलाके के लोगों में सुई के प्रति अंधविश्वास काफी गहरा था। शहीद अस्पताल में फालतू में सुई नहीं लगायी जाती, इसलिए शुरु में अस्पताल को श्रमिक संघ के ही ज्यादातर सदस्यों के विरोध का सामना करना पड़ता था। फालतू दवाइयों के खिलाफ कारगर इलाजों के प्रचार पर जोर दिया गया, जैसे कि टट्टी उल्टी के दवाएं नहीं, बल्कि नमक शक्कर का शरबत, खांसी में खप सिरप नहीं, बल्कि गरम पानी की भाप, बुखार में एनालजिन आदि खतरनाक दवाएं नहीं, वरन ठंडे पानी का पोछा। इन घरेलू इलाजों को अस्पताल में अमल में लाया गया, लोग इन इलाजों का महत्व समझने लगे।

शहीद अस्पताल में विश्व संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) की जरुरी दवाओं की सूची के बाहर की दूसरी दवाओं का इस्तेमाल नहीं होताहै। मिली-जुली दवाइयों (कम्बीनेशन ड्रग) का भी इस्तेमाल नहीं होता है। प्रतिबंधित दवाओं का यथासम्भव इस्तेमाल न करने की कोशिश की जाती है।

ख) जन शिक्षण के लिए कई तरीके अपनाये जाते हैं। आउटडोर' व 'इनडोर' के मरीज व उनके परिवारों के साथ डाक्टर व स्वास्थ्यकर्मी रोग के कारण व इलाज के बारे में चर्चा करते हैं। आसपास के गांवों एवं मोहल्लों में स्वास्थ्य प्रचार किया जाता है। प्रचार के काम में पोस्टर, पोस्टर प्रदर्शनी, स्लाइड, जादू विरोधी प्रदर्शन, दीवार पत्रिका (स्वास्थ्य संगवारी) स्वास्थ्य पुस्तिकाओं ('लोक स्वास्थ्य शिक्षा माला) का इस्तेमाल किया जाता है।

जन शिक्षण में निम्नलिखित मुद्दों पर जोर दिया जाता है-

- स्वास्थ्य संबंधी अंधविश्वासों व कुसंस्कारों को बेनकाब करना।
- मुनाफाखोर चिकित्सकों की अवैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति को बेनकाब करना।
- चिकित्सा विज्ञान की जानकारी लोगों तक पहुंचाना जिससे वे छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्या का इलाज पने आप कर सकें। एवं
- देशी विदेशी दवा कम्पनियों के शोषण के बारे में लोगों को जागरुक बनाना।

शिक्षण कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्यकर्मियों को प्रशिक्षित किया जाता है। स्वास्थ्यकर्मी असल में लौह अयस्क खदानों के मजदूर हैं। ये स्वास्थ्य प्रचार का काम करते हैं, लेकिन अपने अपने मोहल्लों में आम स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज करने में भी

ये सक्षम हैं। अब मजदूर परिवारों के बच्चों को ट्रेनिंग देने का कदम उठाया जा रहा है। इसके अलावा अस्पताल के चिकित्साकर्मी-प्रशिक्षण (नर्स-प्रशिक्षण) के लिए सात महीने का एक शिक्षण कार्यक्रम है,जिसमें मुख्य रुप से मजदूर किसान परिवारों के लड़के-लड़कियों को प्रशिक्षित किया जाता है।

ग) स्वास्थ्य कार्यक्रम हमेशा मेहनतकशों के संघर्ष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहा है।लाल हरा परिवार का कोई भी संगठन जब संघर्ष या हड़ताल में होता है तो संगठन के सदस्यों और उनके परिवारों के इलाज की जिम्मेदारी शहीद अस्पताल लेता है। भोपाल के गैस पीड़ितों का संघर्ष हो या नर्मदा बचाओं आंदोलन, दूर दराज के अन्य जनतांत्रिक कार्यक्रमों की भी दल्ली राजहरा का स्वास्थ्य आंदोलन मदद करता रहा है।

पहले दल्ली राजहरा में सरकारी अस्पताल नहीं था। भिलाई इस्ताप संयंत्र का अस्पताल भी अपर्याप्त था। मजदूर अस्पताल की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर शासन ने राजहरा में एक एवं डोंडी लोहारा विधान सभा क्षेत्र में सात स्वास्थ्य केन्द्र बनाये। इस्पात संयंत्र ने अपने अस्पताल की बिस्तर संख्या 100 सेज्यादा कर दी।

स्वास्थ्य आंदोलन अंधविश्वास व कुसंस्कारों का विरोध करके सामंतवादी मूल्यबोध के खिलाफ संघर्ष में शामिल हुआ। बहुराष्ट्रीय दवा कम्पनियों के शोषण का विरोध करके स्वास्थ्य आंदोलन ने साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष में योगदान दिया है।

स्वास्थ्य आंदोलन की समस्याएं

शुरु में लोगों तक स्वास्थ्य की जानकारी पहुंचाने में भाषा व प्रस्तुतीकरण की समस्या थी। प्रचलित स्वास्थ्य शिक्षण सामग्रियों से हमें ज्यादा मदद नहीं मिली। असल में स्वास्थ्य शिक्षण की सामग्री जो लोग तैयार करते हैं, वे जनता के हिताकांक्षी होने के बावजूद बड़े-बड़े शहरों में रहते हैं, वास्तव में आम जनता के साथ उनका संबंध कम रहता है। इसलिए जनता को समझाने लायक भाषा और प्रस्तुतीकरण के बारे में उनकी धारणाएं अधूरी रहती हैं। राजहरा का स्वास्थ्य कार्यक्रम जनता के निकट होने के कारण कुछ हद तक इस समस्या को सुलझा पाया है।

शहीद अस्पताल मजदूरों का अस्पताल है। अस्पताल संचालन की मुख्य जिम्मेदारी मजदूरों की ही है। मजदूर जब संचालन की जिम्मेदारी संभालते हैं तो कुछ विशेष समस्याएं कभी कभी पैदा होती हैं। खदान में प्रबंधक लोग मजदूरों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, अस्पताल में 'मजदूर प्रबंधक' भी कभी कभी चिकित्साकर्मियों के साथ वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। हमारा तजुर्बा यह रहा है कि लगातार राजनैतिक व वैचारिक संघर्ष से ही इस गलत प्रवृत्ति का मुकाबला किया जा सकता है।

अस्पताल में कार्यरत सभी चिकित्साकर्मी (अस्पताल का काम ही जिनकी आजीविका है) मजदूर किसान परिवारों से आए हुए हैं। इनकी नियुक्ति के समय छमुमो के विचारों के प्रति उनके लगाव पर विशेष ध्यान दिया जाता है। लेकिन इनमें से कुछ कर्मी कभी-कभी अस्पताल के काम को एक अन्य नौकरी जैसा देखने लगते हैं। स्वास्थ्य राजनीति व साधारण राजनीति को लेकर चर्चा, विशेष घटनाओं को लेकर विश्लेषण व चर्चा एवं संगठन के अन्य कार्यक्रमों में चिकित्सा कर्मियों को जोड़ने जैसी प्रक्रियाओं के जरिये इस प्रवृत्ति का मुकाबला करने की कोशिश हो रही है।

एक अन्य बड़ी समस्या डाक्टरों-बुद्धिजीवियों की कमी की है। कामरेड शंकर गुहा नियोगी की शहादत के बाद बाहर से आये डाक्टर बुद्धिजीवी कुछ हद तक इस कमी को पूरा कर रहे है। लेकिन आज तक छत्तीसगढ़, स्वास्थ्य आंदोलन को डाक्टर-बुद्धिजीवी नहीं दे सका है।

स्वास्थ्य आंदोलन के क्रांतिकारी विकास से ही इन उपरोक्त समस्याओं का हल हो सकेगा, ऐसी हमारी उम्मीद है।

जहां हमें विशेष प्रयास करना है

कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिस पर स्वास्थ्य आंदोलन जब तक कुछ नहीं कर सका है।

क) छत्तीसगढ़ की देशी इलाज पद्धति के साथ आधुनिक चिकित्सा पद्धति को जोड़ने के बारे में कुछ काम नहीं हुआ है।

ख) आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के साथ आयुर्वेद, होम्योपैथी व एक्यूपंचर को जोड़ने के बारे में भी कोई ठोस काम नहीं हो सका है।

ग) औद्योगिक स्वास्थ्य को लेकर भी कोई खास काम नहीं हुआ है।

आखिर में एक महत्वपूर्ण बात पर ध्यान देना जरूरी है। दल्ली राजहरा का स्वास्थ्य आंदोलन कई हजार मजदूरों, सैकड़ों मजदूर नेताओं, दर्जनों चिकित्साकर्मियों के सामूहिक प्रयास का फल है। स्वास्थ्य आंदोलन से संबंधित सभी लोग इस बात को हमेशा याद रखते हैं एवं व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर संगठन व राजनीति को स्थान देते हैं।

(शहीद अस्पताल के सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं चिकित्साकर्मियों एवं डाक्टरों के सामूहिक प्रयास से प्रस्तुत।)

मजदूर आंदोलन में महिलाओं की भूमिका

लीलाबाई ● सुधा भारद्वाज

दल्ली राजहरा की लौह अयस्क खदानों में आरंभ से ही छत्तीसगढ की खेतिहार परम्परा के अनुसार महिलाएं उत्पादन में बराबर की सहभागी थीं। खदानों में अक्सर पति-पत्नी की जोड़ी में काम किया जाता रहा है चूंकि इससे लोहा पत्थर तोड़ने (रेंजिंग) का काम सुगम हो जाता है। इस प्रकार शुरु से ही मैन्युअल खदानों में लगभग आधे मजदूर महिलाएं थी। सी.एम.एस.एस. के गठन से पहले सभी खदान मजदूरों के अमानवीय शोषण के साथ महिलाओं पर ठेकेदारों व उनके गुंडा तत्वों द्वारा भयानक शारीरिक व अन्य लिंग-आधारित शोषण जारी था, यहां तक कि गर्भवती महिलाओं को रात-बेरात काम करने के लिए घर से घसीटकर ले जाने की घटनाएं आम थीं। मजदूरों में इन सबके खिलाफ भारी रोष था। ऐसे माहौल में मार्च 1977 में संघर्ष की कोख से लाल-हरा परिवार के पहले संगठन सी.एम.एस.एस का जन्म हुआ।

उस समय मैनेजमेंट द्वारा विभागीयकृत और ठेका मजदूरों के बीच किये जा रहे भेदभाव को लेकर चल रहे मजदूरों के स्वतः स्फूर्त संघर्ष में महिलाओं ने बढ चढ कर हिस्सा लिया। वे अपने छोटे-छोटे बच्चों के साथ इक्कीस दिन तक लाल मैदान में दिनभर डटी रही, जब बातचीत के लिए पहली बार भिलाई स्टील प्लांट द्वारा इन हड़ताली मजदूरों का एक प्रतिनिधिमंडल बुलाया गया तब उसमें दो महिलाओं को देखकर मैनेजमेट व ठेकेदार हतप्रभ हो गये क्योंकि इसके पहले महिलाएं यूनियन दफ्तरों में पैर रखने तक से डरती थीं। आगे चलकर जून 1977 के गोलीकांड में महिला अगुआ अनुसुइया बाई शहीद हो गयीं और छत्तीसगढ की महिलाओं के लिए अमर मिसाल बन गयीं।

इस तरह शुरुआत से ही लाल-हरा परिवार में महिलाओं के समाज और उत्पादन प्रक्रिया में सम्मान व समता के स्थान तथा संगठन व संघर्ष में अगुआ भूमिका की मजबूत परम्परा की नींव रखी गयी, जो संगठन के साथ-साथ फैलती गयी। इसी परम्परा को आगे बढाने और विकसित करने के लिए सन 1979 में छमुमो के तहत 'महिला मुक्ति मोर्चा' का गठन हुआ। ऐसा माना गया कि इस मंच के गठन से महिलाओं के नेतृत्व को और अधिक उभारने में मदद मिलेगी और कई प्रकार की परिवारिक व सामाजिक समस्याओं से भी जूझ जा सकेगा जिन्हें महिलाएं यूनियन दफ्तर में लाती थीं।

शोषण हमेशा गुंडा राज के सहारे चलता है जिसकी विशेष शिकार महिलाएं होती हैं और इसीलिए महिला मुक्ति मोर्चा की गुंडागर्दी के खिलाफ लड़ता रहा है। सन 1980 में जब सी.आई.एस.एफ. के जवानों ने दल्ली राजहरा में एक आदिवासी महिला के साथ बलात्कार की कोशिश की, तब महिला मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में महिलाओं व पुरुषों ने मिलकर तनी हुइ संगीनों तक की परवाह न करते हुए जोरदार विरोध किया जिसमें एक लकड़हारा साथी आशाराम शहीद हो गये। सन् 1984 में राजनांदगांव में बी.एन.सी. मिल्स के आंदोलन के दौरान न केवल मजदूर महिलाओं या मजदूरों की पत्नियों व बहनों ने, बल्कि तुलसीपुर, मोतीपुर आदि गरीब बस्तियों की अन्य महिलाओं ने भी भागीदारी की। उन्होंने गुंडागर्दी का डटकर विरोध किया और अपनी बस्तियों में शांति व सुरक्षा स्थापित की। सन् 1992 में भिलाई स्टील प्लांट की एक ठेका मजदूर महिला को सी.आई.एस.एफ. जवानों द्वारा बेइज्जत किये जाने पर मोर्चे ने कारखाने के खुर्सीपार गेट पर विशाल विरोध सभा की और दोषी जवानों को सजा दिलवायी।

भिलाई स्टील प्लांट के तकनीकशाह मशीन को तकनालाजी समझते हैं, मेहनतकश मजदूरी से तो मानो वे नफरत करते हों। वे देश के हितों को ताक पर रखकर भी विदेशी आर्थिक सहयोग से विदेशी तकनालाजी पर निर्भर अंधाधुंध मशीनीकरण पर उतारु हो गये हैं। जिस देशद्रोही 'आधुनिकीकरण' को लागू करने के लिए कई हथकंडे अपनाये जाते हैं जिनकी शिकार विशेष रुप से महिलाएं रही हैं। महिलाओं के प्रति समाज में व्याप्त हीन भावना की भ्रांतियां का चतुराई से उपयोग करके उन्हें 'अकुशल' व 'अशिक्षित' करार देकर उनकी छंटनी करने का प्रयास रहा है।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना भी ऐसा ही एक हथकंडा है। इसके तहत जो मजदूर 15 वर्ष से अधिक काम कर चुके हैं, वे स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण कर सकते हैं जिसके लिए मैनेजमेंट उन्हें तयशुदा एकमुश्त धनराशि देता है। कई खदानों में मैनेजमेंट पति को विभागीयकृत करके उसे कहीं और (अक्सर भिलाई) स्थानांतरित कर देता है और पत्नी पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत अवकाश ग्रहण करने का दबाव डालता है। इस प्रकार वह उत्पादन में भागीदारी और पारिवारिक हित के बीच अंतर्विरोध पैदा करता है। सन् 1985-86 में मैनेजमेंट ने इस तरीके से हिर्री डोलोमाइट खदानों को मशीनीकरण के लिए खाली कराना शुरु किया। पूरी ट्रेड यूनियन ने इस हमले को जमकर विरोध किया क्योंकि यूनियन की साफ समझ थी कि जब तक उत्पादन प्रक्रिया में मजदूर महिला बराबर की सहभागी नहीं होती, तब तक सामाजिक विकास असंभव है। दिसंबर 1986 में महिला मुक्ति मोर्चा ने हिर्री माइन्स में एक महिला सम्मेलन किया जिसमें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना वापिस लेने, पति-पत्नी को एक जगह काम देने व महिला के स्थान पर महिलाओं की ही भर्ती करने की मांगे रखी गयी और बेरोजगारी की समस्या हल होने तक खदानों व उद्योगों में मशीनीकरण रुकवाने का संकल्प लिया। हिर्री की एक महिला नेत्री, अपने पति के स्थानांतरण के बावजूद वहीं रहकर काम करती रही और भी महिलाओं को संगठित कर रही है।

महिला-पुरुष के अंतर करने की मैनेजमेंट की नीति और ऐसा अंतर करने वाले (वेतनमान और अन्य सुविधाओं)के हर प्रस्ताव का सी.एम.एस.एस. व छमुमो से जुड़ी अन्य ट्रेड युनियनो

द्वारा तीव्र विरोध हुआ है, चाहे इसके लिए लड़ाई को लंबा क्यों न खींचना पड़ा हो।

महिला मुक्ति मोर्चा का लक्ष्य सभी शोषित तबकों का साथ देना तथा 'संघर्ष और निर्माण' की संपूर्ण नीति को आगे बढ़ाना है। सन् 1989 में राजहरा डैम ग्राम नर्राटोला तक डेढ़ कि.मी. लंबी नाली खोदकर धान की फसल बचाने के काम महिलाओं ने पुरुषों के साथ कंधा-कंधा मिलाकर काम किया। इस प्रकार से आगे आयी हुई महिलाओं ने सन् 1992 में नर्राटोला में अतिक्रमण हटाने के नाम पर लगभग ढाई सौ घरों पर भाजपा प्रशासन द्वारा बुलडोजर चलाने का तीव्र विरोध किया। ग्रामीण इलाकों में जंगल विभाग के अत्याचार व भ्रष्टाचार के खिलाफ महिलाओं की आवाज, वहां की महिलाओं की भाषा में जंगलवालों को दुर्गावती की याद दिला रही है।

सन् 1978-79 में दल्ली राजहरा की बस्तियों में प्रायमरी स्कूल खड़ा करने में महिलाओं की अग्रणी भूमिका रही है। दिसंबर 1977 में कामरेड कुसुमबाई की जचकी के दौरान बी.एस.पी. अस्पताल (राजहरा) में लापरवाही से हुई दर्दनाक मृत्यु की घटना थी जिसने मजदूरों में आक्रोश और 'अपना शहीद प्रसूति भवन' बनाने का दृढ़ निश्चय पैदा किया। यही आगे चलकर 'शहीद अस्पताल' बना जिसमें आज भी जच्चा-बच्चा का स्वास्थ्य, जचकी के दौरान लगाये जाने वाले खतरनाक 'पिटोसीन' जैसे इंजेक्शनों का विरोध, मां के दूध के महत्व की जानकारी आदि महिला स्वास्थ्य से जुड़े सवालों को प्राथमिकता दी जाती है।

सबसे महत्वपूर्ण यह है कि महिलाएं मजदूर वर्ग में नये मूल्यों को विकसित करने की लड़ाई लड़ती जा रही है। ट्रेड यूनियन को अर्थवाद से बचाने में और सदा सामाजिक मुद्दों को फोकस में रखने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मजदूर वर्ग को कमजोर बनाने वाला हर नशा - चाहे वह शराब हो, लाटरी-सट्टा हो या दूषित संस्कृति हो - उसके खिलाफ वे आवाज उठा रही हैं। सन् 1979-80 के सशक्त शराबबंदी में महिलाओं ने अगुवाई की और समझाने-बुझाने से लेकर सजा देने तक के विभिन्न तरीकों से हजारों पुरुषों साथियों की शराब की लत छुड़वायी। महिला मुक्ति मोर्चा का यह भी प्रयास रहा है कि मजदूरों के आपसी विवादों का - चाहे व पति-पत्नी के हों, भाई-भाई के हों या अड़ोसी-पड़ोसी के हों - मुखिया साथियों (पुरुष व महिला दोनों) की मदद से न्याय के पक्ष में समाधान हो जाये और उन्हें कोर्ट-कचहरी का विद्वेषपूर्ण व खर्चीला रास्ता न अपनाना पड़े।

लाल-हरा आंदोलन के दौरान जब-जब कर्फ्यू और धारा 144 के जरिये आतंक का माहौल बनाया गया है, चाहे वह दल्ली राजहरा में हो, राजनांदगांव या भिलाई में हो, तब-तब महिलाओं ने आगे बढ़कर अपने हिम्मती जुलूसों से उस आतंक को चीरा है। जब कभी हमलों से साथियों के हौसले कुछ चुकने लगे, तो महिलाओं ने मोहल्ले-मोहल्ले, घर-घर जाकर सबको सांत्वना दी है, ढाढसा बंधाया है और संघर्ष की नयी लहर पैदा करने के अहम भूमिका अदा की है। 25 जून 1991 को भिलाई औद्योगिक क्षेत्र में पुलिस द्वारा बर्बर लाठीचार्ज के बाद जब सैकड़ों साथी जेल भेज दिये गये, तब महिलाओं के जेली दस्ते ने जोशीले नारों और गीतों से पुरुष साथियों की बैरकों तक अपनी आवाज पहुंचाकर सबका मनोबल बनाया रखा। संगठन के मूल्यों जुझारुपन के सात सुंदर अनुशासन व संयम बनाकर रखना और सीमित स्वार्थ के विपरीत मिल-बांटकर रहना-को हजारों महिलाओं ने न सिर्फ आत्मसात किया है, बल्कि वे इनकी सक्रिय वाहक भी रही हैं।

लाल-हरा आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व शुरु से ही कायम रहा है। सन् 1977 के दल्ली राजहरा गोलीकांड की शहीद अनुसूइया बाई से लेकर 1984 के भयानक दमन का सामना करने वाली राजनांदगांव की भागाबीई, नये छत्तीसगढ़ के सपनों के गीत गाने वाली ए.सी.सी. फैक्ट्री की मजदूर गायिका कौशल्या बाई या फिर फुलबासन बाई जो 1 जुलाई 1992 को भिलाई गोलीकांड से कुछ ही मिनट पूर्व रेल पटरी पर बैठे हुए अपने छोटे बच्चों को पुलिसिया पथराव से बचाते हुए समझा रही थी कि 'हम यहां नियोगी भैया की तरह शहीद होने आये हैं' - इन सब को याद करके लगता है कि सचमुच,

यह छत्तीसगढ़ की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है।

(जनवरी 1993)

शराब की लत छुड़ायी संगठन ने

अमन कुमार नम्र ● अनिल सद्‌गोपाल

छत्तीसगढ़ माईन्स श्रमिक संघ द्वारा सन् 1977 से किये गये संघर्षों के फलस्वरुप दल्ली राजहरा के खदान मजदूरों की दैनिक औसत मजदूरी तीन साढ़े तीन रुपये से बढ़कर सन् 1981-82 में बीस से तेईस रूपये हो गयी। लेकिन इसके साथ-साथ दल्ली राजहरा क्षेत्र में शराब की खपत भी तेजी से बढ़ने लगी।यूनियन नेतृत्व का स्पष्ट मत था कि यदि मजदूरी बढ़ने का लाभ उनके पारिवारिक जीवन को सुधारने में मिलना है तो खून पसीने की इस कमाई को शराब में बहने से रोकना होगा। जब सन् 1978 में यूनियन ने अपने 17 विभिन्न विभाग खोले तो उनमें एक 'नशाबंदी विभाग' भी था। इस विभाग के तहत यूनियन ने एक जबर्दस्त शराब विरोधी अभियान शुरु किया।

जन शिक्षण

यूनियन दफ्तर की दीवारें शराब विरोधी पोस्टरों एवं नारों से ढंक गयीं। इस अभियान के दौरान चलायी गयी शैक्षिक प्रक्रिया के बारे में मई 1982 में एक नागरिक अधिकार जांच दल द्वारा प्रसारित रपट ने लिखा है,

" हजारों मजदूरों को सामूहिक रुप से शराब पीने के खिलाफ राष्ट्रीय शहीदों के नाम पर कसमें दिलवायी गयी। शराब पीने वालों पर अर्थदंड लगाने और उनका सामाजिक बहिष्कार करने की व्यवस्था की गयी। इस अभियान की खासियत यह रही है कि शराब की आदत छुड़वाने के लिए राजनैतिक चेतना का भी आधार लिया गया है। मजदूरों का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया गया कि उनके गाढ़े पसीने की कमाई किस प्रकार शराब के जरिये पूंजीपतियों के पास पहुंचकर मजदूर विरोधी गठबंधन को और अधिक मजबूत करती है।

यूनियन नेताओं और मजदूरों से शराब विरोधी अभियान के कुछ अद्‌भुत तरीकों के बारे में पता चला। जब कोई व्यक्ति शराब के नशे में पाया जाता है तो यूनियन की मीटिंग में कई लोगों के सामने उसे खड़ा करके शराब पीने के पक्ष में आधा घंटा भाषण देने को कहा जाता है। आत्म आलोचना के चेतना जागरण का यह एक दिलचस्प उदाहरण है। नशे की हालत में पकड़े जाने पर अक्सर यूनियन की ओर से दंड स्वरुप जुर्माना लगाया जाता है,किंतु कुछ समय बाद जुर्माने का अधिकांश हिस्सा जुर्माना भरने वाले मजदूर की पत्नी को लौटा दिया जाता है। यह अभियान इतना लोकप्रिय हुआ है कि महिलाएं और बच्चे अपने घर के पुरुषों को नशे की हालत में पकड़कर यूनियन दफ्तर ले आते हैं। चोरी से शराब पी लेने वाले लोगों को यूनियन के नेता कई दिनों तक हर शाम अपने साथ रखकर घुमाते हैं, जिससे शराब पीने का समय तो टलता ही है, साथ ही नेताओं के साथ रहने का एक मनोवैज्ञानिक असर भी होता है। या फिर उन्हें यूनियन के कामों की ड्यूटी दे दी जाती है। शराब से ध्यान दूर करने के लिए शाम के समय भजन, लोकगीत व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है।"

('जनवादी आंदोलन बनाम हिंसा की राजनीति' पी.यू सी.एल.,म.प्र. की रपट,मई 1982 से उद्‌घृत)

महिलाओं ने शुरु से ही इस अभियान में अग्रणी भूमिका निभायी,चूंकि उन्होंने आसानी से समझ लिया था कि शराब के कारण घर में हो रहे उनके व बच्चों के शोषण से मुक्ति का यही रास्ता है।

सबसे पहले यूनियन के पदाधिकारियों पर, फिर मुखिया लोगों पर और अंततः मजदूरों पर शराब पीने की पाबंदी लगा दी गयी। परिणाम यह हुआ कि हजारों मजदूरों ने शराब न पीने का संकल्प लिया। इस विषय पर यूनियन के काम को नजदीकी से जानने वाले दिल्ली के एक पत्रकार, भारत डोगरा, लिखते हैं,

" प्रायः यह माना जाता है कि आदिवासियों व विशेषकर आदिवासी खनिकों में शराब पीने की प्रवृत्ति इतनी प्रबल होती है कि उसे बदला नहीं जा सकता है, पर यूनियन ने यह सिद्ध कर दिया कि जब शराब छोड़ना मजदूरों के संगठन की इज्जत का [illegible] जाता है, जब यह सवाल इस तरह से रखा जाता है कि [illegible] जिन उपलब्धियों को खून पसीने से हासिल किया गया है उन्हें बनाये रखने के लिए शराब छोड़ना जरुरी है [illegible] जन आंदोलन का रुप देते हुए बहुत बड़ी [illegible] खनिक भी शराब छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। [illegible] योगदान किसी तरह की जबर्दस्ती या जुर्माने का [illegible] योगदान इस तरह का माहौल बनाना था जिसमें [illegible] दिल में यह महसूस करते थे कि शराब पीना या पिलाना [illegible] से अपने संगठन के साथ धोखा करना है -ऐसे [illegible] जो अनेक वर्षों में पहली बार इस क्षेत्र के मजदूरों के लिए [illegible] की एक किरण लाया था।

'खाली दिमाग शैतान की कार्यशाला है' और [illegible] अभ्यस्त हो गये खनिकों का दिमाग शराब [illegible] पर अब संगठन की ओर से स्कूल चलाने, [illegible] तैयार करने,किसानों के साथ संबंध बनाने [illegible] उत्साहवर्धक कार्य आरंभ होते जा रहे थे। [illegible] शाम किस तरह बीतेगी, यह पूछने की नौबत ही नहीं आती।

('शहीद शंकर गुहा नियोगी और [illegible] आंदोलन' पुस्तिका, मार्च 1992. एन.एस.एस.- [illegible] नयी दिल्ली से उद्‌घृत)

शराब के विरुद्ध अभियान के साथ-[illegible] विरुद्ध भी कदम उठाये गये। अनेक जुआरियों [illegible] पड़ी।

अभियान की विशेषताएं

इस शराब विरोधी अभियान की निम्नलिखित विशेषताओं को रेखांकित करना लाभप्रद होगा -

1. हालांकि शराब का विरोध नैतिक आधारों पर भी किया गया, पर इसे मात्र एक नैतिक आंदोलन के रुप में देखना उचित नहीं होगा। शराब के विरोध को सांस्कृतिक सामाजिक और राजनैतिक नींव पर खड़ा किया गया। नैतिकता भी जो उभरी वह भी इन्हीं स्रोतों से उपजी।

2. शराब विरोधी अभियान एक सांस्कृतिक-सामाजिक आंदोलन है पर यह सफल इसलिए हो पाया चूंकि इसको मजदूरों के सामाजिक आर्थिक विकास के संदर्भ में चलाया गया और चलाने वाली यूनियन ने मजदूर समाज में अपनी विश्वसनीयता सामाजिक आर्थिक संघर्ष को सफल बनाकर अर्जित कर ली थी।

3. शराब को मजदूर विरोधी राजनैतिक गठजोड़ (ठेकेदार अफसरशाही-राजनीतिज्ञ)के हथियार के रुप में प्रस्तुत करके इसके विरोध को मजदूरों की बढ़ती हुई राजनैतिक चेतना से जोड़ा गया। इस प्रकार यह अभियान वर्ग संघर्ष से प्रेरित हुआ।

4. जो शैक्षिक तरीके अपनाये गये उनके पीछे छत्तीसगढ़ समाज, विशेषकर आदिवासी समाज की संस्कृति और सामाजिक परम्पराओं की गहरी समझ झलकती है।

5. यहां भी विकल्प के सोच ने प्रभावकारी भूमिका निभायी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से मजदूरों के लिए वैकल्पिक मनोरंजन की व्यवस्था की गयी और उनकी अतिरिक्त ऊर्जा का उपयोग संगठन के रचनात्मक कार्यक्रमों में किया गया।

6. चूंकि शराब का सबसे बुरा असर महिलाओं और बच्चों के जीवन पर होता है,अतः महिलाओं ने इस अभियान में अगुवाई की। छमुमो के महिला मोर्चे के गठन के बीज भी यहीं अंकुरित होने लगे थे।

अभियान किस हद तक सफल ?

अभियान की सफलता के बारे में उन दिनों स्थानीय समाचार पत्रों ने लिखा कि सन् 1980-82 के दौरान 10 से 15 हजार मजदूरों ने शराब पीना छोड़ दिया। एक पत्रकार ने 20 जनवरी 1981 को पाया कि जिस शराब भट्ठी पर वेतन के दिन शराब की 5,000 बोतलों की बिक्री होती थी, उसी पर सिर्फ 4050 बोतलें बिक पा रही थी। उसी पत्रकार केअनुसार वर्ष 1980-81 में शराब ठेकेदारों को लाखों का घाटा हुआ। पी.यू.सी.एल. (मध्यप्रदेश) की जांच टीम ने मई 1982 में लिखा, " चांदी के गहने बेचने वाले एक दुकानदार के अनुसार लगभग 50% मजदूर शराब छोड़ चुके हैं। उसने तोयहां तक कहा कि पहले, शनिवार(साप्ताहिक भुगतान का दिन) की रात को शहर के फुटपाथों पर नशे में धुत मजदूर चारों ओर पड़े रहते थे और अब ऐसा लगभग नहीं होता है। इस कथन का सबूत जांच समिति को मिला क्योंकि शनिवार की रात जांच समिति राजहरा में ही थी और वहां किसी को शराब के नशे में धुत घूमते हुए नहीं देखा गया। मजदूरों के साथ अलग बैठकर चर्चा की तो उन्होंने कहा कि लगभग सबने शराब पीनी छोड़ दी है। केवल एक मजदूर ने कहा, बुरा न मानें तो सच कहूं, पूरी तरह तो नहीं छोड़ पाया हूं। कभी-कभी छिपकर थोड़ी पी लेता हूं परंतु अब रूपये में दस पैसे भी नहीं रही है।

उसी टीम ने यूनियन के पदाधिकारियों से साक्षात्कार के आधार पर अभियान के प्रभाव और यूनियन की इससे अपेक्षाओं के बारे में निम्नलिखित रपट दी है

1. सन 1980-81 में मजदूरों ने स्थानीय पंजाब सिंध नेशनल बैंक और अन्य बैंकों में 1,000 से अधिक नये फिक्स्ड डिपाजिट खाते खोले।

2. छोटे -छोटे दुकानदार छत्तीसगढ़ माईन्स श्रमिक संघ से अत्यंत खुश है चूंकि अभियान के वर्षों में उनकी बिक्री बढ़ गयी थी।

3. कई मजदूरों ने आस पास या तो नयी जमीनें खरीदी हैं या गिरवी रखी हुई जमीनें छुड़वा ली हैं।

4. यूनियन के विभिन्न रचनात्मक कामों में अचानक अधिक आर्थिक जरूरत आ जाने के कारण यूनियन ने मजदूरों से लगभग 60,000 रुपये उधार लिये।

5. कुछ लोग लुक छिप कर पीते हैं, इससे शराब की सामाजिक मान्यता खत्म होने का ही तथ्य उजागर होता है।

6. मजदूरों के रहन सहन के स्तर और बच्चों की शिक्षा के प्रति मजदूरों की जागरूकता में वृद्धि हुई है और अधिक महिलाओं पर पारिवारिक अत्याचारों में कमी आयी है।

7. नौजवानों और बच्चों के जीवन पर इस अभियान का दीर्घकालीन असर होगा।

8. मजदूरों की सक्रिय भागीदारी से चलने वाला यह दीर्घकालीन अभियान है जो मजदूर परिवारों में सामाजिक व राजनैतिक शिक्षण का आधार है।"

('जनवादी आंदोलन बनाम हिंसा की राजनीति, पी.यू.सी.एल.,म.प्र., की रपट, मई 1982 से उद्धृत)

शराब माफिया की प्रतिक्रिया

शराब विरोधी अभियान की वजह से शराब के ठेकेदारों को लाखों का घाटा हुआ। यहां तक कि ठेके की नीलामी में दिये गये पैसे तक वसूलना मुश्किल हो गया था। जाहिर है कि वे यूनियन के कट्टर विरोधी बन गये। चूंकि इन ठेकेदारों के आर्थिक हित खदान के ठेकेदारों से फर्क नहीं थे, अतः उनका इस विरोध में जुड़ना स्वाभाविक था, खासकर तब जब खदान में चल रहे मजदूरों के आर्थिक संघर्ष के कारण खदानों के ताकतवर ठेकेदारों को कई

बार झुकना पड़ चुका था। शराब के मुख्य ठेकेदार (सरदार गुलबीरसिंह भाटिया) की राजनीति में अच्छी घुसपैठ थी वे स्वयं दल्ली राजहरा की कांग्रेस(इ)की नगर कमेटी के उपाध्यक्ष थे। इनको प्रदेश की तत्कालीन इंका सरकार के उद्योग मंत्री झुमुकलाल भेड़िया(दल्ली राजहरा के क्षेत्रीय विधायक भी)का सक्रिय समर्थन प्राप्त था।इस प्रभाव के सहारे उन्होंने अपने ठेके पर शराब सस्ती करवा ली थी। आलम यह था कि जो बोतल राजहरा में मात्र चौदह रुपये में मिलती थी, वही बोतल सिर्फ 24 कि.मी. दूर महामाया की सरकारी दुकान में बाईस रुपये में बिक रही थी। शराब के रेट कम करवाने का मकसद इलाके के बाहर के लोगों को अपने ठेके पर आकर्षित करना था।जब यूनियन ने ऐसी हरकतों का खुलकर विरोध किया तो शराब माफिया ने स्थानीय नौकरशाही और इंका नेतृत्व के साये में खदान ठेकेदारों के साथ मिलकर यूनियन पर हर प्रकार के हमले शुरु किये। यहां तक कि स्वयं नियोगी को हत्या की अनेक धमकियां मिली।

अप्रैल 1982 में अखिल भारतीय नशाबंदी परिषद की राजहरा शाखा के अध्यक्ष और यूनियन के शराब विरोधी अभियान में सक्रिय श्री बाबूलाल शर्मा को बालोद राजहरा मार्ग पर ट्रक से कुचल देने की कोशिश की गयी। स्वयं शराब ठेकेदार श्री भाटिया ट्रक में सवार थे।श्री शर्मा बुरी तरह घायल हुए परंतु पुलिस ने इसे एक मामूली दुर्घटना का रुप देकर मामला रफा दफा कर दिया। उसी वर्ष एक और घटना घटी। ठेकेदार के लोगों ने एक आदिवासी महिला पर अपने घर में शराब बनाने का आरोप लगाकर उसे डराया धमकाया और ठेके पर लेजाकर रात भर बंद रखा।मजदूरों ने इसका आंदोलनात्मक ढंग से उत्तर दिया। सैकड़ों की तादाद में महिलाओं, बच्चों और पुरुषों ने ठेके के सामने प्रदर्शन करके व धरना देकर उस महिला को छुड़ा लिया और ठेकेदार को ऐसा न करने की चेतावनी दी। इस घटना से राजहरा में एक नया संतुलन स्थापित हुआ। मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार में भारी कमी आ गयी।

बढ़ता हुआ जन समर्थन व प्रभाव

नियोगी ने इस अभियान में आम नागरिकों, पत्रकारों,समाजकर्मियों और देश के जाने माने प्रगतिशील लोगों को राजहरा आमंत्रित किया। इसी क्रम में भूतपूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं अखिल भारतीय नशाबंदी समिति की अध्यक्षा डा. सुशीला नैयर ने अप्रैल 1982 में राजहरा में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए हजारों मजदूरों को शराब व जुए से मुक्त कराने के लिए यूनियन की प्रशंसा की। समय समय पर नियोगी स्वतंत्रता सेनानियों एवं अन्य क्रांतिकारी नेताओं को मजदूर रैलियों को संबोधित करने के लिए बुलाते रहे। उनका विश्वास था कि ऐसे लोगों को सुनकर और जानकर मजदूरों की समाज व देश के प्रति निष्ठा और गहरी होती है।

ऐसा नहीं था कि नशाबंदी अभियान का प्रभाव सिर्फ दल्ली राजहरा तक ही सीमित रहा हो। वास्तव में इस अभियान के तौर तरीकों व सफलता से प्रेरित होकर देश के कई हिस्सों में इसी तरह के आंदोलन खड़े हुए जिनमें मुख्य थे सन 1984 में उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी' द्वारा उत्तर प्रदेश के नैनीताल, अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ जिलों में चलाये गये सफल नशाबंदी अभियान।

उपसंहार- भिलाई के पदचाप

दस वर्ष पूर्व शराब माफिया राजहरा के मजदूर आंदोलन को आतंकित कर रहा था। सन् 1982 में पी.यू. सी.एल.(मध्यप्रदेश) की जांच टीम ने लिखा था,

यह उल्लेखनीय है कि धनबाद (बिहार) जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में जनतांत्रिक संघर्षों को दबाने के लिए हिंसा की राजनीति का उपयोग करना एक आम बात हो गयी है। मध्यप्रदेश में अभी तक हिंसा की इस राजनीति की भूमिका गौण रही है। दल्ली राजहरा में गत दो तीन वर्षों में निहित स्वार्थों द्वारा हिंसा की राजनीति को अपनाने के स्पष्ट संकेत मिले हैं। यदि ऐसी नीतियों के पीछे काम कर रही समाज विरोधी शक्तियों के खिलाफ तुरंत [illegible] नहीं उठाया गया तो निश्चय ही दल्ली राजहरा धनबाद [illegible] बनेगा और छत्तीसगढ़ के उभरते हुए जनतांत्रिक आंदोलन पर एक भयंकर नकारात्मक असर होगा।

और अगले दस साल तक किसी भी प्रदेश सरकार ने माफिया राजनीति के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाये। हालात बिगड़ते रहे।

सन् 1990-92 के दौरान लाल हरे [illegible] के नेतृत्व में जब भिलाई आंदोलन हुआ,तब वहां के नवधनाढ्य [illegible] ने मजदूरों पर अपने माफिया गैंग बेलगाम [illegible] मजदूरों पर प्राणघातक हमले हुए, हाथ पांव [illegible] हुई, पुलिस व प्रशासन तमाशबीन बना रहा [illegible] देते रहे। केस भी मजदूरों पर ही दायर हुए।

अंत में ऐसे ही एक माफिया षड्यंत्र ने [illegible] डाला।

एक विडम्बना। भिलाई के पांच [illegible] दारू का सौदागर है - राजहरा के शराब ठेकेदार से [illegible] बड़ा। फर्क यही है कि वह स्वयं शराब का [illegible] बनायी दारू राजहरा का ठेकेदार बेचता है।

एक फर्क और। भोपाल में अब इंका सरकार नहीं है। भिलाई की माफिया राजनीति भाजपा सरकार [illegible] फल फूल रही है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के [illegible] की शपथ खाने वाली भाजपा सरकार शराब [illegible] कैलाशपति केडिया, को न केवल दारू उत्पादन में [illegible] दे रही है, बल्कि उसे 'साहित्य सेवा' के नाम पर पुरस्कृत [illegible] रही है।

विडम्बना यह भी है कि श्रम व [illegible] मखौल उड़ाकर एवं मजदूर आंदोलन को [illegible] गये धन पर आधारित 'केडिया पुरस्कार' [illegible] साहित्यकार को 'सुशोभित' कर रहा है।

सिर्फ दल्ली राजहरा ही नहीं, वरन [illegible] औद्योगिक अंचल तेजी से धनबाद बन रहा है।

(सितम्बर 1992)

जन कवि फागूराम यादव के गीतों के कुछ अंश

2. स्वास्थ्य बर गा संघर्ष करबो

चल संगवारी रे मितान,
स्वास्थ्य बर गा संघर्ष करबो,
ये जिनगी के करबो गा सुधार,
हम गा बीमारी मा काबर मरबो ।

ये बीमारी दुश्मन ला दुरिहा हमन टारबो,
कचरा अऊ गंदगी ला बाहिर मा निकारबो ।
गांव के गली अऊ खोर सुघर सफाई करबो ।
ये जिनगी के करबो गा सुधार ...... ।

साफ-सुथरा रबो संगी गांव हमर चमकही,
सुघ्घर मनके दिल मा घरले
जवानी हा भर जाही,
जवानी के सूर्य तेज समाज मा बिखर जाही ।
गुलाब असन खिलही लइका मन,
सुंदर फूल असन देखबो
ये जिनगी के करबो गा सुधार .... ।

(इस गीत में एक छंद और है ।)

2. शराबी भइया रे .....

शराबी भइया रे,इन पीबे बाटल के शराब ला -२ ।
कर देथे मति ला खराब गा ।
शराबी भैया रे ...।
दारु के पहली खुराक मा संगी, नशा मा तेहा झुमत रथस,
दूसरा खुराक मा सुवा बरोबर, ज्ञान के बात बतावत रथस,
तीसरा खुराक मा कुकुर बरोबर, गली गली मा भूकत रथस,
चौथा खुराक मा घोड़ा बरोबर, पड़ी मा पड़ीयावत रथस,
चार झन मन्दू देखिन तोला, तीर मा गा तोर आवन लगीन,
माते हस तै दारु ला पीके, हमुला पियाना कहन लगीन,
दू ठन बाटल फेर ते मंगाये, संग मा ता तोर पीयन लगीन,
मस्ती मा सबो झन झुन के संगी, अऊ लान अऊ लान कहन लगीन,
फेर बाटल के उपर बाटल था आगे, कुकर घलो तरागे,
खीसा हा होगे जुच्छा संगी, पइसा सबो सिरागे ।
शराबी भैया रे ... ।

छमुमो और चुनाव

लाल-हरे झंडे और इससे सम्बद्ध संगठनों ने शुरु से ही चुनावों में भाग लिया है। सी.एम.एस.एस. के गठन के मात्र एक माह बाद, मई-जून १९७७ में, यूनियन ने 'छत्तीसगढ़ किसान-मज़दूर मोर्चा' के नाम से दो निर्दलीय उम्मीदवार विधानसभा चुनाव में खड़े किये। सन् १९८० में डोंडीलोहारा क्षेत्र से छमुमो अध्यक्ष श्री जनकलाल ठाकुर ने विधानसभा के लिए चुनाव लड़ा। दिसंबर १९८४ के लोकसभा चुनाव में छमुमो ने राजनांदगांव क्षेत्र से स्वामी अग्निवेश को अपना समर्थन दिया। मार्च १९८५ में श्री जनकलाल ठाकुर ने छमुमो की ओर से डोंडी लोहारा क्षेत्र से विधानसभा का चुनाव लड़ा और निर्वाचित भी हुए। सन् १९८९ के लोकसभा चुनाव में श्री जनकलाल ठाकुर ने कांकेर (बस्तर) लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा। मार्च १९९० में छमुमो ने विधानसभा चुनाव में अपने १३ उम्मीदवार एक साथ खड़े किये, जिनमें से चार उम्मीदवार बस्तर के निर्वाचन क्षेत्रों से भी थे। आमतौर पर गैर-दलीय जन संगठनों ने चुनावों से दूरी बनाकर रखी है। अतः इस मामले में छमुमो का दृष्टिकोण समझना उपयोगी होगा। छमुमो के अनुसार चुनावों में भाग लेना अपने विचारों को जनता तक पहुंचाने और जन शिक्षण करने का एक और माध्यम है। इसीलिए चुनावी अभियान में जन शिक्षण की दृष्टि से छमुमो ने हमेशा विशेष साहित्य तैयार किया और अपनी भावी योजनाओं को ध्यान में रखकर मुद्दे भी उठाये। यहां छमुमो की एक और परंपरा उल्लेखनीय है। चुनाव अभियान शुरु करने से पूर्व छमुमो के उम्मीदवार को एक सार्वजनिक सभा में कुछ विशेष सिद्धांतों और उद्देश्यों के प्रति अपनी निष्ठा बनाये रखने की शपथ लेनी पड़ती है। सन् १९७७ के चुनाव में दोनों उम्मीदवारों ने एक ऐसे ही शपथ पत्र पर अपने शरीर से खून की बूंद निकालकर दस्तखत किये थे। शपथ लेने की प्रक्रिया को महज रस्म अदायगी के रुप में देखना भूल होगी, चूंकि सार्वजनिक रुप से शहीदों के नाम पर शपथ दिलवाने से छमुमो अपने उम्मीदवारों को सीधे जनता के प्रति जवाबदेह बना देता है। सन् १९९० के विधानसभा चुनाव में छमुमो के १३ उम्मीदवारों ने एक ही सार्वजनिक समारोह में वीर नारायण सिंह, भगत सिंह और नेल्सन मंडेला के चित्रों के सामने सामूहिक रुप से शपथ ली। वह शपथ पत्र यहां प्रस्तुत है। - स.

शपथ-पत्र

- मैं छत्तीसगढ़ के महान क्रांतिकारी नेता शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पर यह शपथ लेता हूं कि मैं जीवन के अंतिम दिन तक जनता की सेवा करता रहूंगा। कठिनाईयों को झेलते हुए, शोषणमुक्त समाज व्यवस्था की स्थापना के लिए संघर्षरत् रहूंगा। एवं निडर होकर इस हेतु हर संभव कुर्बानी के लिए सदैव तत्पर रहूंगा।

- मैं यह जानता हूं कि बंदूक की गोलियों से अधिक खतरनाक शक्कर की मीठी गोलियां होती हैं। मुझे यह भी पता है कि जो बहादुर साथी बंदूक की गोलियों से नहीं डरते, वे भी शक्कर की मीठी गोलियों से घायल हो जाते हैं। विधानसभा या लोकसभा चुनकर जाने वाले सदस्यों के सामने शक्कर की मीठी गोलियों का प्रलोभन सदैव बना रहता है। किसी नाजुक क्षण में वह मीठी गोली, कुर्बानी करने वाले साथी के ईमान को भ्रष्ट कर देती है और वह बहादुर साथी कायर बन जाता है। छत्तीसगढ़ के सपूत क्रांतिवीर ठाकुर प्यारेलाल सिंह की पुण्य स्मृति को सदैव साक्षी मानकर मैं निष्ठापूर्वक प्रलोभनरुपी मीठी गोलियों का मुकाबला करता रहूंगा।

- जन संगठन जन शक्ति का आधार है। वैज्ञानिक चिंतनधारा जन संगठन की आत्मा होती है। सूझ-बूझ से [illegible] कुशल कार्य पद्धति जन संगठन का आधार होती है और उसी के सहारे संगठन आगे बढ़ता है। मैं जनशक्ति के इन महत्वपूर्ण विषयों पर पूरा ध्यान दूंगा एवं जनता के सेवा कार्य में जुटे रहकर इन पद्धतियों का प्रयोग करते हुए [illegible] जागरुक जन संगठन के उत्तरोत्तर विकास हेतु जीवन के अंतिम क्षण तक जुटा रहूंगा।

- इंसान की शिक्षा मां की गोद से ही शुरु होती है जो उसके जीवन के अंत तक निर्बाध प्रक्रिया के रुप में चलती [illegible] है। व्यापक जन समुदाय की प्रगति का मार्ग प्रशस्त [illegible] वाली शिक्षा ही वैज्ञानिक शिक्षा है। मैं विश्व की [illegible] सभ्यता के इतिहास से शिक्षा लेकर हमारी [illegible] जनता एवं दुनिया के सभी मेहनतकशों एवं [illegible] के संघर्ष से शिक्षा लेकर नम्रता, निःस्वार्थ एवं [illegible] दृढ़ता का परिचय देते हुए समाज व्यवस्था और [illegible] व्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन लाने के [illegible] प्रयत्नशील रहूंगा।

- मैं जनता से एक सुई भी उपहार में नहीं लूंगा। विशेष

जरुरत पड़ने पर ली गयी हर वस्तु की कीमत अदा करूंगा। मैं महिलाओं का सम्मान करूंगा तथा मादक पदार्थों से दूर रहूंगा। हर तरह की अश्लीलता से दूर रहकर, वैभव को छोड़कर सादगीपूर्ण, शालीन जीवनयापन करूंगा। मैं यदि लोकसभा या विधानसभा हेतु निर्वाचित हुआ तो भी क्षेत्र की जनता के आदेश पर पद त्यागकर जन आंदोलन एवं संघर्ष हेतु तत्पर रहूंगा। हर जन आदेश मुझे मान्य होगा।

- मैं यह जानता हूं कि द्वंद्व या विरोध दो तरह का होता है- पहला, शत्रुतामूलत द्वंद्व, जो शोषक, देशद्रोही ताकतों के खिलाफ होता है; दूसरा, मित्रतामूलक द्वंद्व, जो अपने ही समुदाय के सदस्यों के बीच उठता रहता है। शत्रुतामूलक द्वंद्व का निपटारा जन संघर्ष से किया जाता है और मित्रतामूलक द्वंद्व का समाधान आपसी चर्चा से किया जाना श्रेयस्कर है। इस तथ्य को हृदयंगम करते हुए मैं संगठन के भीतर के विरोध को तब तक प्रसार माध्यम को व्यक्त नहीं करूंगा जब तक मुझे यह तसल्ली न हो जाए कि संगठन के साथियों द्वारा यथेष्ट चर्चा किये जाने पर भी मेरी शंकाओं का समाधान नहीं हो पाया। साथ ही मैं इस बारे में भी सतर्क रहूंगा कि मेरे द्वारा प्रसार माध्यम (प्रेस आदि) को दी गई कोई भी सूचना संगठन के आदर्शों के विरुद्ध नहीं हो।

- जन प्रतिनिधि के रुप में कभी भी चुने जाने के बाद संगठन के भीतर से ही नये नेतृत्व को उभारने का अधिक अवसर प्रदान करने के लिए दुबारा चुनाव लड़ने की कोशिश नहीं करूंगा।

- मैं सादगीपूर्ण सामान्य जीवन यापन करूंगा एवं सामाजिक विकास के लिए ही कार्य करूंगा। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को त्यागकर मैं सामाजिक महत्वाकांक्षा का पक्षधर बना रहूंगा एवं एक शोषणविहीन सुख-शांति वाली समाज व्यवस्था की प्राप्ति हेतु अडिग रहूंगा।

- दल्ली राजहरा एवं राजनांदगांव के मज़दूर आंदोलनों के शहीदों के खून की गरिमा बनाये रखकर मैं सदैव उनके द्वारा बताये गये कुर्बानी के रास्ते पर चलता रहूंगा।

नवां भारत बर नवां छत्तीसगढ़ - विजय-यात्रा जारी

नियोगी जी की शहादत के बाद छत्तीसगढ़ के मजदूर और किसान, जान हथेली पर रखकर संघर्ष और निर्माण की कदमताल करते आगे बढ़ते जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ की डेढ़ करोड़ जनता की गुणात्मक परिवर्तन की आकांक्षाओं के केन्द्र बन गये हैं।

१) मज़दूर आंदोलन की कदम ताल

(क) मज़दूर के लहू की धार -बंदूक, तलवार पर भारी है
बनाये बर शोषणविहीन छत्तीसगढ़, विजय यात्रा जारी है

(ख) एकजुटता संघर्ष
अन्याय कहीं भी हो, किसी के भी खिलाफ,
छत्तीसगढ़ का मज़दूर उसके खिलाफ
छाती अड़ाकर खड़ा हुआ है

२) किसान शक्ति हा लेईस अंगड़ाई

३) नव-निर्माण के बढ़ते कदम

४) समय की पुकार

(क) हमारी औद्योगिक एवं कृषि-क्षमताओं को डालर के हमले से बचाना
(ख) देशद्रोही डालर लोलुप नव-धनाढ्य को चिन्हित करना

मज़दूर-आंदोलन की कदम ताल

मज़दूर के लहू की धार - बंदूक, तलवार पर भारी है,
बनाये बर शोषण-विहीन छत्तीसगढ़, विजय-यात्रा जारी है

नियोगी जी की शहादत के वाद छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा परीक्षा की घड़ियों से गुजरा। एक ओर बघवा गोतियारों का सपना संगठन को चकनाचूर करने का था तो दूसरी ओर मेहनतकशों के समक्ष चुनौती, शहीदों के बताये रास्ते पर आगे बढ़ते जाने की थी।

२८ सितंबर १९९१ से २८ सितंबर १९९८ तक की इतिहास-यात्रा को भिलाई आंदोलन के मज़दूर-वीरों ने अपने लहू की कलम से डुबों कर लिखी है। लाठी-गोली-जेल, जुड़-घाम-बरसात, भूख-प्यास सब कुछ सहन करते हुए आगे बढ़ता गया है। छत्तीसगढ़ को लूटने वाले उद्योगपतियों को मनमानी राज को प्रभावी चुनौती दी है। इस इतिहास यात्रा के कुछ मील के पत्थर -

संघर्ष यात्रा :

१० अक्टूबर ९१ को जन-समुंदर मिल में उमड़ा और जामुल तक की संघर्ष-यात्रा निकालकर संकल्प लिया कि - "नियोगी जी की हत्या का बदला हम शोषण पर टिकी इस व्यवस्था की ईट से ईट बजाकर लेंगे।"

छत्तीसगढ़ में जबरदस्त आंदोलन और राष्ट्रव्यापी जनमत के बदौलत सी.बी.आई. द्वारा जांच में उद्योगपतियों द्वारा हत्या के षड्यंत्र के महत्वपूर्ण सबूत हासिल किये।

पड़ाव-सत्याग्रह :

२५ मई १९९२ को ऐतिहासिक भिलाई महासंघर्ष की घोषणा हुई। इसकी प्रतिक्रिया में प्रदेश-भाजपा सरकार के उद्योगमंत्री कैलाश जोशी ने यूनियन से चर्चाकर, स्वयं हस्तक्षेप कर औद्योगिक विवाद का समाधान १५ दिनों के भीतर करने का आश्वासन दिया। उनके आश्वासन की सच्चाई को तौलने २५ मई महासंघर्ष के कार्यक्रम को अनिश्चितकालीन पड़ाव के रुप में परिवर्तित कर दिया। २५ मई से १ जुलाई १९९२ तक ३६ दिनों तक भिलाई, उरला, कुम्हारी, टेडेसरा के हज़ारों श्रमिक अपने बाल-बच्चों सहित खुले आसमान के नीचे पड़ाव सत्याग्रह पर बैठ गये। मंत्री कैलाश जोशी का आश्वासन खोखला पाया गया। १ जुलाई १९९२ को रेल-रोको सत्याग्रह के दौरान जलियावाला बाग कांड रचा गया।

१ जुलाई १९९२ : शहीद दिवस

पटवा-पुलिस ने बर्बर गोली चालन किया। २५० से अधिक महिला-पुरुष पुलिस की गोलियों से घायल हुए। १६ साथी शहीद हो गये। कर्फ्यू लगाकर आतंक का राज कायम किया गया। संगठन के सैकड़ों नेताओं को जेल में ठूंस दिया गया। साथी शेख अंसार और साथी मेघदास वैष्णव ने १७ महीनों की जेल को हंसते हसते काटा।

१२-१०-९५ का ऐतिहासिक फैसला :

भिलाई, उरला, कुम्हारी, टेडेसरा के मज़दूरों के जबर्दस्त तार्किक संघर्ष के समक्ष उद्योगपतियों को उस समय करारी हार मिली जब १२-१०-९५ के निर्णय द्वारा औद्योगिक न्यायालय के माननीय सदस्य श्री ए.एन. सोरटी ने ४२०० श्रमिकों को अंतरिम राहत देने की घोषणा हुई।

अदालत के फैसले को वदलने के लिए उद्योगपतियों ने सब हथकंडे अपनाये। यहां तक कि इंदौर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस दीपक वर्मा को घूंस देने का प्रयास भी किया लेकिन मध्यप्रदेश हाईकोर्ट इंदौर ने उनकी रिट याचिका को खारिज किया। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट जवलपुर ने भी उद्योगपतियों की तमाम रिट याचिका को खारिज किया। उसके पश्चात् दायर अपील को भी मध्यप्रदेश हाईकोर्ट बेंच, जबलपुर ने खारिज किया। इंदौर बेंच में उनके द्वारा दायर अपील में, बहुमत फैसला मज़दूरों के पक्ष में आ जाने के पश्चात् उसे सुनाया नहीं गया है एवं यह घटना उद्योगपतियों के माथे पर एक बदनुमा दाग बन गई है।

आर्थिक नाकेबंदी :

नवंबर १९९६ में चर्चित हवालाकांड के खलनायक एवं भिलाई इंस्ट्रीज एसोसियेशन के अध्यक्ष बी.आर.जैन के कारखाने की आर्थिक नाकेबंदी की गई। बी.ई.सी. की एक सप्ताह तक आर्थिक नाकेबंदी की गई, जेल भरो आंदोलन किया गया।

२० अप्रैल १९९७ : रेल रोको आंदोलन

जिन साथियों ने १ जुलाई १९९२ को पुलिस की गोलियां खाई थी उन्होंने एक बार फिर २० अप्रैल १९९७ को साथी शेख अंसार एवं साथी मेघदास वैष्णव के नेतृत्व में बंबई-हावड़ा रेलमार्ग पर ४ घंटे तक धरना दिया गया एवं पूरी व्यवस्थाधीशों को झकझोर दिया कि जब तक छत्तीसगढ़ के मज़दूरों के न्यायाग्रह को नहीं माना जायेगा, व्यवस्थाधीश चैन से नहीं बैठ पायेंगे।

अपराधी-राजनेता-उद्योगपति नेक्सस के खिलाफ अभियान

१ जुलाई १९९८ शहीद दिवस के अवसर पर न्याय पालिका पर नेक्सस की काली छाया के विरुद्ध अभियान छेड़ा गया। नियोगीजी के हत्यारों को बरी करने एवं ४२०० श्रमिकों के जीने के अधिकार पर हमला करने न्यायपालिका को औज़ार बनाने के विरोध में जन-जागरण अभियान चलाया जा रहा है।

एकजुटता संघर्ष

> *अन्याय कहीं भी हो, किसी के भी खिलाफ छत्तीसगढ़ का मज़दूर, उसके खिलाफ छाती अड़ाकर खड़ा हुआ है*

- *८ सितंबर ६८ को भिलाई में दैनिक भास्कर के कार्यालय में घुसकर पत्रकारों पर जानलेवा हमला करने वाले गुंडे प्रभुनाथ मिश्रा, ज्ञान प्रकाश मिश्रा, अवधेश राय, बलदेव सिंह आदि के खिलाफ कार्यवाही के लिए भिलाई के मज़दूरों ने मशाल-जुलूस निकाला और घोषित किया-*

"कट्टे के खिलाफ जंग कलम की और श्रम की जारी है"

- *गुरुर ब्लाक के किसानों की गिरफ्तारी के विरोध में दल्ली-राजहरा के मज़दूर तत्काल सड़कों पर उत्तर आये। भिलाई के मज़दूरों ने चक्का जाम कर गिरफ्तारियां दी। उरला, नांदगाव आदि सब जगह मज़दूरों ने विरोध प्रदर्शन किये।*

- *पुलिस प्रताड़ना से किसान कल्लू-हल्बा की मृत्यु की खबर सुनते ही दल्ली-राजहरा के मज़दूरों ने सड़क पर उतरकर, जुलूस निकालकर अन्याय का प्रतिकार किया।*

- *शराब माफिया और उद्योगपतियों के गुंडों द्वारा ग्राम जामगांव एवं ग्राम फुंडावासियों पर जानलेवा हमले का जबर्दस्त विरोध किया।*

- *मंदिर-मस्जिद विवाद की गंभीर स्थिति को भांपते हुए छत्तीसगढ़ के मज़दूरों ने १ दिसंबर को पर्चे बांटकर ५ दिसंबर ६२ को ही भिलाई, दल्लीराजहरा, उरला, कुम्हारी, राजनांदगांव, टेडेसरा आदि जगह-जगह एकता-भाईचारा जुलूस किये। ६ दिसंबर ६२ की घटना के बाद भी धारा १४४ को तोड़कर एकता भाईचारा का नारा बुलंद किया और धर्म के नाम पर झगड़ा कराने वालों के इरादों को नाकाम किया।*

- *शहीदों दत्ता सामंत की हत्या, कामरेड चंद्रशेखर की हत्या, कामरेड गदर पर जानलेवा हमला, आदिवासी मुक्ति संगठन के साथी कालिया पटेल की पुलिस हिरासत में हत्या, पुलिस गोलीचालन से नर्मदा आंदोलन के बालक रहमल पुनैया की हत्या का विरोध, नागपुर में आदिवासियों पर बर्बर गोलीचालन आदि घटनाओं के विरोध में प्रदर्शन किये।*

- *अप्रैल १६६२ में पटवा शासन के अतिक्रमण हटाओ के विरोध में आंदोलन कर बुलडोजर को रोका।*

- *जूनियर डाक्टरों के, अध्यापकों के, बैंक-बीमा एवं बिजली कर्मियों के तथा इंजीनियरिंग छात्रों के आंदोलनों को समर्थन।*

- *२२ मार्च १६६७की काली रात को रायपुर कलेक्टर कार्यालय के समक्ष ५०० से अधिक दिनों से जारी अखंड छत्तीसगढ़ धरने को पुलिसिया लाठी चार्ज के बल पर उखाड़ दिया गया। धारा १४४ घोषित कर दिया। ७ दिन की चेतावनी देने के पश्चात् ३ अप्रैल १६६७ को छमुमो ने पुलिसिया दमन को धीरते हुए, धारा १४४ की धज्जियां उड़ाते हुए कलेक्टर कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन सभा किये।*

- *ये तो कुछ एक ही उदाहरण है- छत्तीसगढ़ के मज़दूरों ने तो हर अन्याय, अत्याचार से लोहा लिया है।*

किसान शक्ति हा लेईस अंगड़ाई

लाल-हरा झंडा तले छत्तीसगढ़ के किसानों ने सैकड़ों लड़ाईयां लड़ी है। मज़दूर वर्ग के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के किसानों के संगठन जबर्दस्त शक्ति के रुप में उभर आये हैं। डौंडीलोहारा, डौंडी, बालोद, दुर्ग, धमधा, पाटन, साजा, बेमेतरा, पिथौरा, सरायपाली, बसना, कसडोल, बागबाहरा, नगरी आदि छत्तीसगढ़ के हर कोने में किसानों ने शहीद नियोगी जी और शहीद वीर नारायण सिंह के रास्ते पर चलकर किसान क्रांति का बिगुल बजाया है।

१३ अगस्त १९९८ को प्रभारी मंत्री "जालिम" सिंह पटेल के "स्वराज" कार्यक्रम के तहत गुरुर का दौरा था। गुरुर मे शराब भट्ठी हटाने के अधिकारियों द्वारा किसानों की लूट, टट्टी-उल्टी से मौतें और उसके बावजूद शासन की गहरी निद्रा, पनिया अकाल राहत, महाविद्यालय आदि मांग को लेकर गुरुर अंचल के किसानों ने प्रदर्शन कर मंत्री से चर्चा की मांग की। मंत्री ने किसानों से रुबरू होने से इंकार कर दिया।

प्रदर्शन के बाद जब चुनिंदा कार्यकर्तागण आपसी चर्चा करते हुए रुके थे तब पुलिस ने उनको अचानक गोल घेरे में लेकर १८ गांवों के किसान प्रतिनिधियों को गिरफ्तार कर लिया। जबर्दस्त आंदोलन के बाद सभी को निःशर्त रिहा किया गया।

वन विभाग की लूट-खसोट पकड़ी

वन अधिकारियों द्वारा ५ गोला सागोन की चोरी कर कुसुमकसा वन विभाग की वेन सी.पी. डेज ८१७५ से दल्ली राजहरा की मां उमिया आरा मिल में लाकर बालोद के एक मजिस्ट्रेट के लिए फर्नीचर बनाया जा रहा था। दिनांक ११ अगस्त ९३ को किसानों ने साथी अंजोरसिंह के नेतृत्व में इस चोरी को पकड़ा और माल को जप्ती करवाया। इस आंदोलन के कारण राजहरा के डिप्टी रेंजर एवं कुसुमकसा के डिप्टी रेंजर सहित ४ वन अधिकारी निलंबित हुए।

दिनांक ११ अगस्त ९८ को ही ग्राम चिपरा के एक किसान को कुसुमकसा के वन कर्मियो ने बेरहमी से पीटा उसका कसूर मात्र इतना ही था कि वह अपने साथियों के साथ "फुटू" बीनने जंगल गया था। छमुमो के नेतृत्व में आंदोलन कर किसानों ने अत्याचारी वन अधिकारियों से समस्त जनता के सामने माफी मंगवाई एवं पिटाई से घायल किसान के इलाज के लिए राशि दिलवाया।

शराब भट्ठी हटाने एवं दल्ली राजहरा में मुख्यमंत्री की १६ अक्टूबर ९६ की घोषणा से दिल्ली सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में १० अगस्त ९८ को डौंडी में हज़ारों महिलाओं ने प्रभारी मंत्री जालिमसिंह पटेल का घेराव किया। छमुमो के नेतृत्वकारी साथियों के तार्किक प्रश्नों के समक्ष मंत्री पानी पानी हो गया।

बिजली विभाग की लूट पकड़ी

दल्ली राजहरा विद्युत विभाग के कनिष्ठ यंत्री द्वारा किसानों और आम नागरिकों से बेहिसाब वसूली के खिलाफ आंदोलन में लाखों रुपये की अनियमितता पकड़ी गई, किसानों-नागरिकों के हज़ारों रुपये वापस कराये गये, बिना रिश्वत अनेक नागरिकों के बिजली मीटर लगवाये गये। ६ अगस्त ९८ को भ्रष्ट कनिष्ट यंत्री को निलंबित करवा कर ही दम लिया।

१८-७-९८ को गुरुर अंचल के किसानों ने बिजली विभाग द्वारा अवैध वसूली के खिलाफ आंदोलन कर, अनेक किसानों का पैसा वापस करवाया एवं दोषी कनिष्ठ यंत्री से सार्वजनिक रुप से माफी मंगवाया।

पुलिसियों का भ्रष्टाचार-अत्याचार पकड़ा

डौंडी ब्लाक में पुलिस प्रताड़ना से किसान कन्नू हल्बा की हत्या के विरोध में हज़ारों किसानों के जबर्दस्त आंदोलन का नेतृत्व छमुमो ने किया था, उसके तहत ४ दोषी पुलिस कर्मियों को निलंबित किया गया, सी.एस.पी. को लाइन अटैच किया गया।

छमुमो किसान आंदोलन से दिग्गी-पटवा की नौटंकियों का पर्दाफाश

मुलताई में किसानों पर गोली चलाने वाली दिग्गी सरकार ने पनिया अकाल राहत के लिए केन्द्र से २००० करोड़ रुपये की सहायता की मांग करते हुए जुलाई'९८ में दिल्ली में जुलूस निकाला।

भिलाई के मज़दूरों पर गोली चलवाने वाले सुंदरलाल

पटवा मुलताई गोलीकांड के बाद भूख हड़ताल के साथ-साथ तत्कालीन प्रधानमंत्री इंद्रकुमार गुजराल को पत्र लिखकर २००० करोड़ रुपये की सहायता पनिया अकाल राहत के लिए मांग किया था। लेकिन जब से केन्द्र में भाजपा सरकार आई है, पनिया अकाल राहत के लिए केन्द्र से सहायता के बारे में पटवा की बोलती बंद है। कई बार कोचकने के बाद भी उस पर एक शब्द स्पष्टीकरण नहीं मिल रहा।

छमुमो ने १७ मई'९८ को प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर पनिया अकाल राहत के लिए केन्द्रीय सहायता एवं डंकल कानून वापस लेने की मांग की थी, एवं तबसे व्यापक आंदोलन चलाया जा रहा है। १७ सितंबर १९९८ को देश भर के ५५ किसान संगठनों के साथ मिलकर उक्त मांगों का राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने छत्तीसगढ़ के ४००० किसान-मज़दूर दिल्ली पहुंचे थे।

छमुमो के प्रदर्शनकारी किसानों और मज़दूरों के एक दल, जिसमें करीब ४०० पुरुष १२० महिलाएं एवं ५० बच्चे शामिल थे उन्हें भाजपा सरकार ने झांसी में गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया। छत्तीसगढ़ की महिलाओं, बच्चों, पुरुषों ने ५ दिनों तक झांसी सेंट्रल जेल में इंकलाब का नारा बुलंद कर अमर सेनानी झांसी की रानी को सच्ची श्रद्धांजली अर्पित की।

ग्राम बोड़ेगांव, ग्राम ढौर एवं ग्राम घटियाकला के किसानों की संगठन शक्ति ने किसानों की ज़मीन पर अतिक्रमण करने वाले अरबपति, उद्योगपतियों – बी.आर.जैन, केडिया और जायसवाल को खदेड़ा। १० किसान नेताओं को गिरफ्तार करे १०-१० डग्गा लेकर आई पुलिस की गाड़ियों को कचांदूर ग्रामवासियों में दिन भर घेराव करने के पश्चात् बैरंग लौटाया।

नव-निर्माण के बढ़ते कदम

संघर्ष और निर्माण की सोच के तहत छत्तीसगढ़ के मज़दूरों द्वारा नव-निर्माण के कार्यक्रमों को निरंतर आगे बढ़ाया जा रहा है।

कुछ उदाहरण :

१. उरला औद्योगिक क्षेत्र में शहीद नगर, बीरगांव एवं मज़दूर नगर, सरोरा के रुप में सुंदर बस्तियों को बसाया।
२. शहीद नगर, बीरगांव में शहीद स्कूल का निर्माण और संचालन, शहीद-अस्पताल की शाखा।
३. ग्राम नर्राटोला में सिंचाई के लिए दल्ली-राजहरा के बाहर डैम-साईट पर बांध बनाकर नहर-नाली का निर्माण।
४. ग्राम कोंडेकसा, धोबेदंड और दर्राटोला के ग्रामवासियों और सी.एम.एस.एस. यूनियन दल्ली-राजहरा के संयुक्त प्रयास से जुलाई, ९४ से शहीद नियोगी हाईस्कूल कोंडेकसा की शुरुआत एवं एक सुंदर शाला भवन का निर्माण।
५. डंकल-कानून से किसानों के बीजों की रक्षा एवं अनुसंधान के लिए डा.आर.एच. रिछारिया के निर्देशन में कृषि अनुसंधान केन्द्र के कार्यक्रम।

समय की पुकार

हमारी औद्योगिक एवं कृषि-क्षमताओं को डालर के हमले से बचाना।
देशद्रोही डालर लोलुप नव-धनाढ्य को चिन्हित करना।

१. क्या आप जानते हैं कि डालर के मुकाबले रुपये में भारी गिरावट के कारण भिलाई इस्पात संयंत्र के उर्जा खर्च में भारी वृद्धि एवं उद्योग की बरबादी की आशंका है?

२. क्या आप जानते हैं कि लगातार तीसरी फसल की बरबादी की आशंका के समक्ष छत्तीसगढ़ के किसान जिस राहत राशि १००० करोड़ रुपये की मांग कर रहे हैं उसका चार गुना (४००० करोड़ रुपया) अकेला हर्षद मेहता डकार कर ऐश कर रहाहै?

३. क्या आप जानते हैं कि ६ अप्रैल १९९४ को भाजपा डंकल कानून के विरोध में संसद घेराव में छत्तीसगढ़ से चंद्रशेखर साहू, रमेश बैस, बृजमोहन अग्रवाल, डा. रमन सिंह, प्रेम प्रकाश पांडे, नंदकुमार साय, लखीराम अग्रवाल आदि गये थे, और उसे देश और किसानों को गुलाम बनाने वाला घोषित किया था? उसी डंकल कानून (विश्व व्यापार संगठन) पर बाजपेयी की सरकार ने १८ मई १९९८ की जेनेवा बैठक में स्वीकृति सील लगा दिया।

४. डंकल कानून के निर्देश पर सरकार ने देश के पेटेंट कानून को बदलने के लिए राजी हो गई है इससे हमारी कृषि, दवा उद्योग एवं इस्पात उद्योग चौपट हो जायेंगे? प्रश्न है कि हमारी संसद में नया कानून देश की जनता के जनादेश पर या डंकल के आदेश पर?

५. क्या आप जानते हैं कि राजीव गांधी की हत्या में सी.आई.ए. सुब्रमण्यम स्वामी और चंद्रास्वामी की भूमिका अति संदिग्ध एवं षड़यंत्रकारी रही है? एवं डालर के लिए व्याकुल नवधनाढ्य वर्ग- हर्षद मेहता, केडिया, बी.आर.जैन, भंसाली, पवन सचदेवा, हिंदुजा, अम्बानी का वर्ग इसमें विशेष रुप से शामिल है?

६. डालर लोलुप नव-धनाढ्यों के कारण आज विदेशी कर्जा साढ़े चार लाख करोड़ रुपये हो चुका है। हमें १८ हजार करोड़ रुपया प्रतिवर्ष तो केवल ब्याज ही पटाना पड़ता है।

७. महंगाई कहां से आई?

राजनेताओं और नव-धनाढ्यों ने विदेशी कर्जा खाया। देश की फसल को बेचकर उसे पटाने के कारण भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, मैक्सिको, ब्राजील, पाकिस्तान आदि उन ८०-९० देशों में महंगाई आसमान छू रही है जो कि अमरीका आदि के कर्जों से लदे हैं?

८. कर्जा वसूलने के लिए सबसीडी, कल्याणकारी योजनाएं समाप्त करने के निर्देशों को भूमंडलीयकरण के नाम पर कर्जदार देशों पर लादा जा रहा है एवं उन्हें रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा की सुविधाओं से वंचित कर जीने के अधिकार एक मानवाधिकारों की खिल्ली उड़ाई जा रहीहै।

दुनिया की [illegible] आतंकवादी गतिविधियां अमरीका द्वारा सं[illegible] है। वि[illegible] आतंकवाद के खि[illegible] लड़ाई में उसी अमरीका को थानेदार मान[illegible] अटल-आडवानी अमरीकी आतंकवादी व्यवस्था की गुलामी स्वीकार कर रहे हैं?

१०. परमाणु विस्फोट की आड़ में डंकल-डालर दरबार में घुटने टेकना धिक्कार है। मात्र अमरीकी शस्त्र व्यापारियों को हजारों करोड़ रुपये का लाभ पहुंचाने पड़ोसी देशों से दुश्मनी कर अमरीका के हाथ का खिलौना बनना धिक्कार है। रुपया सीमा के उस पार या इस पार, डालर के हमले से घायल है। वक्त की जरुरत तमाम गरीब एवं पड़ोसी देशों को एकजुट होकर डालर-डंकल से टक्कर लेने की है।

११. रोजी-रोटी, पीने का पानी और अस्मिता की मांग करने वाली जनताओं पर पुलिस गोली चालन और बर्बरता की घटनाओं में भारी वृद्धि हुई है। पटवा ने अभनपुर, भिलाई, कांसाबेल में गोली चलाई। दिग्गी ने मुलताई, मैहर, नरईबोध और धौराभाठा में गोलीकांड रचे। नियोगीजी, दत्ता सामंत (बंबई) का चंद्रशेखर (बिहार) सफदर हाशमी (दिल्ली), परागदास (गुवाहाटी) की राजनैतिक हत्याएं व्यवस्थाधीशों द्वारा करवाई गई।

१२. नियोगी जी के हत्यारे उद्योगपतियों एवं उनकी निजी सेनाओं के गुंडों को हाईकोर्ट द्वारा बरी किया गया। ४२०० श्रमिकों के पक्ष में हुए बहुमत फैसले को नहीं सुनाकर कानून की सरेआम धज्जियां उड़ाई गई। बी.आर.जैन, मूलचंद शाह जैसे नव-धनाढ्यों के कुप्रभाव की कई घटनाएं प्रकाश में आई।

शहीद बहन सत्यभामा की कुर्बानी रायगढ़ में उद्योगपति जिंदल द्वारा केलो नदी के एवं भूमिगत पानी का निर्मम दोहन कर अंचल में पीने के पानी का संकट खड़ा करने की

गवाही देती है।

१३. क्या आप जानते हैं कि शेयर बाजार में सट्टेबाजी से कैलाशपति केडिया ने रायपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, बिलासपुर, धमतरी, महासमुंद के नागरिकों के ३०० करोड़ रुपये से अधिक लूट लिये?

१४. सर्वविदित है कि बी.ई.सी. सिम्पलेक्स, बी.के. खेतावत आदि भिलाई के ५-६ बड़े नव-धनाढ्य उद्योगपतियों ने ऐसा दबदबा बनाया है कि अपना एकाधिकार कायम रखने के लिए भिलाई और उरला के सैकड़ों नवोदित छोटे उद्योगपतियों को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। ऐसे बी.आर.जैन को छत्तीसगढ़ उद्योग महासंघ का अध्यक्ष बनाकर क्या छत्तीसगढ़ के सैकड़ों छोटे उद्योगपति पनप पायेंगे?

१५. लोटा लेकर आये बी.आर.जैन, कैलाशपति केडिया, हीराभाई शाह, मूलचंद शाह, देखते-देखते अरबपति बन कैसे गये? उनकी लूट की जांच होनी चाहिए?

१६. जब कांग्रेस - भाजपा के सभी राजनेता चुनावी चंदे की आस में इन नव-धनाढ्यों के दरबार में सलाम बजाते हों, तो पृथक या अपृथक, छत्तीसगढ़ की लूट को ये राजनेता कैसे रोक सकते हैं?

१७. भूख को मिटाने छत्तीसगढ़ से लाखों का पलायन ! इस विकराल मानवीय त्रासदी से कुर्सी की राजनीति करने वालों को कोई सरोकार नहीं।

१८. भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना के दौरान ५०० करोड़ रुपये पूंजी निवेश से १ लाख लोगों को रोजगार मिला था। बोरई के इस्पात संयंत्र से ५०० करोड़ रुपये के निवेश से मात्र ५०० लोगों को रोजगार मिला। १ लाख लोगों को रोजगार से १० हजार दुकाने फली-फूली। ५०० लोगों को रोजगार से तो ५० दुकानें थी नहीं चल पाई। इस प्रकार अंधाधुंध मशीनीकरण से लाखों रोज़गारों को समाप्त कर छत्तीसगढ़ में व्यवसाय का पहिया उल्टा घुमाया गया है।

१९. अंधाधुंध मशीनीकरण द्वारा १० हज़ार कार्यरत् मज़दूरों की छंटनी करने के लिए बैलाडीला लोहा खदान मज़दूरों पर ५ अप्रैल १९७८ को बर्बर गोली चालन किया गया था। यदि उन पर १० हज़ार श्रमिकों का दैनिक वेतन १० रुपया भी मान कर चले तो भी १ लाख रुपया प्रतिदिन बैलाडीला के बाजार में आकर रोलिंग करता था, उसके आसपास के सैकड़ों गांवों के आर्थिक विकास का चक्का चलता था।

आर्थिक विकास और लोकतांत्रिक आवाज़ का गला घोटने के फलस्वरुप बस्तर में आज गोलियों की आवाज़ गूंज रही है।

२०. रावघाट में भिलाई इस्पात संयंत्र हेतु लोहा खदान प्रस्तावित है। प्रश्न है कि वहां नियोगी जी द्वारा विकसित अर्ध मशीनीकरण तकनीक के तहत १५ हज़ार नौजवानों को रोजगार उपलब्ध होगा या अंधाधुंध मशीनीकरण कर मात्र ५०० लोगों से काम चलाया जायेगा?

२१. उद्योग एवं कृषि में संतुलन बनाने छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित २५,००० करोड़ रुपये निवेश का यदि १० प्रतिशत भी लघु सिंचाई योजनाओं में लगाया जाए तो छत्तीसगढ़ की हर पंचायत में एक लघु सिंचाई योजना उपलब्ध हो सकती है इसका निर्माण अवधि एक-या दो वर्ष होगी एवं कृषि- उत्पादन में वृद्धि से निर्माण लागत की पूर्ति २-३ वर्षों में हो जायेगी।

२२. फाईनेंस केपीटल के नाम पर अमरीका आदि के गिने-चुने बैंक, सिटी बैंक, ग्रिंडलेज़, स्टेनचार्ट आदि दुनिया के सैकड़ों देशों के साथ-साथ अपने देश के किसानों और उद्योगों को भी दिवालिया बना रहे हैं।

२३. हमारी औद्योगिक एवं कृषि - क्षमताओं को डालर के हमले से बचाने के लिए राहुल बजाज, शेखर दत्त और इंद्रकुमार गुजराल की चिंताएं नाकाफी हैं। मज़दूर-किसान, संगठन और आंदोलन के बढ़ते कदम से ही हम डालर के मुकाबले अपनी उत्पादन क्षमताओं को बचाने की लड़ाई जीत सकते हैं। हम तो चर्चा का वैचारिक युद्ध चलाकर सबसे घृणित देशद्रोही वर्ग - डालर लोलुप नव-धनाढ्य वर्ग को चिन्हित कर उनके खिलाफ बाकी वर्गों के तालमेल का नया सैद्धांतिक आधार बना रहे हैं।

२४. असमान विकास की शिकार तमाम उप- राष्ट्रीयताओं, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, विदर्भ, तेलंगाना, बुंदेलखंड की अस्मिता की लड़ाई में विशाल परिवर्तनकारी उर्जा व्याप्त है। हम समस्त राष्ट्रीयताओं, उप-राष्ट्रीयताओं की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं, मुक्ति संघर्षों के साथ है।

२५. करोड़ों जनताओं की आकांक्षाओं पर आधारित आंदोलन द्वारा उनके जीवन में गुणात्मक परिवर्तन द्वारा, बेरोजगारों को रोजगार, किसानों को सिंचाई और ज़मीन का पट्टा, आदि द्वारा ही करोड़ों लोगों की उर्जा का इस्तेमाल कर डालर के मुकाबले अपने देश की उत्पादन क्षमताओं की रक्षा संभव है।

२६. नियोगीजी की शहादत के बाद छत्तीसगढ़ के मज़दूर और किसान, जान हथेली पर रखकर संघर्ष और निर्माण की कदम ताल करते आगे बढ़ते जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ की डेढ़ करोड़ जनता की गुणात्मक परिवर्तन की आकांक्षाओं के केन्द्र बन गये हैं।

ये कुरबानी होती रहेगी, जब तक न मिटे शोषण का राज

शोषण से मुक्ति पाना है एकता बना लो बड़ा महान
जागो दुनियां के मेहनतकशों साथी मजदूर और किसान

नाम हमेशा चलता रहेगा कामरेड गुहा नियोगी का
सब कुछ किया निछावर उसने अमर है नाम नियोगी का
मेहनतकशो के हक के लिये ये हैं बलिदान नियोगी का,
मार सकते हैं दुश्मन उन्हें पर मिटे न विचार नियोगी का
एक नियोगी के शहीद होने से और नियोगी पैदा हुआ
एक जुलाई सन बानवे को सोलह ने और बलिदान दिया
ये कुरबानी होती रहेगी जब तक न मिटे शोषण का राज.....

एक शहीद के हो जाने से सौ-सौ पैदा होंगे
सौ से हजार, हजार से लाख, लाख से करोड़ पैदा होंगे
ये जालिमो देखेंगे फिर कितनों को तुम मारोगे
जीत हमारी निश्चित है, हम जीतेंगे तुम हारोगे
कितनी चलाओगे गोली हर व्यक्ति का सीना तन जायेगा
मेहनतकश का हर बच्चा फिर गुहा नियोगी बन जायेगा
गूंज जायेगी ये धरती में इंकलाब की उठे आवाज....

शंकर गुहा नियोगी के सपने को हमें साकार बनाना है
छत्तीसगढ़ के अमर शहीदों की ज्योति हमें जलानी है।
उसी ज्योति के उजले रास्ते में, आगे बढ़ते जाना है
हर संकट को झेल के साथी अपना मंजिल पाना है
एकता बना के चलो साथियों मंजिल है अब दूर नहीं
दुनिया बनाने वाले साथियों होंगे हम मजबूर नहीं
एकता की ताकत सबसे बड़ी है, एकता ही है बड़ा महान....

– जनकवि कामूलन यादव

शहीद नियोगी की कविता

जय छत्तीसगढ़

डेढ़ करोड़ जनों की धरती,
कर्मभूमि यह मेरी।
जय छत्तीसगढ़। प्रिय छत्तीसगढ़॥
गोंड, काँवर, धीवर,
मारिया, मुरिया,
औराँव, हल्बा, मजबूत सिकड़।
प्यारे आदिवासी हमारे,
बहादुर वीर एक-से-एक बढ़कर।
जय छत्तीसगढ़। प्रिय छत्तीसगढ़॥
वीरों की कौम है हमारी,
गोंड, कूँअर, चेलिक, मोटियारी।
बघेल,सुंदर शर्मा, नागे, नारायण राव,
प्यारे लाल नेता सब बढ़-चढ़कर
जय छत्तीसगढ़। प्रिय छत्तीसगढ़॥
यह देशप्रेम विश्वास जगाता है,
स्वर्णाक्षर में इतिहास लिखाता है,
त्यागी जनों की यह धरती,
विप्लवकारी 'विद्रोही' छत्तीसगढ़॥
जय छत्तीसगढ़। प्रिय छत्तीसगढ़॥
कोयला, लोहा, ताँबा, सोने की खानें,
धान का कटोरा यह कौन नहीं जाने।
अंग-अंग में अँटा पड़ा है सौंदर्य,
करोड़ों में लिये बैठा है बड़ी धनदौलत।
जय छत्तीसगढ़। प्रिय छत्तीसगढ़॥
नदी-नाला, जलाशय और पोखर,
आबोहवा इसकी मधुर सुंदर।
लोग यहाँ के हैं देवता की तरह सरल,
दानव छाये हैं इनके ऊपर।
जय छत्तीसगढ़। प्रिय छत्तीसगढ़॥
महानदी हमारी प्रिय गंगा,
शिवनाथ,नर्मदा सभी की प्रियतर,
सारन, गोदावरी बहे निर्झर।
जय छत्तीसगढ़। प्रिय छत्तीसगढ़॥
सभी मनुष्य हैं बंधु हमारे,
निर्धन सब सभी सर्वहारे।
कंकालवत हैं सभी आदिवासी,
बचे हैं केवल हाड़-हाड़ भर।
जय छत्तीसगढ़। प्रिय छत्तीसगढ़॥
वन सम्पदा लाख, शीशम, सराई,
खेत में मूँग, उड़द, छोला रे भाई।
लाख, तिल, गेहूँ, मसूर और राई,
पैदा करते हैं ये गार कर रक्त,
देह अपनी निचोड़कर।
जय छत्तीसगढ़। प्रिय छत्तीसगढ़॥

हम तो करते हैं प्यार सभी को,
किन्तु क्या कोई प्यार करता हमें है ?
छद्म नेता और व्यापारी ...
खून चूस कर हमारा,
हिंस्र पशुओं जैसे करते हैं गड़-गड़।
जय छत्तीसगढ़। प्रिय छत्तीसगढ़॥

व्यापारी नेता करते हैं शोषण,
तभी तो रोज-रोज होता है हमारा मरण।
हमारी इन्हीं आँखों के आगे,
शहीद हो गये न जाने कितने,
न जाने कितने नहीं गये खप-मर !
जय छत्तीसगढ़। प्रिय छत्तीसगढ़॥

लगता है जैसे सो गये हैं जवान,
न जाने किस दुख से कर रहे हैं पलायन।
क्यों नहीं तब विचरेंगे शोषकगण,
उठाकर अपना मस्तक और तानकर अपना धड़ !
जय छत्तीसगढ़। प्रिय छत्तीसगढ़॥

आओ भाइयो,
आज हथियार उठाओ,
शोषकों के विनाश की दुंदभी बजाओ,
लाल हो उठा है पूरब का आकाश,
नींद त्याग करो आलस का परिहार।
जय छत्तीसगढ़। प्रिय छत्तीसगढ़॥
जागो ! जागो ! मजदूर ! किसान !
तुम्हीं तो हो पृथ्वी के भगवान।
शोक के आँसुओं को बदलो आनंद में,
बंद हो दुश्मनों की बक-बक
जय छत्तीसगढ़। प्रिय छत्तीसगढ़॥
आओ,
हम सब एक हो जायें,
दुनिया को मिलकर स्वर्ग बनायें।
इस बसंत में आओ शपथ लो,
त्याग दो आलस, त्याग दो डर।
जय छत्तीसगढ़। प्रिय छत्तीसगढ़॥

(मूल हिन्दी से गाज़ी एम.अंसार द्वारा किये गये बंगला अनुवाद से डॉ. विजय बहादुर सिंह द्वारा पुनः अनूदित।)